

THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 65

4 Poush, 1940(S)

Ranchi, Thursday, 24th January, 2019

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification 24th January, 2019

Notification No. 74/2018 – State Tax

- **S.O. No. 16 Dated- 24th January, 2019-** In exercise of the powers conferred by section 164 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand hereby makes the following rules further to amend the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Jharkhand Goods and Services Tax (Fourteenth Amendment) Rules, 2018.
- (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall be deemed to be effective from 31st December, 2018.
- 2. In the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 12, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-
 - "(1A) A person applying for registration to collect tax in accordance with the provisions of section 52, in a State where he does not have a physical presence, shall mention the name of the State in **PART A** of the application in **FORM GST REG-07** and mention the name of the State in **PART B** thereof in which the principal place of business is located which may be different from the State mentioned in **PART A**."

- 3. In the said rules, in rule 45, in sub-rule (3), after the words "received from a job worker", the words, "or sent from one job worker to another" shall be omitted.
- 4. In the said rules, in rule 46, after the fourth proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-
 - "Provided also that the signature or digital signature of the supplier or his authorised representative shall not be required in the case of issuance of an electronic invoice in accordance with the provisions of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000)."
- 5. In the said rules, in rule 49, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-
 - "Provided also that the signature or digital signature of the supplier or his authorised representative shall not be required in the case of issuance of an electronic bill of supply in accordance with the provisions of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000)."
- 6. In the said rules, in rule 54,-
 - (a) in sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely:-
 - "Provided that the signature or digital signature of the supplier or his authorised representative shall not be required in the case of issuance of a consolidated tax invoice or any other document in lieu thereof in accordance with the provisions of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000)."
 - (b) in sub-rule (4), the following proviso shall be inserted, namely:-
 - "Provided that the signature or digital signature of the supplier or his authorised representative shall not be required in the case of issuance of ticket in accordance with the provisions of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000)."
- 7. In the said rules, in explanation (b) to sub-rule (5) of rule 89, the following clause shall be substituted, namely:-
 - "Adjusted Total turnover" and "relevant period" shall have the same meaning as assigned to them in sub-rule (4).".
- 8. In the said rules, in rule 96, in sub-rule (1), in clause (a), after the words "export goods duly files", the words "a departure manifest or" shall be inserted.
- 9. In the said rules, in rule 101, in sub-rule (1), after the words "financial year", the words "or part there of" shall be inserted.
- 10. In the said rules, after rule 109A, the following rule shall be inserted, namely:-
 - "109B. Notice to person and order of revisional authority in case of revision.- (1) Where the Revisional Authority decides to pass an order in revision under section 108 which is likely to affect the person adversely, the Revisional Authority shall serve on him a notice in FORM GST RVN-01 and shall give him a reasonable opportunity of being heard.
 - (2) The Revisional Authority shall, along with its order under sub-section (1) of section 108, issue a summary of the order in **FORM GST APL-04** clearly indicating the final amount of demand confirmed."

- 11. In the said rules, in rule 138, in sub-rule (1), for Explanation 1, the following Explanation shall be substituted, namely-.
 - "Explanation 1. For the purposes of this rule, the expression "handicraft goods" has the meaning as assigned to it in the Government of Jharkhand, Commercial Taxes Department, notification No. 56/2018-State Tax, dated the 6th November, 2018, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 80, dated the 6th November, 2018 as amended from time to time."
- 12. In the said rules, after rule 138D, from a date to be notified later, the following rule shall be inserted, namely:-
 - "138E. Restriction on furnishing of information in PART A of FORM GST EWB-01.-Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) of rule 138, no person (including a consignor, consignee, transporter, an e-commerce operator or a courier agency) shall be allowed to furnish the information in PART A of FORM GST

EWB-01 in respect of a registered person, whether as a supplier or a recipient, who,—

- (a) being a person paying tax under section 10, has not furnished the returns for two consecutive tax periods; or
- (b) being a person other than a person specified in clause (a), has not furnished the returns for a consecutive period of two months:

Provided that the Commissioner may, on sufficient cause being shown and for reasons to be recorded in writing, by order, allow furnishing of the said information in **PART A** of **FORM GST EWB 01**, subject to such conditions and restrictions as may be specified by him:

Provided further that no order rejecting the request of such person to furnish the information in PART A of FORM GST EWB 01 under the first proviso shall be passed without affording the said person a reasonable opportunity of being heard:

Provided also that the permission granted or rejected by the Commissioner of State tax shall be deemed to be granted or, rejected by the Commissioner.

Explanation:– For the purposes of this rule, the expression "Commissioner" shall mean the jurisdictional Commissioner in respect of the persons specified in clauses (a) and (b).".

- 13. In the said rules in rule 142, in sub-rule (5), after the words "section 74", the words "or sub-section (12) of section 75" shall be inserted.
- 14. In the said rules, for FORM GST RFD-01, the following form shall be substituted, namely:-

"FORM-GST-RFD-01 [See rule 89(1)]
Application for Refund (Applicable for casual or non-resident taxable person, tax deductor, tax collector, un-registered person and other registered taxable person)

1.	GSTIN /							
	Temporary							
	ID							
2.	Legal							
۷٠	Name							
3.	Trade							
3.								
	Name, if							
	any							
4.	Address							
5.	Tax period	From	<yea< td=""><td>ar><month></month></td><td>То</td><td><\</td><td>/ear><mon< td=""><td>th></td></mon<></td></yea<>	ar> <month></month>	То	<\	/ear> <mon< td=""><td>th></td></mon<>	th>
	(if							
	applicable)							
6.	Amount of	Act	Tax	Interest	Penalty	Fees	Others	Total
0.	Refund	1100	1 0011	111101101		1 000		1 0 0001
	Claimed	C 1						
	(Rs.)	Central						
	(13.)	tax						
		State /						
		UT tax						
		Integrated						
		tax						
		Cess						
		Total						
7.	Grounds	(a)	Exce	ess balance in	Electronic	Cash I	edger	I.
, .	of refund	(b)		orts of services				
	claim	(c)		orts of goods				ent of tax
	(select			imulated ITC		CS- WIL	nout paymi	on tax
	from drop	(4)		ecount of orde				
	down)	(d)				0 1	0 1	D (
	down)		Sr.	Type of	Order	Order	Order	Payment
			No.	order	no.	date	Issuing	reference
							Authority	no., if
								any
			(i)	Assessment				
			(ii)	Finalization				
				of				
				Provisional				
				assessment				
			(iii)	Appeal				
			(iv)	Any other				
			(11)	order				
				(specify)				
		(6)	ITC	accumulated o	luo to in		r atmostra	
		(e)	l					
		(2)		ise (ii) of first				1 1
		(f)		ecount of sup		e to SEZ	z unit/ SEZ	developer
			(with	n payment of t	ax)			
		l	l					

		(g)		nt of supplies payment of ta	made to SEZ unit.	SEZ developer			
		(h)	Recipient export su		xport supplies/ Sup	oplier of deemed			
		(i)	Tax paid wholly or	l on a suppl r partially, an	y which is not jud for which invoice payment)				
		(j)	Tax paid	on an intra-S	tate supply which supply and vice				
		(k)	Excess pa	ayment of tax,	, if any				
		(1)	Any other	r (specify)	-				
8.	Details of Bank account	Name of bank	Address of branch	IFSC	Type of account	Account No.			
9.	Whether So Applicant u		applicable Yes The second of the second o						

[DECLARATION [second proviso to section 54(3)]

I hereby declare that the goods exported are not subject to any export duty. I also declare that I have not availed any drawback of central excise duty/service tax/state tax on goods or services or both and that I have not claimed refund of the integrated tax paid on supplies in respect of which refund is claimed.

Signature

Name –

Designation / Status"]

DECLARATION [section 54(3)(ii)]

I hereby declare that the refund of input tax credit claimed in the application does not include ITC availed on goods or services used for making 'nil' rated or fully exempt supplies.

Signature

Name –

Designation / Status

DECLARATION [rule 89(2)(f)]

I hereby declare that the Special Economic Zone unit /the Special Economic Zone developer has not availed of the input tax credit of the tax paid by the applicant, covered under this refund claim.

Signature

Name –

Designation / Status

DECLARATION [rule 89(2)(g)]

(For recipient/supplier of deemed export)

In case refund claimed by recipient

I hereby declare that the refund has been claimed only for those invoices which have been detailed in statement 5B for the tax period for which refund is being

claimed and the amount does not exceed the amount of input tax credit availed in the valid return filed for the said tax period. I also declare that the supplier has not claimed refund with respect to the said supplies.
In case refund claimed by supplier I hereby declare that the refund has been claimed only for those invoices which have been detailed in statement 5B for the tax period for which refund is being claimed. I also declare that the recipient shall not claim any refund with respect of the said supplies and also, the recipient has not availed any input tax credit on such supplies. Signature Name — Designation / Status
Designation / Status
<u>UNDERTAKING</u>
I hereby undertake to pay back to the Government the amount of refund sanctioned along with interest in case it is found subsequently that the requirements of clause (c) of sub-section (2) of section 16 read with sub-section (2) of section 42 of the CGST/SGST Act have not been complied with in respect of the amount refunded.
Signature
Name – Designation / Status
I (Applicant) having GSTIN/ temporary Id, solemnly affirm and certify that in respect of the refund amounting to Rs/ with respect to the tax, interest, or any other amount for the period fromto, claimed in the refund application, the incidence of such tax and interest has not been passed on to any other person.
Signature Name –
Designation / Status
(This Declaration is not required to be furnished by applicants, who are claiming refund under clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) or clause (f) of sub-section (8) of section 54.)
10. Verification
I/We <taxpayer name=""> hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom. I/We declare that no refund on this account has been received by me/us earlier.</taxpayer>
Place Signature of Authorised Signatory Date (Name) Designation/ Status

Annexure-1

Statement -1 [rule 89(5)]

Refund Type: ITC accumulated due to inverted tax structure [clause (ii) of first proviso to section 54(3)]

(Amount in Rs.)

Turnover of	Tax payable	Adjusted	Net input tax	Maximum refund
inverted rated	on such	total	credit	amount to be
supply of	inverted	turnover		claimed
goods and	rated supply			$[(1\times4\div3)-2]$
services	of goods and			
	services			
1	2	3	4	5

Statement 1A [rule 89(2)(h)]

Refund Type: ITC accumulated due to inverted tax structure [clause (ii) of first proviso to section 54(3)]

Sl. No.	Details of in	Tax paid on inward supplies of inputs		Details of invoices of outward supplies issued			Tax paid on outward supplies							
	GSTIN of the supplier *	No.	Date	Taxable Value	Integr ated Tax	Centr al Tax	State Tax /Union territor y Tax	No.	Da te	Taxable Value	Invoice type (B2B/ B2C)	Integrated Tax	Central Tax	State Tax /Union territory Tax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

^{*} In case of imports or supplies received under reverse charge mechanism [subsection (3) of section 9 of the CGST Act/SGST Act or sub-section (3) of section 5 of IGST Act], the GSTIN of supplier will mean GSTIN of applicant (recipient).

Statement- 2 [rule 89(2)(c)]

Refund Type: Exports of services with payment of tax

Sr.	Invoice details			Integrate	ed tax	Cess	BRC	/ FIRC	Integrated	Integrated	Net
No.	No.	No. Date Value		Taxable	Amt.		No. Date		tax and	tax and	Integrated
				value					cess	cess	tax and
									involved	involved	cess
									in debit	in credit	(6+7+10 -
									note, if	note, if	11)
									any	any	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Statement- 3 [rule 89(2)(b) and 89(2)(c)]

Refund Type: Export without payment of tax (accumulated ITC)

(Amount in Rs.)

Sr. No.	I	nvoice deta	ails	Goods/	Shipping	EGM Details		BRC/	FIRC		
				Services	export						
	No.	Date	Value	(G/S)	Port code	No.	Date	Ref	Date	No.	Date
								No.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Statement- 3A [rule 89(4)]

Refund Type: Export without payment of tax (accumulated ITC) – calculation of refund amount

(Amount in Rs.)

Turnover of zero rated supply of goods and services	Net input tax credit	Adjusted total turnover	Refund amount (1×2÷3)
1	2	3	4

Statement-4 [rule 89(2)(d) and 89(2)(e)]

Refund Type: On account of supplies made to SEZ unit or SEZ Developer (on payment of tax)

(Amount in Rs.)

GSTIN	Inv	oice de	etails	Ship	ping	Integra	ated	Cess	Integrat	Integrate	Net
of					Bill	Tax			ed tax	d tax and	Integrate
recipien			of export/					and cess	cess	d tax and	
t			Endorsed					involve	involved	cess	
			invoice					d in	in credit	(8+9+10	
			by SEZ					debit	note, if	-11)	
	No	Dat	Valu	No	Dat	Taxabl	Amt		note, if	any	
		e	e		e	e			any		
						Value					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Statement-5 [rule 89(2)(d) and 89(2)(e)]

Refund Type: On account of supplies made to SEZ unit or SEZ Developer (without payment of tax)

(Amount in Rs.)

Sr. No.		Invoice detail	S	Goods/ Services	Shipping bill/ B	ill of export/
				(G/S)	Endorsed in	voice no.
	No.	Date	Value		No.	Date
1	2	3	4	5	6	7

Statement-5A [rule 89(4)]

Refund Type: On account of supplies made to SEZ unit / SEZ developer without payment of tax (accumulated ITC) – calculation of refund amount

Turnover of zero	Net input tax	Adjusted total	Refund amount
rated supply of	credit	turnover	(1×2÷3)
goods and services			
1	2	3	4

Statement 5B [rule 89(2)(g)]

Refund Type: On account of deemed exports

(Amount in Rs)

Sl. No.	case refund of invoic	l is clai es of in	med by ward su	ward supplies in supplier/Details upplies in case recipient			Tax paid	
	GSTIN of the supplier	No.	Date	Taxable Value	Integrated Tax	Central Tax	State Tax /Union Territory Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Statement-6 [rule 89(2)(j)]

Refund Type: On account of change in POS (inter-State to intra-State and vice versa)

Order Details (issued in pursuance of sections 77 (1) and (2), if any: Order No: Order Date:

(Amount in Rs.)

Recipient's GSTIN/ UIN Name (in case B2C)		Inv	oice de	tails	Details of tax paid on transaction considered as intra –State / inter-State transaction earlier					Taxes re-assessed on transaction which were held inter State / intra-State supply subsequently				
	No	Date	Value	Tavable	Integrated tax	Central tax	State/ UT tax	Cess	Place of Supply	Integrated tax	Central tax	State/ UT tax		Place of Supply
	NO.	Jo. Date Value Taxable Value												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Statement-7 [rule 89(2)(k)]

Refund Type: Excess payment of tax, if any in case of last return filed.

Tax period	ARN of	Date of				
	return	filing	Integrated	Central	State/	Cess
		return	tax	tax	UT tax	
1	2	3	4	5	6	7

Annexure-2 Certificate [rule 89(2)(m)]

Signature of the Chartered Accountant/ Cost Accountant:

Name:

Membership Number:

Place:

Date:

Note - This Certificate is not required to be furnished by the applicant, claiming refund under clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) or clause (f) of sub-section (8) of section 54 of the Act.

Instructions -

1. Terms used:

a. B to C: From registered person to unregistered person

b. EGM: Export General Manifest

c. GSTIN: Goods and Services Tax Identification Number

d. IGST: Integrated goods and services tax

e. ITC: Input tax credit

f. POS: Place of Supply (Respective State)

g. SEZ: Special Economic Zone

h. Temporary ID: Temporary Identification Number

i. UIN: Unique Identity Number

- 2. Refund of excess amount available in electronic cash ledger can also be claimed through return or by filing application.
- 3. Debit entry shall be made in electronic credit or cash ledger at the time of filing the application.
- 4. Acknowledgement in **FORM GST RFD-02** will be issued if the application is found complete in all respects.
- 5. Claim of refund on export of goods with payment of IGST shall not be processed through this application.

- 6. Bank account details should be as per registration data. Any change in bank details shall first be amended in registration particulars before quoting in the application.
- 7. Declaration shall be filed in cases wherever required.
- 8. 'Net input tax credit' means input tax credit availed on inputs during the relevant period for the purpose of Statement-1 and will include ITC on input services also for the purpose of Statement-3A and 5A.
- 9. 'Adjusted total turnover' means the turnover in a State or a Union territory, as defined under clause (112) of section 2 excluding the value of exempt supplies other than zero-rated supplies, during the relevant period.
- 10. For the purpose of Statement-1, refund claim will be based on supplies reported in GSTR-1 and GSTR-2.
- 11. BRC or FIRC details will be mandatory where refund is claimed against export of services details of shipping bill and EGM will be mandatory to be provided in case of export of goods.
- 12. Where the invoice details are amended (including export), refund shall be allowed as per the calculation based on amended value.
- 13. Details of export made without payment of tax shall be reported in Statement-3.
- 14. Availability of refund to be claimed in case of supplies made to SEZ unit or SEZ developer without payment of tax shall be worked out in accordance with the formula prescribed in rule 89(4).
- 15. 'Turnover of zero rated supply of goods and services' shall have the same meaning as defined in rule 89(4).".
- 15. In the said rules, for FORM GST RFD-01A, the following form shall be substituted, namely:-

"FORM-GST-RFD-01 A

[See rules 89(1) and 97A]

Application for Refund (Manual)

(Applicable for casual taxable person or non-resident taxable person, tax deductor, tax collector and other registered taxable person)

1.	GSTIN /										
	Temporary ID										
2.	Legal Name										
3.	Trade Name, if										
	any										
4.	Address										
	11441055										
5.	Tax period	From	<year><</year>	> <month> To <year><month></month></year></month>							
٠.	(if applicable)	110111	1 001	To Tour William							
6.	Amount of		Act	Tax	Interes	t Pen	alty	Fee	22	Others	Total
0.	Refund Claimed		7100	1 42	Interes	1 011	arty	1 00	.5	Others	1000
	(Rs.)										
	(103.)	Centr									
			/ UT tax								
			ated tax								
		Cess									
		Total									
7.	Grounds of	(a)	Excess b	alance in	n Electro	nic Ca	ish Le	edger			
	Refund Claim	(b)	Exports	of servic	es- with	payme	ent of	tax			
	(select from drop	(c)	Exports	of good	s / serv	ices- v	witho	ut pay	ymen	t of tax	(accumulated
	down)		ITC)								
		(d)	ITC acci	ımulated	due to	nverte	d tax	struct	ure [ı	under cla	use (ii) of
			first prov	iso to se	ection 54	(3)					
		(e)	On accor		pplies m	ade to	SEZ	unit/ S	SEZ (develope	r (with
			payment	of tax)							
			_								
		(f)			pplies m	ade to	SEZ	unit/ S	SEZ (develope	r (without
			payment	of tax)							
		(g)	Recipien	t of deer	ned exp	ort sup	plies/	Supp	lier c	of deeme	d export
			supplies		1	1	1	- 11			1
		(h)									
			On acco	ount of o	rder						
				ype of o		Order	Or	der	Orde	er	Payment
			No.	JP or o	14451	No.	dat		Issui		reference
						1.0.				ority	no., if any
			(i) A	ssessme	ent						, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
				inalizati							
				rovision							
				ssessmei							
				ppeal							
				ny other	r order						
				specify)	order						
		(i)			tra-Stat	e sunni	v wh	ich is	suhe	eguently	held to be
											11010 10 00
		(i)	inter-State supply and vice versa (change of POS) (j) Excess payment of tax, if any								
		(1)	(j) Excess payment of tax, if any								
		(k)	(k) Any other (specify)								
		(A)	Any one	a (speci)	y)						

[DECLARATION [second proviso to section 54(3)]

I hereby declare that the goods exported are not subject to any export duty. I also declare that I have not availed any drawback of central excise duty/service tax/state tax on goods or services or both and that I have not claimed refund of the integrated tax paid on supplies in respect of which refund is claimed.

Signature Name – Designation / Status].

I hereby declare that the refund of ITC claimed in the application does not include ITC availed on goods or services used for making 'nil' rated or fully exempt supplies.

Signature

Name -

Designation / Status

DECLARATION [rule 89(2)(f)]

I hereby declare that the Special Economic Zone unit /the Special Economic Zone developer has not availed of the input tax credit of the tax paid by the applicant, covered under this refund claim.

Signature

Name -

Designation / Status

DECLARATION [rule 89(2)(g)]

(For recipient/supplier of deemed export)

In case refund claimed by recipient

I hereby declare that the refund has been claimed only for those invoices which have been detailed in statement 5B for the tax period for which refund is being claimed and the amount does not exceed the amount of input tax credit availed in the valid return filed for the said tax period. I also declare that the supplier has not claimed refund with respect to the said supplies.

In case refund claimed by supplier

I hereby declare that the refund has been claimed only for those invoices which have been detailed in statement 5B for the tax period for which refund is being claimed and the recipient shall not claim any refund with respect of the said supplies and also, the recipient has not availed any input tax credit on such supplies.

Signature

Name -

Designation / Status

UNDERTAKING

I hereby undertake to pay back to the Government the amount of refund sanctioned along with interest in case it is found subsequently that the requirements of clause (c) of sub-section (2) of section 16 read with sub-section (2) of section 42 of the CGST/SGST Act have not been complied with in respect of the amount refunded.

Signature Name – Designation / Status

SELF- DECLARATION [rule 89(2)(1)]

I/We ______ (Applicant) having GSTIN/ temporary Id -----, solemnly affirm and certify that in respect of the refund amounting to Rs. ---/ with respect to the tax, interest, or any other amount for the period from---to----, claimed in the refund application, the incidence of such tax and interest has not been passed on to any other person.

Signature

Name –

Designation / Status

(This Declaration is not required to be furnished by applicants, who are claiming refund under clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) or clause (f) of sub-section (8) of section 54.)

8. Verification

I/We<Taxpayer Name> hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed there from.

I/We declare that no refund on this account has been received by me/us earlier.

Place Signature of Authorised

Signatory

Date (Name)

Designation/Status

Annexure-1

Statement -1 [rule 89(5)]

Refund Type: ITC accumulated due to inverted tax structure [clause (ii) of first proviso to section 54(3)]

(Amount in Rs.)

Turnover of	Tax payable	Adjusted	Net input tax	Maximum refund
inverted rated	on such	total	credit	amount to be
supply of	inverted	turnover		claimed
goods and	rated supply			[(1×4÷3)-2]
services	of goods and			
	services			
1	2	3	4	5

Statement 1A [rule 89(2)(h)]

Refund Type: ITC accumulated due to inverted tax structure [clause (ii) of first proviso to section 54(3)]

Sl. No.	Details of invoices of inward supplies of inputs received				Tax paid on inward supplies of inputs			Details of invoices of outward supplies issued				Tax paid on outward supplies		
	GSTIN of the supplier *	No.	Date	Taxa ble Valu e	Integr ated Tax	Centr al Tax	State Tax /Union territory Tax	No.	Date	Taxabl e Value	Invoice type (B2B/B2 C)	Integr ated Tax	Central Tax	State Tax /Union territor y Tax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

^{*} In case of imports or supplies received under reverse charge mechanism [subsection (3) of section 9 of the CGST Act/ SGST Act or sub-section (3) of section 5 of IGST Act], the GSTIN of supplier will mean GSTIN of applicant (recipient).

Statement- 2 [rule 89(2)(c)]

Refund Type: Exports of services with payment of tax

(Amount in Rs.)

Sr. No.	In	Invoice details		Integrat	ed tax	Cess	BRC/ FIRC		Integrated tax and cess involved in debit note, if any	Integrated tax and cess involved in credit note, if any	Net Integrated tax and cess (6+7+10 - 11)
	No.	Date	Value	Taxable value	Amt.		No.	Date			
1	2	3	4	5	6	7	8 9		10	11	12

Statement- 3 [rule 89(2)(b) and 89(2)(c)]

Refund Type: Export without payment of tax (accumulated ITC)

(Amount in Rs.)

Sr. No.]	Invoice details			Shipping bill/ Bill of export			EGM Details		BRC/ FIRC	
	No.	Date	Value	(G/S)	Port code	No.	Date	Ref No.	Date	No.	Date
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11	12

Statement- 3A [rule 89(4)]

Refund Type: Export without payment of tax (accumulated ITC) – calculation of refund amount

Turnover of zero rated	Net input tax	Adjusted total	Refund amount
supply of goods and	credit	turnover	(1×2÷3)
services			
1	2	3	4

Refund Type: On account of supplies made to SEZ unit or SEZ Developer (on payment of tax)

(Amount in Rs.)

GSTIN of recipient	Invoice details		Shipping bill/ Bill of export/ Endorsed invoice by SEZ		Integrated Tax		Cess	Integrated tax and cess involved in debit note, if any	Integrated tax and cess involved in credit note, if any	Net Integrated tax and cess (8+9+10– 11)	
	No.	Date	Value	No.	Date	Taxable Value	Amt.				
1	2 3 4		5	6	7	8	9	10	11	12	

Statement-5A [rule 89(4)]

Refund Type: On account of supplies made to SEZ unit / SEZ developer without payment of tax (accumulated ITC) – calculation of refund amount

(Amount in Rs.)

Turnover of zero rated supply of goods and services	Net input tax credit	Adjusted total turnover	Refund amount (1×2÷3)
1	2	3	4

Statement 5B [rule 89(2)(g)]

Refund Type: On account of deemed exports

Sl. No.	case refund of invoic	l is clai es of in	med by nward su	ward supplies in supplier/Details applies in case recipient	Tax paid						
	GSTIN of the supplier	No.	Date	Taxable Value	Integrated Tax	Central Tax	State Tax /Union Territory Tax	Cess			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			

Statement-6 [rule 89(2)(j)]

Refund Type: On account of change in POS (inter-State to intra-State and vice versa)

Order Details (issued in pursuance of sections 77(1) and 77(2), if any:

Order No: Order Date: (Amount in Rs.)

Recipients'	Invoice details			tails	Details of tax paid on transaction				Taxes re-as	sessed or	n transa	ction	which	
GSTIN/					considered as intra –State / inter-State			were held inter State / intra-State supply						
UIN					t	transactio	n earli	er			subseq	uently		
Name					Integrated	Central	State/	Coss	Dlago	Integrated	Central	State/	Coss	Dlago
(in case					Ŭ		UT		_			UT		_
B2C)	> T	ъ .	* * 1	T 1.1	tax	tax			of	tax	tax			of .
	No.	Date	Value	Taxable			tax		Supply			tax		Supply
				Value										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					<u> </u>									

Statement-7 [rule 89(2)(k)]

Refund Type: Excess payment of tax, if any in case of last return filed.

(Amount in Rs.)

Tax period	ARN of	Date	Tax Paid in Excess				
	return	of	Integrated	Central	State/	Cess	
		filing	tax	tax	UT		
		return			tax		
1	2	3	4	5	6	7	

"

16. In the said rules, for FORM GSTR 9, the following form shall be substituted, namely:-

"FORM GSTR - 9

[See rule 80] Annual Return

Pt. I			Basic Details				
1	Financial Year						
2	GSTIN						
3A	Legal Name						
3B	Trade Name (if any)						
Pt. II	Details o	of Outward and	l inward supplies ma	ade during	the financ	ial year	
			• •	(A	mount in	☐ in all table	s)
	Nature of Sup	Taxable Value	Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess	
	1		2	3	4	5	6
4	Details of advances, in	nward and ou	tward supplies ma	de during	the finan	cial year on	which
	tax is payable						
A	Supplies made to un-repersons (B2C)						
В	Supplies made to regis (B2B)	-					
С	Zero rated supply (Exp payment of tax (except SEZs)						
D	Supply to SEZs on pay	ment of tax					
Е	Deemed Exports						
F	Advances on which tax paid but invoice has no issued (not covered un- (E) above)	t been					
G	Inward supplies on wh be paid on reverse char						
Н	Sub-total (A to G abov	e)					
I	Credit Notes issued in transactions specified i above (-)						
J	Debit Notes issued in r transactions specified i above (+)						
K	Supplies / tax declared Amendments (+)	C					
L	Supplies / tax reduced Amendments (-)	through					
M	Sub-total (I to L above)					
N	Supplies and advances tax is to be paid (H + N						
5	Details of Outward su	ipplies made o	during the financia	l year on v	which tax	is not payab	le
A	Zero rated supply (Exp payment of tax	ort) without					

					II.	
В	Supply to SEZs without payment of tax					
С	Supplies on which tax is to be paid by the recipient on reverse charge basis					
D	Exempted					
Е	Nil Rated					
	Non-GST supply (includes 'no					
F	supply')					
G	Sub-total (A to F above)					
**	Credit Notes issued in respect of					
Н	transactions specified in A to F above (-)					
	Debit Notes issued in respect of					
I	transactions specified					
	in A to F above (+)					
J	Supplies declared through					
3	Amendments (+)					
K	Supplies reduced through					
L	Amendments (-) Sub-Total (H to K above)					
L	Turnover on which tax is not to be					
M	paid (G + L above)					
N	Total Turnover (including advances) (4N + 5M - 4G above)					
Pt. III	Detai	ls of ITC for the fin	ancial year	•		
	Description	Type	Central	State	Integrated	Cess
			Tax	Tax /	Tax	
				UT Tax		
	1	2	3	4	5	6
6	Details of I	ΓC availed during t	the financi	ial vear		
	Total amount of input tax credit avai			July July		
Α	GSTR-3B (sum total of Table 4A of	FORM GSTR-3B)	<auto></auto>	<auto></auto>	<auto></auto>	<auto></auto>
	Inward supplies (other than imports	Inputs				
В	and inward supplies liable to reverse charge but includes services	Capital Goods				
	received from SEZs)	Input Services				
	Inward supplies received from	Inputs				
\mathbf{C}	unregistered persons liable to	Capital Goods				
	reverse charge (other than B above)	Input Services				
	on which tax is paid & ITC availed Inward supplies received from	Inputs				
	registered persons liable to reverse	Capital Goods				
D	charge (other than B above) on	Input Services				
	which tax is paid and ITC availed	input Services				
Е	Immant of anoda (in also din a assentia	Inputs				
	Import of goods (including supplies from SEZs)					
	from SEZs)	Capital Goods				
F		Capital Goods				
F G	from SEZs) Import of services (excluding inward	Capital Goods				
	from SEZs) Import of services (excluding inward SEZs) Input Tax credit received from ISD Amount of ITC reclaimed (other than	Capital Goods supplies from				
G	from SEZs) Import of services (excluding inward SEZs) Input Tax credit received from ISD	Capital Goods supplies from				

J	Difference (I - A abov	e)					
J	Transition Credit throu		ncluding revisions				
K	if any)		6				
L	Transition Credit throu	igh TRAN-II					
M	Any other ITC availed	but not specif	fied above				
N	Sub-total (K to M abo	ove)					
О	Total ITC availed (I +	N above)					
7	Details of ITC Rever	sed and Inelig	gible ITC for the fir	ancial yea	ır		
A	As per Rule 37						
В	As per Rule 39						
С	As per Rule 42						
D	As per Rule 43						
Е	As per section 17(5)						
F	Reversal of TRAN-I c						
G	Reversal of TRAN-II	credit					
Н	Other reversals (pl. sp	• /					
I	Total ITC Reversed (S		*				
J	Net ITC Available for	Utilization (60	O - 7I)				
8			ner ITC related info	ormation			
Α	ITC as per GSTR-2A	`		<auto></auto>	<auto></auto>	<auto></auto>	<auto></auto>
В	ITC as per sum total of 6(B) and 6(H) above			<auto></auto>			
	ITC on inward supplie						
C	supplies liable to rever received from SEZs) r						
	availed during April to						
D	Difference [A-(B+C)]						
Е	ITC available but not availed						
F	ITC available but ineli	gible					
	IGST paid on import of	of goods (inclu	ding supplies from				
G	SEZ)						
	IGST credit availed or	import of goo	ods (as per 6(E)				
H	above)			<auto></auto>			
I	Difference (G-H) ITC available but not a		aut of and da				
J	(Equal to I)	avanied on imp	ort of goods				
	Total ITC to be lapsed	in current fina	ancial year			- 4 - 1 - 5	
K	(E+F+J)			<auto></auto>	<auto></auto>	<auto></auto>	<auto></auto>
Pt. IV			declared in returns fi	led during	the financ	cial year	
	Description	Tax Payable	Paid through cash			rough ITC	
				Central	State	Integrated	Cess
				Tax	Tax / UT	Tax	
9					Tax		
	1	2	3	4	5	6	7
	Integrated Tax						
	Central Tax						
	State/UT Tax						
	Cess						
	Interest						
	T . 0						
	Late fee						

	Penalty							
	Other							
Pt. V				the previous FY dec				
		nt FY or u _l Descriptio	•	ng of annual return of Taxable Value	of previous Central	FY which	chever is earl Integrated	Cess
		Descriptio	11		Tax	Tax / UT Tax	Tax	Cess
		1		2	3	4	5	6
10	Supplies / t Amendmen notes)	ts (+) (net	of debit					
11	Supplies / ta Amendmen notes)	ts (-) (net o	of credit					
12	Reversal of previous fin							
13	ITC availed financial ye		evious					
14		Diffe	erential tax paid	d on account of decl	aration in	10 & 11 al	bove	
			Description		Paya	able	Pai	1
			1		2	2	3	
	Integrated T							
	Central Tax							
	State/UT Ta	ax						
	Cess							
	Interest							
Pt. VI				Other Information				
15	Details	Central	Partic State Tax /	culars of Demands a Integrated Tax	nd Refunds Cess	Interest	Donalty	Late
	Details	Tax	UT Tax	integrated Tax	Cess	interest	Penalty	Fee / Others
	1	2	3	4	5			
A	Total Refund claimed							
В	Total Refund sanctioned							
С	Total Refund Rejected							
D	Total Refund Pending							
Е	Total demand of taxes							
F	Total taxes paid in respect of E above							

Jharkhand Gazette (Extraordinary), Thursday, 24th January, 2019

G	Total demands pending out of E above							
16	Informatio	on on suppl		om composition taxy goods sent on appro		emed supp	oly under sect	ion 143
		Details		Taxable Value	Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess
		1		2	3	4	5	6
	Supplies red							
A	Compositio							
В	Deemed sup	pply under	Section 143					
	Goods sent		ıl basis but					
С	not returned	1						
17			HSN W	ise Summary of out	ward suppl	ies		
HSN Code	UQC	Total Quantity	Taxable Value	Rate of Tax	Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18			HSN W	vise Summary of Inv	vard suppli	ies		
HSN	UQC	Total	Taxable	Rate of Tax	Central	State	Integrated	
Code		Quantity	Value		Tax	Tax / UT Tax	Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19				Late fee payable and	d paid			
]	Description		Paya	able	Paic	1
			1		2		3	
A	Central Tax	(
В	State Tax							

Verification:

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed there from and in case of any reduction in output tax liability the benefit thereof has been/will be passed on to the recipient of supply.

Signature

Place Name of Authorised

Signatory

Date Designation /

Status

Instructions: -

1. Terms used:

a. GSTIN: Goods and Services Tax Identification Number

b. UQC: Unit Quantity Code

c. HSN: Harmonized System of Nomenclature Code

- 2. It is mandatory to file all your **FORM GSTR-1** and **FORM GSTR-3B** for the FY 2017-18 before filing this return. The details for the period between July 2017 to March 2018 are to be provided in this return.
- 3. It may be noted that additional liability for the FY 2017-18 not declared in FORM GSTR-1 and FORM GSTR-3B may be declared in this return. However, taxpayers cannot claim input tax credit unclaimed during FY 2017-18 through this return.
- 4. Part II consists of the details of all outward supplies & advances received during the financial year for which the annual return is filed. It may be noted that all the supplies for which payment has been made through **FORM GSTR-3B**between July 2017 to March 2018 shall be declared in this part. The instructions to fill Part II are as follows:

Table	Instructions
No.	
4A	Aggregate value of supplies made to consumers and unregistered persons on which tax has been paid shall be declared here. These will include details of supplies made through E-Commerce operators and are to be declared as net of credit notes or debit notes issued in this regard. Table 5, Table 7 along with respective amendments in Table 9 and Table 10 of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
4B	Aggregate value of supplies made to registered persons (including supplies made to UINs) on which tax has been paid shall be declared here. These will include supplies made through E-Commerce operators but shall not include supplies on which tax is to be paid by the recipient on reverse charge basis. Details of debit and credit notes are to be mentioned separately. Table 4A and Table 4C of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
4C	Aggregate value of exports (except supplies to SEZs) on which tax has been paid shall be declared here. Table 6A of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
4D	Aggregate value of supplies to SEZs on which tax has been paid shall be declared here. Table 6B of GSTR-1 may be used for filling up these details.
4E	Aggregate value of supplies in the nature of deemed exports on which tax has been paid shall be declared here. Table 6C of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
4F	Details of all unadjusted advances i.e. advance has been received and tax has been paid but invoice has not been issued in the current year shall be declared here. Table 11A of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
4G	Aggregate value of all inward supplies (including advances and net of credit and debit notes) on which tax is to be paid by the recipient (i.e.by the person filing the annual return) on reverse charge basis. This shall include supplies received from registered persons, unregistered persons on which tax is levied on reverse charge basis. This shall also include aggregate value of all import of services. Table 3.1(d) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.
41	Aggregate value of credit notes issued in respect of B to B supplies (4B), exports (4C), supplies to SEZs (4D) and deemed exports (4E) shall be declared here. Table 9B of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.

4J	Aggregate value of debit notes issued in respect of B to B supplies (4B), exports (4C), supplies to SEZs (4D) and deemed exports (4E) shall be declared here. Table 9B of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
4K &	Details of amendments made to B to B supplies (4B), exports (4C),
4L	supplies to SEZs (4D) and deemed exports (4E), credit notes (4I), debit notes (4J) and refund vouchers shall be declared here. Table 9A and Table 9C of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
5A	Aggregate value of exports (except supplies to SEZs) on which tax has not been paid shall be declared here. Table 6A of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
5B	Aggregate value of supplies to SEZs on which tax has not been paid shall be declared here. Table 6B of GSTR-1 may be used for filling up these details.
5C	Aggregate value of supplies made to registered persons on which tax is payable by the recipient on reverse charge basis. Details of debit and credit notes are to be mentioned separately. Table 4B of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
5D,5E	Aggregate value of exempted, Nil Rated and Non-GST supplies shall
and 5F	be declared here. Table 8 of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details. The value of "no supply" shall be declared under Non-GST supply (5F).
5H	Aggregate value of credit notes issued in respect of supplies declared in 5A, 5B, 5C, 5D, 5E and 5F shall be declared here. Table 9B of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
51	Aggregate value of debit notes issued in respect of supplies declared in 5A, 5B, 5C, 5D, 5E and 5F shall be declared here. Table 9B of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
5J & 5K	Details of amendments made to exports (except supplies to SEZs) and supplies to SEZs on which tax has not been paid shall be declared here. Table 9A and Table 9C of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
5N	Total turnover including the sum of all the supplies (with additional supplies and amendments) on which tax is payable and tax is not payable shall be declared here. This shall also include amount of advances on which tax is paid but invoices have not been issued in the current year. However, this shall not include the aggregate value of inward supplies on which tax is paid by the recipient (i.e. by the person filing the annual return) on reverse charge basis.

5. Part III consists of the details of all input tax credit availed and reversed in the financial year for which the annual return is filed. The instructions to fill Part III are as follows:

Table No.	Instructions
6A	Total input tax credit availed in Table 4A of FORM GSTR-3B for the
	taxpayer would be auto-populated here.
6B	Aggregate value of input tax credit availed on all inward supplies except those on which tax is payable on reverse charge basis but includes supply of services received from SEZs shall be declared here.

	It may be noted that the total ITC availed is to be also if ad as ITC -
	It may be noted that the total ITC availed is to be classified as ITC on inputs against a series Table 4(A)(5) of FORM
	inputs, capital goods and input services. Table 4(A)(5) of FORM
	GSTR-3B may be used for filling up these details.
	This shall not include ITC which was availed, reversed and then
	reclaimed in the ITC ledger. This is to be declared separately under
(0	6(H) below.
6C	Aggregate value of input tax credit availed on all inward supplies received from unregistered persons (other than import of services) on
	which tax is payable on reverse charge basis shall be declared here. It
	may be noted that the total ITC availed is to be classified as ITC on
	inputs, capital goods and input services. Table 4(A)(3) of FORM
6D	GSTR-3B may be used for filling up these details. Aggregate value of input tax credit availed on all inward supplies
מס	1
	received from registered persons on which tax is payable on reverse
	charge basis shall be declared here. It may be noted that the total ITC
	availed is to be classified as ITC on inputs, capital goods and input
	services. Table 4(A)(3) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.
6E	Details of input tax credit availed on import of goods including supply
OL.	of goods received from SEZs shall be declared here. It may be noted
	that the total ITC availed is to be classified as ITC on inputs and capital
	goods. Table 4(A)(1) of FORM GSTR-3B may be used for filling up
	these details.
6F	Details of input tax credit availed on import of services (excluding
	inward supplies from SEZs) shall be declared here. Table 4(A)(2) of
	FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.
6G	Aggregate value of input tax credit received from input service
	distributor shall be declared here. Table 4(A)(4) of FORM GSTR-3B
	may be used for filling up these details.
6H	Aggregate value of input tax credit availed, reversed and reclaimed
	under the provisions of the Act shall be declared here.
6J	The difference between the total amount of input tax credit availed
	through FORM GSTR-3B and input tax credit declared in row B to H
	shall be declared here. Ideally, this amount should be zero.
6K	Details of transition credit received in the electronic credit ledger on
	filing of FORM GST TRAN-I including revision of TRAN-I (whether
	upwards or downwards), if any shall be declared here.
6L	Details of transition credit received in the electronic credit ledger after
	filing of FORM GST TRAN-II shall be declared here.
6M	Details of ITC availed but not covered in any of heads specified under
	6B to 6L above shall be declared here. Details of ITC availed through
	FORM ITC-01 and FORM ITC-02 in the financial year shall be
5. 5.	declared here.
7A, 7B,	Details of input tax credit reversed due to ineligibility or reversals
7C, 7D,	required under rule 37, 39, 42 and 43 of the SGST Rules, 2017 shall be
7E, 7F,	declared here. This column should also contain details of any input tax
7G and	credit reversed under section 17(5) of the SGST Act, 2017 and details
7H	of ineligible transition credit claimed under FORM GST TRAN-I or
	FORM GST TRAN-II and then subsequently reversed. Table 4(B) of
	FORM GSTR-3B may be used for filling up these details. Any ITC
	reversed through FORM ITC -03 shall be declared in 7H. If the
	amount stated in Table 4D of FORM GSTR-3B was not included in
	table 4A of FORM GSTR-3B, then no entry should be made in table

	7E of FORM GSTR-9 . However, if amount mentioned in table 4D of
	FORM GSTR-3B was included in table 4A of FORM GSTR-3B,
	then entry will come in 7E of FORM GSTR-9.
8A	The total credit available for inwards supplies (other than imports and
	inwards supplies liable to reverse charge but includes services received
	from SEZs) pertaining to FY2017-18 and reflected in FORM GSTR-
	2A (table 3 & 5 only) shall be auto-populated in this table. This would
	be the aggregate of all the input tax credit that has been declared by the
	corresponding suppliers in their FORM GSTR-1 .
8B	The input tax credit as declared in Table 6B and 6Hshall be auto-
	populated here.
8C	Aggregate value of input tax credit availed on all inward supplies
	(except those on which tax is payable on reverse charge basis but
	includes supply of services received from SEZs) received during July
	2017 to March 2018 but credit on which was availed between April to
	September 2018 shall be declared here. Table 4(A)(5) of FORM
	GSTR-3B may be used for filling up these details.
8D	Aggregate value of the input tax credit which was available in FORM
	GSTR-2A (table 3 & 5 only) but not availed in FORM GSTR-3B
	returns shall be computed based on values of 8A, 8B and 8C.
	However, there may be circumstances where the credit availed in
	FORM GSTR-3B was greater than the credit available in FORM
	GSTR-2A . In such cases, the value in row 8D shall be negative.
8E & 8F	The credit which was available and not availed in FORM GSTR-3B
	and the credit was not availed in FORM GSTR-3B as the same was
	ineligible shall be declared here. Ideally, if 8D is positive, the sum of
	8E and 8F shall be equal to 8D.
8G	Aggregate value of IGST paid at the time of imports (including imports
	from SEZs) during the financial year shall be declared here.
8H	The input tax credit as declared in Table 6E shall be auto-populated
	here.
8K	The total input tax credit which shall lapse for the current financial
	year shall be computed in this row.

- 6.Part IV is the actual tax paid during the financial year. Payment of tax under Table 6.1 of **FORM GSTR-3B** may be used for filling up these details.
 - 7. Part V consists of particulars of transactions for the previous financial year but paid in the **FORM GSTR-3B** of April to September of current FY or date of filing of Annual Return for previous financial year (for example in the annual return for the FY 2017-18, the transactions declared in April to September 2018 for the FY 2017-18 shall be declared), whichever is earlier. The instructions to fill Part V are as follows:

Table No.	Instructions
10 & 11	Details of additions or amendments to any of the supplies already
	declared in the returns of the previous financial year but such
	amendments were furnished in Table 9A, Table 9B and Table 9C
	of FORM GSTR-1 of April to September of the current
	financial year or date of filing of Annual Return for the previous
	financial year, whichever is earlier shall be declared here.

12	Aggregate value of reversal of ITC which was availed in the previous financial year but reversed in returns filed for the months of April to September of the current financial year or date of filing of Annual Return for previous financial year, whichever is earlier shall be declared here. Table 4(B) of FORM
13	GSTR-3B may be used for filling up these details. Details of ITC for goods or services received in the previous
	financial year but ITC for the same was availed in returns filed for the months of April to September of the current financial year or date of filing of Annual Return for the previous financial year whichever is earlier shall be declared here. Table 4(A) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details. However, any ITC which was reversed in the FY 2017-18 as per second proviso to sub-section (2) of section 16 but was reclaimed in FY 2018-19, the details of such ITC reclaimed shall be furnished in the annual return for FY 2018-19.

8. Part VI consists of details of other information. The instructions to fill Part VI are as follows:

Table	Instructions
No.	
15A,	Aggregate value of refunds claimed, sanctioned, rejected and
15B,	pending for processing shall be declared here. Refund claimed
15C and	will be the aggregate value of all the refund claims filed in the
15D	financial year and will include refunds which have been
	sanctioned, rejected or are pending for processing. Refund
	sanctioned means the aggregate value of all refund sanction
	orders. Refund pending will be the aggregate amount in all
	refund application for which acknowledgement has been received
	and will exclude provisional refunds received. These will not
	include details of non-GST refund claims.
15E,	Aggregate value of demands of taxes for which an order
15F and	confirming the demand has been issued by the adjudicating
15G	authority shall be declared here. Aggregate value of taxes paid
	out of the total value of confirmed demand as declared in 15E
	above shall be declared here. Aggregate value of demands
	pending recovery out of 15E above shall be declared here.
16A	Aggregate value of supplies received from composition taxpayers
	shall be declared here. Table 5 of FORM GSTR-3B may be
	used for filling up these details.
16B	Aggregate value of all deemed supplies from the principal to the
	job-worker in terms of sub-section (3) and sub-section (4) of
	Section 143 of the SGST Act shall be declared here.
16C	Aggregate value of all deemed supplies for goods which were
	sent on approval basis but were not returned to the principal

	supplier within one eighty days of such supply shall be declared
	here.
17 & 18	Summary of supplies effected and received against a particular
	HSN code to be reported only in this table. It will be optional for
	taxpayers having annual turnover upto 1.50 Cr. It will be
	mandatory to report HSN code at two digits level for taxpayers
	having annual turnover in the preceding year above 1.50 Cr
	but upto \square 5.00 Cr and at four digits' level for taxpayers having
	annual turnover above 5.00 Cr. UQC details to be furnished
	only for supply of goods. Quantity is to be reported net of
	returns. Table 12 of FORM GSTR-1 may be used for filling
	up details in Table 17. It may be noted that this summary
	details are required to be declared only for those inward
	supplies which in value independently account for 10 % or
	more of the total value of inward supplies.
19	Late fee will be payable if annual return is filed after the due
	date.

9. Towards the end of the return, taxpayers shall be given an option to pay any additional liability declared in this form, through FORM DRC-03. Taxpayers shall select "Annual Return" in the drop down provided in FORM DRC-03. It may be noted that such liability can be paid through electronic cash ledger only.".

17. In the said rules, for FORM GSTR 9A, the following form shall be substituted, namely:-

"FORM GSTR – 9A

[See rule 80]

Annual Return (For Composition Taxpayer)

Pt. I	Basic Details						
1	Financial Year						
2	GSTIN						
3A	Legal Name	<auto></auto>					
3B	Trade Name (if any)	<auto></auto>					
	Period of composition	scheme durin	g the year				
4	(From To)						
5	Aggregate Turnover of	Previous Fin	ancial Year				
					(Amou	nt in 🗌 in all	tables)
Pt. II	Details of outv	ward and inwa	ırd supplies ı	made duri	ing the fir	nancial year	
	Description	Turnover	Rate of	Central	State /	Integrated	Cess
			Tax	Tax	UT	tax	
					Tax		
	1	2	3	4	5	6	7

6	Details of Outward supplies made during the financial year						
A	Taxable						
В	Exempted, Nil-rated						
С	Total						
	Details of inward su	pplies on wh	ich tax is pay	able on r	everse ch	arge basis (n	et of
7		debit/credit				· ·	
	Description	Taxable	Central	Tax	State	Integrated	Cess
		Value			Tax /	Tax	
					UT		
					Tax		
	1	2	3		4	5	6
	Inward supplies						
A	liable to reverse						
7 1	charge received from						
	registered persons						
	Inward supplies						
В	liable to reverse						
	charge received from						
~	unregistered persons						
С	Import of services						
D	Net Tax Payable on						
D	(A), (B) and (C)						
8	Details of other inward supplies for the financial year						
0	Inward supplies from	3 Of Other my	ara sappires		Traire rair y	Cui	
	^ ^						
Α	registered persons						
A	registered persons (other than 7A above)						
АВ	(other than 7A above)			_			
	(other than 7A above) Import of Goods	oaid as declar	ed in returns	filed dur	ing the fi	nancial year	
В	(other than 7A above)		ed in returns Total tax 1			nancial year Paid	
B Pt. III	(other than 7A above) Import of Goods Details of tax p						
B Pt. III	(other than 7A above) Import of Goods Details of tax p Description 1 Integrated Tax		Total tax 1			Paid	
B Pt. III	(other than 7A above) Import of Goods Details of tax p Description		Total tax 1			Paid	
B Pt. III	(other than 7A above) Import of Goods Details of tax p Description 1 Integrated Tax		Total tax 1			Paid	
B Pt. III	(other than 7A above) Import of Goods Details of tax p Description 1 Integrated Tax Central Tax		Total tax 1			Paid	
B Pt. III	(other than 7A above) Import of Goods Details of tax p Description Integrated Tax Central Tax State/UT Tax Cess Interest		Total tax 1			Paid	
B Pt. III	(other than 7A above) Import of Goods Details of tax p Description 1 Integrated Tax Central Tax State/UT Tax Cess Interest Late fee		Total tax 1			Paid	
B Pt. III	(other than 7A above) Import of Goods Details of tax p Description I Integrated Tax Central Tax State/UT Tax Cess Interest Late fee Penalty		Total tax j	payable		Paid 3	
B Pt. III 9	(other than 7A above) Import of Goods Details of tax p Description 1 Integrated Tax Central Tax State/UT Tax Cess Interest Late fee Penalty Particulars of the tra	ansactions for	Total tax j	s FY decl	ared in re	Paid 3 eturns of Apr	
B Pt. III	(other than 7A above) Import of Goods Details of tax p Description I Integrated Tax Central Tax State/UT Tax Cess Interest Late fee Penalty	ansactions for	Total tax j	s FY decl	ared in re	Paid 3 eturns of Apr	
B Pt. III 9	(other than 7A above) Import of Goods Details of tax p Description 1 Integrated Tax Central Tax State/UT Tax Cess Interest Late fee Penalty Particulars of the tra September of curre	ansactions for	Total tax j	s FY decl	ared in re	Paid 3 eturns of Apr of previous	FY
B Pt. III 9	(other than 7A above) Import of Goods Details of tax p Description 1 Integrated Tax Central Tax State/UT Tax Cess Interest Late fee Penalty Particulars of the tra	ansactions for	Total tax j	s FY decl ng of annuarlier Central	ared in real areturn	Paid 3 eturns of Apr of previous Integrated	
B Pt. III 9	(other than 7A above) Import of Goods Details of tax p Description 1 Integrated Tax Central Tax State/UT Tax Cess Interest Late fee Penalty Particulars of the tra September of curre	ansactions for	Total tax j	s FY decl	ared in return State Tax /	Paid 3 eturns of Apr of previous	FY
B Pt. III 9	(other than 7A above) Import of Goods Details of tax p Description 1 Integrated Tax Central Tax State/UT Tax Cess Interest Late fee Penalty Particulars of the tra September of curre	ansactions for	Total tax j	s FY decl ng of annuarlier Central	ared in real areturn	Paid 3 eturns of Apr of previous Integrated	FY

Jharkhand Gazette (Extraordinary), Thursday, 24th January, 2019

	1			2	3	4	5	6
	Supplies / tax (outward) declared							
10	through Amendments (+) (net of							
	debit notes)							
	Inward suppl							
11	charge declared through Amendments (+) (net of debit							
11								
	notes)	notes)						
	Supplies / tax	x (outward	l) reduced					
12	through							
12	Amendments	s (-) (net o	f credit					
	notes)							
	Inward suppl							
13	charge reduc	_						
	Amendments	s (-) (net o	f credit					
1.1	notes)		• •		1	10 11	10 0 10 1	
14	Differen		id on account	t of declaration				
		Desc	ription			able	Paid	1
	1 4 1 1 7		1			2	3	
	Integrated Tax Central Tax	ıx ———						
		_						
	State/UT Tax	<u> </u>						
	Cess Interest							
Pt. V	interest			ther Informa	tion			
15. V				of Demands		ınde		
13	Description	Central	State Tax /	Integrated	Cess	Interest	Penalty	Late
		Tax	UT Tax	Tax				Fee /
								Others
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	2	3	4	3	6	/	8
	Total							
A	Refund							
	claimed							
D	Total							
В	Refund sanctioned							
	Total							
C	Refund							
	Rejected							
-	Total							
D	Refund							
	Pending Total							
Е	demand of							
	taxes	I		1				

Jharkhand Gazette (Extraordinary), Thursday, 24th January, 2019

F	Total taxes paid in respect of E above Total							
G	demands pending out of E above							
16			Details of	credit revers	ed or avai	iled		
		Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess			
	1				2	3	4	5
	Credit revers	nposition						
A	scheme (-)							
В	Credit availed on opting out of the composition scheme (+)							
17			Late	fee payable a	and paid			
	Description			Pay	able	Paic	i	
	1			2	2	3		
A	Central Tax							
В	State Tax							·

Verification:

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed there from and in case of any reduction in output tax liability the benefit thereof has been/will be passed on to the recipient of supply.

Place Signature

Name of Authorised Signatory

Date

Designation / Status

Instructions: -

- 1. It is mandatory to file all your **FORM GSTR-4** for the FY 2017-18 before filing this return. The details for the period between July 2017 to March 2018 shall be provided in this return.
- 2. It may be noted that additional liability for the FY 2017-18 not declared in **FORM GSTR-4** may be declared in this return.
- 3. Part I consists of basic details of taxpayer. The instructions to fill Part I are as follows:

Table No.	Instructions
5	Aggregate turnover for the previous financial year is the turnover of the
	financial year previous to the year for which the return is being filed.
	For example for the annual return for FY 2017-18, the aggregate
	turnover of FY 2016-17 shall be entered into this table. It is the sum

total of turnover of all taxpayers registered on the same PAN.

4. Part II consists of the details of all outward and inward supplies in the financial year for which the annual return is filed. The instructions to fill Part II are as follows:

Table No.	Instructions
6A	Aggregate value of all outward supplies net of debit notes / credit notes,
	net of advances and net of goods returned for the entire financial year
	shall be declared here. Table 6 and Table 7 of FORM GSTR-4 may be
	used for filling up these details.
6B	Aggregate value of exempted, Nil Rated and Non-GST supplies shall be declared here.
7A	Aggregate value of all inward supplies received from registered persons
/11	on which tax is payable on reverse charge basis shall be declared here.
	Table 4B, Table 5 and Table 8A of FORM GSTR-4 may be used for
	filling up these details.
7B	Aggregate value of all inward supplies received from unregistered
, 5	persons (other than import of services) on which tax is payable on
	reverse charge basis shall be declared here. Table 4C, Table 5 and Table
	8A of FORM GSTR-4 may be used for filling up these details.
7C	Aggregate value of all services imported during the financial year shall
	be declared here. Table 4D and Table 5 of FORM GSTR-4 may be
	used for filling up these details.
8A	Aggregate value of all inward supplies received from registered persons
	on which tax is payable by the supplier shall be declared here. Table 4A
	and Table 5 of FORM GSTR-4 may be used for filling up these details.
8B	Aggregate value of all goods imported during the financial year shall be
	declared here.

5. Part IV consists of the details of amendments made for the supplies of the previous financial year in the returns of April to September of the current FY or date of filing of Annual Return for previous financial year (for example in the annual return for the FY 2017-18, the transactions declared in April to September 2018 for the FY 2017-18 shall be declared), whichever is earlier. The instructions to fill Part V are as follows:

Table No.	Instructions
	Details of additions or amendments to any of the supplies already
10,11,12,13	declared in the returns of the previous financial year but such
and 14	amendments were furnished in Table 5 (relating to inward supplies)
	or Table 7 (relating to outward supplies) of FORM GSTR- 4 of
	April to September of the current financial year or upto the date of
	filing of Annual Return for the previous financial year, whichever is
	earlier shall be declared here.

6. Part V consists of details of other information. The instruction to fill Part V are as follows:

Table	e No.	Instructions
15A,	15B,	Aggregate value of refunds claimed, sanctioned, rejected and pending for
15C	and	processing shall be declared here. Refund claimed will be the aggregate value
15D		of all the refund claims filed in the financial year and will include refunds

	which have been sanctioned, rejected or are pending for processing. Refund						
	sanctioned means the aggregate value of all refund sanction orders. Refund						
	pending will be the aggregate amount in all refund application for which						
	acknowledgement has been received and will exclude provisional refunds						
	received. These will not include details of non-GST refund claims.						
15E, 15F	Aggregate value of demands of taxes for which an order confirming the						
and 15G	demand has been issued by the adjudicating authority has been issued shall be						
	declared here. Aggregate value of taxes paid out of the total value of confirmed						
	demand in 15E above shall be declared here. Aggregate value of demands						
	pending recovery out of 15E above shall be declared here.						
16A	Aggregate value of all credit reversed when a person opts to pay tax under the						
	composition scheme shall be declared here. The details furnished in FORM						
	ITC-03 may be used for filling up these details.						
16B	Aggregate value of all the credit availed when a registered person opts out of						
	the composition scheme shall be declared here. The details furnished in						
	FORM ITC-01 may be used for filling up these details.						
17	Late fee will be payable if annual return is filed after the due date.";						

- 7. Towards the end of the return, taxpayers shall be given an option to pay any additional liability declared in this form, through **FORM DRC-03**. Taxpayers shall select "Annual Return" in the drop down provided in **FORM DRC-03**. It may be noted that such liability shall be paid through electronic cash ledger only.".
- 18. In the said rules, for FORM GSTR 9C, the following form shall be substituted, namely:-

"FORM GSTR-9C

See rule 80(3)

PART – A - Reconciliation Statement

Pt. I	Basic Details						
	Financial						
1	Year						
2	GSTIN						
	Legal						
3A	Name		< Auto>				
	Trade						
	Name (if						
3B	any)	<auto></auto>					
4	Are you liabl	e to audit under any Act? << Please specify>>					
		(Amount in \square in all tables)					
Pt.	Reconciliat	ion of turnover declared in	audited An	nual l	Financial Statement		
II	with turnover declared in Annual Return (GSTR9)						
5	Reconciliation of Gross Turnover						
	Turnover (including exports) as per audited financial						
A	statements for the State / UT (For multi-GSTIN units						
	under same PAN the turnover shall be derived from the						
	audited Annual Financial Statement)						
В	Unbilled reve	enue at the beginning of Finar	(+)				
\mathbf{C}	Unadjusted advances at the end of the Financial						
	Year		(+)				

Е		Notes issued after the end of the financial reflected in the annual return			(-)			
		ints accounted for	ed					
F	Annual Financial Statement but are not permissible							
~	under GST							
G		m April 2017 to J			(-)			
Н		enue at the end of			(-)			
I	Financial Yea				(-)			
J	Financial Star GST	accounted for in t tement but are no	t permissible	under	(+)			
K	Adjustments units to DTA	on account of sup Units	ply of goods	by SEZ	(-)			
L	Turnover for	the period under	composition	scheme	(-)			
M	Adjustments there under	in turnover under	section 15 a	nd rules	(+/-			
N	Adjustments fluctuations	in turnover due to	foreign exc	hange	(+/-			
О	Adjustments above	in turnover due to	reasons not	listed	(+/-			
P	Annual turno	ver after adjustme	ents as above	,		<a< td=""><td>uto></td></a<>	uto>	
Q	Annual turnover after adjustments as above <auto> Turnover as declared in Annual Return (GSTR9)</auto>							
R	Un-Reconciled turnover (Q - P) AT1							
6	Reasons for Un - Reconciled difference in Annual Gross Turnover							
A	Reason 1			< <tex< th=""><th></th><th></th><th></th></tex<>				
В	Reason 2 < <text>></text>							
C	Reason 3			< <tex< th=""><th><t>></t></th><th></th><th></th></tex<>	<t>></t>			
7		Reconci	liation of Ta	xable Tur	nover			
A	Annual turno	ver after adjustme	ents (from 5I	above)		<auto></auto>		
~		mpted, Nil Rated	Non-GST s	upplies, No)-			
В	Supply turnov							
С	Zero rated supplies without payment of tax							
D	Supplies on which tax is to be paid by the recipient on reverse charge basis							
Е	Taxable turnover as per adjustments above (A-B-C-D) <auto></auto>							
F	Taxable turnover as per liability declared in Annual Return (GSTR9)							
G	Unreconciled taxable turnover (F-E) AT 2							
8		asons for Un - Re	econciled dif			le turnove	er	
A	Reason 1 < <text>></text>							
В	Reason 2 < <text>></text>							
C	Reason 3 < <text>></text>							
Pt. III	Reconciliation of tax paid							
9	Recon	ciliation of rate	wise liability	y and amo	unt pa	yable thei	reon	
					x paya	ible		
	Description	Taxable Value	Central tax	State tax / UT tax	Int	tegrated Tax	Cess, if applicable	
	1	2	3	4		5	6	

В	5% (RC)						
С	12%						
D	12% (RC)						
Е	18%						
F	18% (RC)						
G	28%						
Н	28% (RC)						
I	3%						
J	0.25%						
K	0.10%						
L	Interest						
M	Late Fee						
N	Penalty						
O	Others						
	Total						
	amount to						
P	be paid as						
	per tables						
	above Total			<auto></auto>	<auto></auto>	<auto></auto>	<auto></auto>
	amount						
	paid as						
Q	declared in						
	Annual						
	Return						
	(GSTR 9) Un-						
	reconciled						
R	payment of						
	amount						
10	(PT1)						
10		Reaso	ns for ur	1-reconcile		of amount	
A	Reason 1				< <tex< td=""><td></td><td></td></tex<>		
В	Reason 2				< <tex< td=""><td></td><td></td></tex<>		
С	Reason 3	-		•	< <tex< td=""><td></td><td></td></tex<>		
11	Additiona	d amount				reasons specifie	ed under
	Tables 6,8 and 10 above) To be paid through Cash						
				Control	State		Coss if
				Central tax	tax / UT	Integrated tax	Cess, if applicable
	Description	Taxable	e Value	tux	tax		аррисаетс
	1	2		3	4	5	6
	5%						
	12%	2%					
	18%						
	28%						
	3%						
	0.25%						
	0.10%						
	Interest						
	Late Fee						

	Penalty			
	Others			
	(please specify)			
Pt.	specify)			
IV.	Red	conciliation of Inpu	ıt Tax Credit (ITC)
12	Recor	nciliation of Net In	put Tax Credi	t (ITC)
	ITC availed as per aud			
	the State/ UT (For m			
A		rived from books of		
В	ITC booked in earlie			
В	ITC booked in current	Financial Year to be	(+	.)
C	in subsequent Financia		(-)	
	ITC availed as per aud			
D	account			<auto></auto>
Е	ITC claimed in Annual	Return (GSTR9)		
F	Un-reconciled ITC			ITC 1
13		ons for un-reconci	led difference	
A	Reason 1		< <text>></text>	
В	Reason 2		< <text>></text>	>
C	Reason 3		< <text>></text>	>
	_	declared in Annu		TR9) with ITC availed
14				nt or books of account
			Amount of	
	Description	Value	Total ITC	ITC availed
				TT C uvunou
	1	2	3	4
A	Purchases			
В	Freight / Carriage			
C	Power and Fuel			
	Imported goods			
D	(Including received from SEZs)			
E	Rent and Insurance			
L				
	Goods lost stolen			
	Goods lost, stolen, destroyed, written off			
F	destroyed, written off or disposed of by			
F	destroyed, written off or disposed of by way of gift or free			
	destroyed, written off or disposed of by way of gift or free samples			
F G	destroyed, written off or disposed of by way of gift or free samples Royalties			
G	destroyed, written off or disposed of by way of gift or free samples Royalties Employees' Cost			
	destroyed, written off or disposed of by way of gift or free samples Royalties Employees' Cost (Salaries, wages,			
G H	destroyed, written off or disposed of by way of gift or free samples Royalties Employees' Cost (Salaries, wages, Bonus etc.)			
G H	destroyed, written off or disposed of by way of gift or free samples Royalties Employees' Cost (Salaries, wages, Bonus etc.) Conveyance charges			
G H I J	destroyed, written off or disposed of by way of gift or free samples Royalties Employees' Cost (Salaries, wages, Bonus etc.) Conveyance charges Bank Charges			
G H	destroyed, written off or disposed of by way of gift or free samples Royalties Employees' Cost (Salaries, wages, Bonus etc.) Conveyance charges Bank Charges Entertainment			
G H I J	destroyed, written off or disposed of by way of gift or free samples Royalties Employees' Cost (Salaries, wages, Bonus etc.) Conveyance charges Bank Charges			
G H I J	destroyed, written off or disposed of by way of gift or free samples Royalties Employees' Cost (Salaries, wages, Bonus etc.) Conveyance charges Bank Charges Entertainment charges Stationery Expenses (including postage			
G H I J K	destroyed, written off or disposed of by way of gift or free samples Royalties Employees' Cost (Salaries, wages, Bonus etc.) Conveyance charges Bank Charges Entertainment charges Stationery Expenses (including postage etc.)			
G H I J K	destroyed, written off or disposed of by way of gift or free samples Royalties Employees' Cost (Salaries, wages, Bonus etc.) Conveyance charges Bank Charges Entertainment charges Stationery Expenses (including postage			

N						
0	Capital goods					
OP	Cupital goods					
Q	ring concrempense r					
Ų	Total amount					
R	eligible ITC a				< <a< td=""><td>uto>></td></a<>	uto>>
	ITC claimed i	in				
G	Annual Retur	n				
S	(GSTR9) Un-reconciled	4 ITC				
T	(ITC 2)					
15	()	Reasons	for un - reconc	iled differe	nce in ITC	
A	Reason 1			< <tex< td=""><td></td><td></td></tex<>		
В	Reason 2			< <tex< td=""><td>t>></td><td></td></tex<>	t>>	
C	Reason 3			< <tex< td=""><td>t>></td><td></td></tex<>	t>>	
	Tax payable	e on un-reco			lue to reasons sp	pecified in
16			13 and 15	above)		
	Description		A	mount Paya	ble	
	Central Tax					
	State/UT Tax					
	Integrated					
	Tax					
	Cess					
	Interest					
	Penalty					
Pt.				-1 T : -1.:1:4-	J 4	
Pt. V		commenda	tion on addition		due to non-reco	onciliation
		commenda		To be pa	due to non-reco	
		commendat	Central			Cess, if
		Value	Central tax	To be pa State tax / UT tax	Integrated tax	Cess, if applicable
	Auditor's re Description		Central	To be pa State tax / UT	id through Cash	Cess, if
	Auditor's re Description 1 5%	Value	Central tax	To be pa State tax / UT tax	Integrated tax	Cess, if applicable
	Description 1 5% 12%	Value	Central tax	To be pa State tax / UT tax	Integrated tax	Cess, if applicable
	Description 1 5% 12% 18%	Value	Central tax	To be pa State tax / UT tax	Integrated tax	Cess, if applicable
	Description 1 5% 12% 18% 28%	Value	Central tax	To be pa State tax / UT tax	Integrated tax	Cess, if applicable
	Description 1 5% 12% 18% 28% 3%	Value	Central tax	To be pa State tax / UT tax	Integrated tax	Cess, if applicable
	Description 1 5% 12% 18% 28% 3% 0.25%	Value	Central tax	To be pa State tax / UT tax	Integrated tax	Cess, if applicable
	Description 1 5% 12% 18% 28% 3% 0.25% 0.10%	Value	Central tax	To be pa State tax / UT tax	Integrated tax	Cess, if applicable
	Description 1 5% 12% 18% 28% 3% 0.25% 0.10% Input Tax	Value	Central tax	To be pa State tax / UT tax	Integrated tax	Cess, if applicable
	Description 1 5% 12% 18% 28% 3% 0.25% 0.10% Input Tax Credit	Value	Central tax	To be pa State tax / UT tax	Integrated tax	Cess, if applicable
	Description 1 5% 12% 18% 28% 3% 0.25% 0.10% Input Tax Credit Interest	Value	Central tax	To be pa State tax / UT tax	Integrated tax	Cess, if applicable
	Description 1 5% 12% 18% 28% 3% 0.25% 0.10% Input Tax Credit Interest Late Fee	Value	Central tax	To be pa State tax / UT tax	Integrated tax	Cess, if applicable
	Description 1 5% 12% 18% 28% 3% 0.25% 0.10% Input Tax Credit Interest	Value	Central tax	To be pa State tax / UT tax	Integrated tax	Cess, if applicable
	Description 1 5% 12% 18% 28% 3% 0.25% 0.10% Input Tax Credit Interest Late Fee Penalty Any other amount	Value	Central tax	To be pa State tax / UT tax	Integrated tax	Cess, if applicable
	Description 1 5% 12% 18% 28% 3% 0.25% 0.10% Input Tax Credit Interest Late Fee Penalty Any other amount paid for	Value	Central tax	To be pa State tax / UT tax	Integrated tax	Cess, if applicable
	Description 1 5% 12% 18% 28% 3% 0.25% 0.10% Input Tax Credit Interest Late Fee Penalty Any other amount	Value	Central tax	To be pa State tax / UT tax	Integrated tax	Cess, if applicable

Return (GSTR 9)			
Erroneous refund to be paid back			
Outstanding demands to be settled			
Other (Pl. specify)			

Verification:

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed there from.

**(Signature and stamp/Seal of the Auditor
Place:
Name of the signatory
Membership No
Date:
Full address

Verification of registered person:

I hereby solemnly affirm and declare that I am uploading the reconciliation statement in **FORM GSTR-9C** prepared and duly signed by the Auditor and nothing has been tampered or altered by me in the statement. I am also uploading other statements, as applicable, including financial statement, profit and loss account and balance sheet etc.

Signature

Place: Date:

Name of Authorized Signatory Designation/status

Instructions: –

- 1. Terms used:
 - (a) GSTIN: Goods and Services Tax Identification Number
- 2. It is mandatory to file all your **FORMGSTR-1**, **FORM GSTR-3B and FORM GSTR -9** for the FY 2017-18 before filing this return. The details for the period between July 2017 to March 2018 are to be provided in this statement for the financial year 2017-18. The reconciliation statement is to be filed for every GSTIN separately.
- 3. The reference to current financial year in this statement is the financial year for which the reconciliation statement is being filed for.
- 4. Part II consists of reconciliation of the annual turnover declared in the audited Annual Financial Statement with the turnover as declared in the Annual Return furnished in **FORM GSTR-9** for this GSTIN. The instructions to fill this part are as follows:-

Table	Instructions
No.	
	The turnover as per the audited Annual Financial Statement shall be declared here. There may be cases where multiple GSTINs (State-wise) registrations exist on the same PAN. This is

5B	common for persons / entities with presence over multiple States. Such persons / entities, will have to internally derive their GSTIN wise turnover and declare the same here. This shall include export turnover (if any). It may be noted that reference to audited Annual Financial Statement includes reference to books of accounts in case of persons / entities having presence over multiple States. Unbilled revenue which was recorded in the books of accounts
36	on the basis of accrual system of accounting in the last financial year and was carried forward to the current financial year shall be declared here. In other words, when GST is payable during the financial year on such revenue (which was recognized earlier), the value of such revenue shall be declared here. (For example, if rupees Ten Crores of unbilled revenue existed for the financial year 2016-17, and during the current financial year, GST was paid on rupees Four Crores of such revenue, then value of rupees Four Crores rupees shall be declared here)
5C	Value of all advances for which GST has been paid but the same has not been recognized as revenue in the audited Annual Financial Statement shall be declared here.
5D	Aggregate value of deemed supplies under Schedule I of the SGST Act, 2017 shall be declared here. Any deemed supply which is already part of the turnover in the audited Annual Financial Statement is not required to be included here.
5E	Aggregate value of credit notes which were issued after 31 st of March for any supply accounted in the current financial year but such credit notes were reflected in the annual return (GSTR-9) shall be declared here.
5F	Trade discounts which are accounted for in the audited Annual Financial Statement but on which GST was leviable (being not permissible) shall be declared here.
5G	Turnover included in the audited Annual Financial Statement for April 2017 to June 2017 shall be declared here.
5H	Unbilled revenue which was recorded in the books of accounts on the basis of accrual system of accounting during the current financial year but GST was not payable on such revenue in the same financial year shall be declared here.
51	Value of all advances for which GST has not been paid but the same has been recognized as revenue in the audited Annual Financial Statement shall be declared here.
5J	Aggregate value of credit notes which have been accounted for in the audited Annual Financial Statement but were not admissible under Section 34 of the SGST Act shall be declared here.
5K	Aggregate value of all goods supplied by SEZs to DTA units for which the DTA units have filed bill of entry shall be declared here.
5L 5M	There may be cases where registered persons might have opted out of the composition scheme during the current financial year. Their turnover as per the audited Annual Financial Statement would include turnover both as composition taxpayer as well as normal taxpayer. Therefore, the turnover for which GST was paid under the composition scheme shall be declared here.
JIVI	There may be cases where the taxable value and the invoice

5N	value differ due to valuation principles under section 15 of the SGST Act, 2017 and rules there under. Therefore, any difference between the turnover reported in the Annual Return (GSTR 9) and turnover reported in the audited Annual Financial Statement due to difference in valuation of supplies shall be declared here.
5N	Any difference between the turnover reported in the Annual Return (GSTR9) and turnover reported in the audited Annual Financial Statement due to foreign exchange fluctuations shall be declared here.
50	Any difference between the turnover reported in the Annual Return (GSTR9) and turnover reported in the audited Annual Financial Statement due to reasons not listed above shall be declared here.
5Q	Annual turnover as declared in the Annual Return (GSTR 9) shall be declared here. This turnover may be derived from Sr. No. 5N, 10 and 11 of Annual Return (GSTR 9).
6	Reasons for non-reconciliation between the annual turnover declared in the audited Annual Financial Statement and turnover as declared in the Annual Return (GSTR 9) shall be specified here.
7	The table provides for reconciliation of taxable turnover from the audited annual turnover after adjustments with the taxable turnover declared in annual return (GSTR-9).
7A	Annual turnover as derived in Table 5P above would be autopopulated here.
7B	Value of exempted, nil rated, non-GST and no-supply turnover shall be declared here. This shall be reported net of credit notes, debit notes and amendments if any.
7C	Value of zero rated supplies (including supplies to SEZs) on which tax is not paid shall be declared here. This shall be reported net of credit notes, debit notes and amendments if any.
7D	Value of reverse charge supplies on which tax is to be paid by the recipient shall be declared here. This shall be reported net of credit notes, debit notes and amendments if any.
7E	The taxable turnover is derived as the difference between the annual turnover after adjustments declared in Table 7A above and the sum of all supplies (exempted, non-GST, reverse charge etc.) declared in Table 7B, 7C and 7D above.
7F	Taxable turnover as declared in Table $(4N - 4G) + (10-11)$ of the Annual Return (GSTR9) shall be declared here.
8	Reasons for non-reconciliation between adjusted annual taxable turnover as derived from Table 7E above and the taxable turnover declared in Table 7F shall be specified here.

5. Part III consists of reconciliation of the tax payable as per declaration in the reconciliation statement and the actual tax paid as declared in Annual Return (GSTR9). The instructions to fill this part are as follows:-

Table No.	Instructions
9	The table provides for reconciliation of tax paid as per
	reconciliation statement and amount of tax paid as declared in

	Annual Return (GSTR 9). Under the head labelled "RC",
	supplies where tax was paid on reverse charge basis by the
	recipient (i.e. the person for whom reconciliation statement has
	been prepared) shall be declared.
9P	The total amount to be paid as per liability declared in Table 9A
	to 9O is auto populated here.
9Q	The amount payable as declared in Table 9 of the Annual Return
	(GSTR9) shall be declared here. It should also contain any
	differential tax paid on Table 10 or 11 of the Annual Return
	(GSTR9).
10	Reasons for non-reconciliation between payable / liability
	declared in Table 9P above and the amount payable in Table 9Q
	shall be specified here.
11	Any amount which is payable due to reasons specified under
	Table 6, 8 and 10 above shall be declared here.

6. Part IV consists of reconciliation of Input Tax Credit (ITC). The instructions to fill Part IV are as under:-

Table No.	Instructions
12A	ITC availed (after reversals) as per the audited Annual Financial
	Statement shall be declared here. There may be cases where multiple
	GSTINs (State-wise) registrations exist on the same PAN. This is
	common for persons / entities with presence over multiple States. Such
	persons / entities, will have to internally derive their ITC for each
	individual GSTIN and declare the same here. It may be noted that
	reference to audited Annual Financial Statement includes reference to
	books of accounts in case of persons / entities having presence over
12B	multiple States.
120	Any ITC which was booked in the audited Annual Financial Statement of earlier financial year(s) but availed in the ITC ledger in the financial
	year for which the reconciliation statement is being filed for shall be
	declared here. This shall include transitional credit which was booked in
	earlier years but availed during Financial Year 2017-18.
12C	Any ITC which has been booked in the audited Annual Financial
	Statement of the current financial year but the same has not been
	credited to the ITC ledger for the said financial year shall be declared
	here.
12D	ITC availed as per audited Annual Financial Statement or books of
	accounts as derived from values declared in Table 12A, 12B and 12C
105	above will be auto-populated here.
12E	Net ITC available for utilization as declared in Table 7J of Annual
13	Return (GSTR9) shall be declared here. Reasons for non-reconciliation of ITC as per audited Annual Financial
13	Statement or books of account (Table 12D) and the net ITC (Table12E)
	availed in the Annual Return (GSTR9) shall be specified here.
14	This table is for reconciliation of ITC declared in the Annual Return
	(GSTR9) against the expenses booked in the audited Annual Financial
	Statement or books of account. The various sub-heads specified under
	this table are general expenses in the audited Annual Financial
	Statement or books of account on which ITC may or may not be
	available. Further, this is only an indicative list of heads under which
	expenses are generally booked. Taxpayers may add or delete any of

	these heads but all heads of expenses on which GST has been paid / was
	payable are to be declared here.
14R	Total ITC declared in Table 14A to 14Q above shall be auto populated
	here.
14S	Net ITC availed as declared in the Annual Return (GSTR9) shall be
	declared here. Table 7J of the Annual Return (GSTR9) may be used for
	filing this Table.
15	Reasons for non-reconciliation between ITC availed on the various
	expenses declared in Table 14R and ITC declared in Table 14S shall be
	specified here.
16	Any amount which is payable due to reasons specified in Table 13 and
	15 above shall be declared here.

- 7. Part V consists of the auditor's recommendation on the additional liability to be discharged by the taxpayer due to non-reconciliation of turnover or non-reconciliation of input tax credit. The auditor shall also recommend if there is any other amount to be paid for supplies not included in the Annual Return. Any refund which has been erroneously taken and shall be paid back to the Government shall also be declared in this table. Lastly, any other outstanding demands which is recommended to be settled by the auditor shall be declared in this Table.
- 8. Towards the end of the return, taxpayers shall be given an option to pay any additional liability declared in this form, through **FORM DRC-03**. Taxpayers shall select "Reconciliation Statement" in the drop down provided in **FORM DRC-03**. It may be noted that such liability shall be paid through electronic cash ledger only.

PART – B- CERTIFICATION

I. Certification in cases where the reconciliation statement (FORM GSTR-9C) is drawn up by the person who had conducted the audit:

* I/we have examined the—
(a) balance sheet as on
(b) the *profit and loss account/income and expenditure account for the period
beginning fromto ending on, and
(c) the cash flow statement for the period beginning from to ending or, —attached herewith, of M/s (Name)
2. Based on our audit I/we report that the said registered person—
*has maintained the books of accounts, records and documents as required by the IGST/CGST/JGST Act, 2017 and the rules/notifications made/issued there under
*has not maintained the following accounts/records/documents as required by the
IGST/CGST/JGST Act, 2017 and the rules/notifications made/issued there under: 1.
2.
3.
3. (a) *I/we report the following observations/ comments / discrepancies / inconsistencies; if any:
3. (b) *I/we further report that, -
(A) *I/we have obtained all the information and explanations which, to the best of
*my/our knowledge and belief, were necessary for the purpose of the audit
information and explanations which, to the best of *my/our knowledge and belief
were necessary for the purpose of the audit were not provided/partially provided to
us.
(B) In *my/our opinion, proper books of account *have/have not been kept by the
registered person so far as appears from*my/ our examination of the books.
(C) I/we certify that the balance sheet, the *profit and loss/income and expenditure
account and the cash flow Statement are *in agreement/not in agreement with the
books of account maintained at the Principal place of business at
and **additional place of business within
the State.
4. The documents required to be furnished under section 35 (5) of the CGST
Act/SGST Act and Reconciliation Statement required to be furnished under
section 44(2) of the CGST Act/SGST Act is annexed herewith in Form No
GSTR-9C.
5. In *my/our opinion and to the best of *my/our information and according to
explanations given to *me/us, the particulars given in the said Form No.GSTR-9C
are true and correct subject to following observations/qualifications, if any:
(a)
(b)
(c)

**(Signature and stamp/Seal of the Auditor)
Place:
Name of the signatory
Membership No
Date:
Full address
II. Certification in cases where the reconciliation statement (FORM GSTR-
9C) is drawn up by a person other than the person who had conducted the
audit of the accounts:
*I/we report that the audit of the books of accounts and the financial statements of M/s (Name and address of the assessee with
GSTIN) was conducted by M/s.
(full name and address of auditor along with status), bearing membership number in pursuance of the provisions of the
annex hereto a copy of their audit report dated along
with a copy of each of:-
(a) balance sheet as on
(b) the *profit and loss account/income and expenditure account for the period beginning fromto ending on,
(c) the cash flow statement for the period beginning fromto ending on, and
(d) documents declared by the said Act to be part of, or annexed to, the *profit and loss account/income and expenditure account and balance sheet. 2. I/we report that the said registered person—
*has maintained the books of accounts, records and documents as required by the IGST/CGST/JGST Act, 2017 and the rules/notifications made/issued there under *has not maintained the following accounts/records/documents as required by the
IGST/CGST/JGST Act, 2017 and the rules/notifications made/issued there under: 1. 2. 3.
3. The documents required to be furnished under section 35 (5) of the CGST Act/SGST Act and Reconciliation Statement required to be furnished under section 44(2) of the CGST Act/SGST Act is annexed herewith in Form No.GSTR-9C.
4. In *my/our opinion and to the best of *my/our information and according to examination of books of account including other relevant documents and explanations given to *me/us, the particulars given in the said Form No.9C are true and correct subject to the following observations/qualifications, if any: (a)
(b)
(c)
**(Signature and stamp/Seal of the Auditor) Place:
Name of the signatory
Membership No
Date:
Full address".

19. In the said rules, after FORM GST APL-03, the following form shall be inserted, namely:-

"FORM GST RVN-01

[See rule 109B]

Reference No.	Date -
To,	
	••
GSTIN:	
Order No. –	
Date -	
Notice un	nder section 108
under this Act/the Jharkhand Goods Goods and Services Tax Act, 2017/ Act, 2017/ the Goods and Services(Designation of officer) is interest of revenue and is illegal or in material facts, and therefore, I intend 108 on grounds specified in the docum You are hereby directed to working days from the date of service You are hereby directed to appear DD/MM/YYYY at HH/MM If you fail to furnish a reply within the	o furnish a reply to this notice within seven
basis of available records and on meri	•
Place:	Signature:
Date:	Designation: Jurisdiction / Office".
20. In the said rules, for FORM GST APL-0	4, the following form shall be substituted, namely:-

"Form GST APL-04

[See rules 109B, 113 (1)and115]

SUMMARY OF THE DEMAND AFTER ISSUE OF ORDER BY THE APPELLATE AUTHORITY, REVISIONAL AUTHORITY, TRIBUNAL OR COURT

Reference no. - Date -

- 1. GSTIN/ Temporary ID/UIN -
- 2. Name of the appellant / person -
- 3. Address of the appellant / person-
- 4. Order appealed against or intended to be revised Number-Date-
- 5. Appeal no. Date-
- 6. Personal Hearing –
- 7. Order in brief-
- 8. Status of order- Confirmed / Modified / Rejected
- 9. Amount of demand after appeal / revision:

Particulars	Cer	ntral tax	State	/ UT tax	Integrate	ed tax	(Cess	-	Γotal	
	Amount	Determined	Amount Determined		1			Amount Determined in		Determined	
	in dispute / earlier order		in dispute / earlier order		in dispute / earlier order	dispute / earlier Amount		in dispute / earlier order Amount		Amount	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
a) Tax											
b) Interest											
c) Penalty											
d) Fees											
e) Others											
f)						;					
Refund											

10. Place of supply wise details of IGST demand

Place of Supply	Demand	Tax	Interest	Penalty	Other	Total
(Name of State /						
UT)						
1	2	3	4	5	6	7
	Amount in dispute / earlier order					
	Determined Amount					

21. This notification shall be deemed to be effective from 31st December, 2018.

Place: Date:

Signature:

Name of the Appellate Authority / Revisional Authority/ Tribunal / Jurisdictional Officer Designation:
Jurisdiction:".

[File.No Va Kar / GST / 04/ 2018] By the order of the Governor of Jharkhand

Prashant Kumar, Secretary-cum-Commissioner.

Note:-The principal rules were published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, notification S.O. No.28 -State Tax, dated the 20th June, 2017, published and last amended notification No. 60/2018 - State Tax, dated the 7th December, 2018, published vide S.O. No.83, dated the 7th December, 2018.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

24 जनवरी, 2019

अधिसूचना संo. 74/2018- राज्य कर

- एस. ओ. सं. 16 दिनांक 24 जनवरी, 2019-- झारखण्ड सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-
- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम झारखण्ड माल और सेवा कर (चौदहवां संशोधन) नियमावली, 2018 है।
- (2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 2018 से लागू मानी जाएगी।
- 2. झारखण्ड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 12 में उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:--
- "(1क) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में धारा 52 के उपबंधों के अनुसार कर संग्रहण के लिए रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन करने वाला कोई व्यक्ति, जहां उसकी भौतिक उपस्थिति नहीं है, प्ररूप जीएसटी आरईजी-07 में आवेदन के भाग क में राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का नाम उल्लिखित करेगा और उसके भाग क में उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का नाम उल्लिखित करेगा जिसमें उसके कारबार का मुख्या स्थान अवस्थित है जो भाग क में उल्लिखित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न हो सकेगा।"।
- 3. उक्त नियमों में, नियम 45 के उपनियम (3) में "छुटपुट काम करने वाले से प्राप्त" शब्दों के पश्चात् "या एक छुटपुट काम करने वाले से दूसरे को भेजा गया" शब्दों का लोप किया जाएगा!
- 4. उक्त नियमों में, नियम 46 के चौथे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--
- "परंतु यह भी कि प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अनुसार इलैक्ट्रानिक बीजक जारी किए जाने के मामले में अपेक्षित नहीं होंगे।"।
- 5. उक्त नियमों में नियम 49 के दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह भी कि प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अनुसार प्रदाय के इलैक्ट्रानिक बिल जारी किए जाने के मामले में अपेक्षित नहीं होंगे।"।

- 6. उक्त नियमों में नियम 54 के,--
- (क) उपनियम (2) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अनुसार समेकित कर बीजक या उसके बदले में किसी अन्य दस्तावेज़ जारी किए जाने के मामले में अपेक्षित नहीं होंगे।"।

- (ख) उपनियम (4) में निम्नलिखित परंत्क अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- "परंतु प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अनुसार टिकट जारी किए जाने के मामले में अपेक्षित नहीं होंगे।"।
- 7. उक्त नियमों में नियम 89 के उपनियम (5) के स्पष्टीकरण (ख) में निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--
- "समायोजित कुल आर्वत" और "सुसंगत अवधि" के वही अर्थ होंगे जो उनके उपनियम (4) में है।"।
- 8. उक्त नियमों में, नियम 96 के उपनियम (1) के खंड (क) में "सम्यक् रूप से निर्यात माल फाईल करता है" शब्दों के पश्चात् "प्रस्थान घोषणापत्र या" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।
- 9. उक्त नियमों में, नियम 101 के उपनियम (1) में "वितीय वर्ष" शब्दों के पश्चात् "या उसका भाग" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।
- 10. उक्त नियमों नियम 109क के पशचात् निम्मलिखित नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:--
- "109ख. पुनरीक्षण के मामले में व्यक्ति को नोटिस और पुनरीक्षण प्राधिकारी का आदेश-(1) जहां धारा 108 के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी पुनरीक्षण में आदेश पारित करने का विनिश्चय करता है जिससे व्यक्ति के विपरीत रूप से प्रभावित होने की संभावना है, वहां पुनरीक्षण प्राधिकारी उसे प्ररूप जीएसटी आरवीएन-01 में नोटिस देगा और उसे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करेगा।
- (2) पुनरीक्षण प्राधिकारी धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन अपने आदेश के साथ प्ररूप जीएसटी एपीएल-04 स्पष्ट रूप से संपुष्ट मांग की अंतिम रकम दर्शित करते हुए आदेश का सार जारी करेगा।"।
- 11. उक्त नियमों में नियम 138 के उपनियम (1) में स्पष्टीकरण (1) के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"स्पष्टीकरण 1.—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "हस्तिशिल्प माल" का वही अर्थ है जो इसका समय-समय पर यथासंशोधित झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, एस. ओ. सं. 80, तारीख 6 नवम्बर, 2018 में प्रकाशित झारखण्ड सरकार वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 56/2018- राज्य कर, तारीख 6 नवम्बर, 2018 में है।"

12. उक्त नियमों के नियम 138घ के पश्चात्, बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः--

"138इ. प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में जानकारी देने पर निर्बंधन—नियम 138 के उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति (जिसके अंतर्गत परेषक, परेषिति, मालवाहक, ई-कामर्स प्रचालक या कुरियर अभिकरण भी है) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में जानकारी देने से अन्ज्ञात नहीं किया जाएगा चाहे वह प्रदायकर्ता हो या प्राप्त करता जो,--

- (क) धारा 10 के अधीन कर संदाय करने वाला व्यक्ति है, उसने दो लगातार कर अविधयों के लिए विवरणी प्रस्तुत नहीं की हैं;या
- (ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति है, उसने दो मास की लगातार अविध के लिए विवरणी प्रस्तुत नहीं की है:

परंतु आयुक्त पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर तथा लिखित में कारण लेखबद्ध किए जाने पर आदेश द्वारा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जांए, प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में उक्त जानकारी प्रस्तुत करना आदेश द्वारा अनुज्ञात कर सकेगा:

परंतु यह और कि पहले परंतुक के अधीन प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए ऐसे व्यक्ति के अनुरोध को निरस्त करने वाला कोई आदेश उक्त व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना निरस्त नहीं किया जाएगा:

परंतु यह भी कि राज्य कर आयुक्त या संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त द्वारा दी गई या निरस्त की गई अनुजा, यथास्थिति, आयुक्त द्वारा दी गई या निरस्त की गई समझी जाएगी।

स्पष्टीकरण:-- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "आयुक्त" पद से खंड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के संबंध में अधिकारिता वाला आयुक्त अभिप्रेत होगा।"।

- 13. उक्त नियमों में, नियम 142 के उपनियम (5) में "धारा 74" शब्दों के पश्चात् "या धारा 75 की उपधारा (12)" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
- 14. उक्त नियमों में प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:--

"प्ररूप - जीएसटी-आरएफडी-01 [नियम 89(1) देखिए] प्रतिदाय के लिए आवेदन

(नैमित्तिक या अनिवासी कराधेय व्यक्ति, कर की कटौती करने वाला कर का संग्रहण करने वाला, अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति और अन्य रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति को लागू)

1.	जीएसटीआईएन/अ							
	स्थायी आईडी:							
2.	विधिक नाम :							
3.	व्यापार नाम, यदि							
	कोई हो :							
4.	पता :							
5.	कर अवधि :	<वर्ष>/मास	₹	प्ते > वर्ष >	भास/			
	(यदि कोई हो)							
				I			I	T
6.	दावा की गई	अधिनियम	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल
	प्रतिदाय की रकम	केन्द्रीय कर						
	(₹0):	राज्य कर/						
		संघ राज्यक्षेत्र						
		कर						
		एकीकृत कर						
		उपकर						
		कुल						
7.	प्रतिदाय दावा के	(क)	इलैक	ट्रानिक नकद	खाता मे	अति	গ্ৰম :	
	आधार (नीचे से							
	चयन करें) :	(ख)	सेवा3	भौं के निर्यात+	कर के स	ांदाय के	साथ :	
		(ग)		'सेवाएं के निय	र्गात - क	र के संद	ाय सहित	सेवाओं
				नेर्यात				
		(ਬ)	आदेश	श के मद्दे				T
			क्रम		आदेश	आदेश	आदेश	संदाय
			सं.	प्रकार,	संख्या	की	जारी	संदर्भ
						तारीख	करने	संख्या
							वाला	(यदि
							प्राधिकारी	
								हो)

_										
			(i)	निर्धारण						
			(ii)	अंनतिम	-					
				निर्धारण	को					
				अंतिम	रुप					
				देना						
			(iii)	अपील						
			(iv)	कोई 3	भन्य					
				आदेश						
				(विनिर्दि	ष्ट					
				करें)						
		(롱.)	विपर्य	र्मित कर	ढांच	ा के क	ारण सं	चेत ३	आई	टी सी
			[धारा	54(3))	के प्र	थम परंत्	नुक का र	बंड (ii)]	
		(च)	विशेष	आर्थिक उ	जोन इ	काई/विशेष	। आर्थिक	जोन वि	वेकासव	कर्ता को
			किए व	गए प्रदाय	के मद्	दे - (कर	संदाय के	साथ)		
			- ·	~		(0)	~			
		(छ)		आर्थिक उ				विकास	कतो वि	केए गए
			प्रदाय	के मद्दे -	(कर	संदाय के	बिना)			
					C	*		· \		<u> </u>
		(ज)		गए निर		दायों का	प्राप्तिकत	गे/समझे	गए	नियोत
			प्रदायों का प्रदायकर्ता							
		(झ)	ऐसे प्रदाय पर जो पूर्णतः या भागतः उपबंधित न और जिसके लिए बीजक जारी नहीं किया गया है प							
									गया	है पर
				कर (आ						<u> </u>
		(河)		ाराज्यिक						
				राज्यिक				म्या ग	ाया ह	ह आर
			विपर्ययेन (पीओएस में परिवर्तन)							
		(ट)	कर का अधिक संदाय, यदि कोई हो ।							
		(T)	1)5 ~	अन्य (विनि	16					
		()	কাঠ 3	जन्य (IQIन	114°C	<i>ዓ</i> ባኛ <i>)</i>				
8.	बैंक खाता के ब्यौरे	बैंक का नाम	बैंक	भारत	नीय	ख	ता के प्रक	गर	खात	ा संख्या
			शाखा	का विती	य प्रण	ाली				
			पता	कोड						
				(आई	रणफएस	ासी)				
9.	क्या धारा 54(4) के	अधीन आवेदव	न द्वा	रा स्वयं	हाँ			l		
	घोषणा फाइल की गई	ई है, यदि लागू	हो		नहीं					
	घोषणा [धारा 54(3) क	ा दुसरा परंतुक]								

में घोषणा करता हूं / करती हूँ कि निर्यातित माल किसी निर्यात शुल्क के अध्याधीन नहीं है, में
यह भी घोषणा करता हूं/करती हूँ कि माल या सेवाओं या दोनों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क /सेवा
कर/राज्य कर के किसी प्रतिदाय की वापिसी का उपभोग नहीं किया है और इसलिए मैने ऐसे
प्रदायों पर जिसके प्रतिदाय का दावा किया गया है, पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा
नहीं किया है ।
हस्ताक्षर

पदनाम/ प्रास्थिति"]

घोषणा [धारा 54(3)(ii))]

मैं यह घोषणा करता हूं /करती हूँ कि आवेदन में दावा किए गए इनपुट कर प्रत्यय प्रतिदाय में उपभोग शून्य दर या पूर्ण रुप से छूट प्राप्त प्रदायों के लिए उपयोग किए गए माल या सेवाओं पर उपभोग किया गया आई टी सी संम्मिलित नहीं है ।

हस्ताक्षर

नाम

नाम--

पदनाम /प्रास्थिति"

घोषणा [नियम 89(2)(च)]

मैं घोषणा करता हूँ /करती हूँ कि विशेष आर्थिक जोन इकाई /विशेष आर्थिक जोन विकास कर्ता ने आवेदक द्वारा ऐसे संदत्त कर के इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग नहीं किया है, जो इस प्रतिदाय दावे के अंतर्गत आता है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

	-0-	00/01	<i></i> >=
घाषणा	नियम	89(2)	(छ)।

(समझे गए निर्यात के प्राप्तिकर्ता /प्रदायकर्ता के लिए) प्राप्तिकर्ता द्वारा दावा किए गए प्रतिदाय की दशा में

मैं घोषणा करता हूं /करती हूं कि केवल ऐसे बीजकों के लिए प्रतिदाय का दावा किया जाएगा जिसका ब्यौरा उस कर अविध के लिए जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया गया है, विवरण 5ख में दिया गया है और रकम उक्त कर अविध के लिए फाइल की गई विधिमान्य विवरणी में उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम से अधिक नहीं है /मैं यह भी घोषणा करता हूं /करती हूं कि प्रदायकर्ता ने उक्त प्रदायों के संबंध में प्रतिदाय का दावा नहीं किया है।

प्रदायकर्ता द्वारा दावा किए गए प्रतिदाय की दशा में मैं घोषणा करता हूं /करती हूं कि केवल ऐसे बीजकों के लिए प्रतिदाय का दावा किया जाएगा जिसका ब्यौरा उस कर अवधि के लिए जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया गया है, विवरण 5ख मेंदिया गया है मैं यह भी घोषणा करता हूँ करती हूँ कि प्राप्तिकर्ता द्वारा उक्त प्रदायों के संबंध में किसी प्रतिदाय का दावा नहीं किया जाएगा और प्राप्तिकर्ता ऐसे प्रदायों पर किसी इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग भी नहीं करेंगे।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

परिवचन

मैं सरकार को ब्याज के साथ मंजूर किए गए प्रतिदाय की रकम का उस दशा में वापस संदाय करने का वचन देता हूं / देती हूं यिद बाद में यह पाया जाता है कि केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम /राज्य माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ग) की अपेक्षाओं का प्रतिदाय की गई रकम के संबंध में पालन नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

<u>स्वयं-घोषणा [नियम 89(2)(1)]</u>

मैं......(आवेदक) जिसकी माल और सेवा कर पहचान संख्या /अस्थाई पहचान.......है, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ /करती हूँ और प्रमाणित करता हूँ /करती हूँ कि कर, ब्याज यासे तक की अविध के लिए किसी रकम की बाबत रु0....... रकम के प्रतिदाय के संबंध में प्रतिदाय आवेदन में दावा किया गया है ऐसे कर और ब्याज की घटना किसी अन्य व्यक्ति को पारित नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

(ऐसे आवेदकों से यह घोषणा देने की अपेक्षा नहीं है जिन्होंने धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (च) के अधीन प्रतिदाय का दावा किया है)

10. सत्यापन

मैं/हम (करदाता का नाम) सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ / करते हैं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें से कुछ छुपाया नहीं गया है।

मैं/हम यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि इस मद्दे मेरे/हमारे द्वारा पहले कोई प्रतिदाय प्राप्त नहीं किया गया है ।

स्थान	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
तारीख	(नाम)
	पदनाम/प्रास्थिति

उपाबंध - 1

विवरण -1 [नियम 89 (5)]

प्रतिदाय : प्रकार विपर्यस्त कर सरंचना के लिए देय संचित आई टी सी [धारा 54(3) के पहले परंतुक के खंड (ii)] (रकम रु0 में)

माल और सेवाओं	माल और सेवाओं	समायोजित कुल	शुद्ध इनपुट	दावा की
के विपर्यस्त दर	के ऐसे विपर्यस्त	आवर्त	कर प्रत्यय	जाने वाली
प्रदाय का आवर्त	दर प्रदाय पर			अधिकतम
	संदेय कर			प्रतिदाय
				रकम
1	2	3	4	5

विवरण 1क [नियम 89(2))(ज)]

प्रतिदाय का प्रकार विपर्यस्त कर ढांचा के लिए आई टी सी संचित देय [धारा 54 (3) के पहले परंतुक का खंड 2(ii)]

क्रम सं	प्राप्त किए गए आवक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे				इनपुट के आवक प्रदायों पर संदत्त कर			जारी किए गए जावक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे				जावक प्रदायों पर संदत्त कर		
	जीएसटी आईएन रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता का नाम	सं.	ता रीख	कराधे य मूल्य	एकी कृत कर	केन्द्री य कर	राज्य कर /संघ राज्य क्षेत्र कर	सं.	ता री ख	कराधे य मूल्य	बीजक का प्रकार (बी2बी /बी 2 सी)	एकी कृत कर	केन्द्री य कर	राज्य कर /संघ राज्य क्षेत्र कर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1							

*विपर्यस्त प्रभार तंत्र के अधीन प्राप्त आयातों या प्रदायों की दशा में [केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम/ राज्य माल और सेवा कर अधिनियम की उपधारा (3) की धारा 9 की या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3)], प्रदायकर्ता के जी एस टी आई एन से आवेदक (प्राप्तिकर्ता) का जी एस टी आई एन अभिप्रेत है ।

विवरण- 2 [नियम 89(2)(ग)] प्रतिदाय प्रकार: कर के संदाय सहित सेवाओं का निर्यात

(रकम रु0 में.)

												10,
क्रम	बीजक	के ब्यो	रि	एकीकृत	कर	उपकर	बी	आर	सी/एफ	नामेनोट	जमापत्र	शुद्ध
							आई	आर	सी	में	में	एकीकृत
सं.										अंतर्वलित	अंतर्वलित	कर और
										एकीकृत	एकीकृत	उपकर
	 सं.	तारीख	मुल्य	कराधेय	मूल्य		सं.		तारीख	कर और	कर और	(6+7+10
				मूल्य						उपकर	उपकर	- 11)
										यदि कोई	यदि कोई	
										हो	हो	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
				l								

विवरण- 3 [नियम 89(2)(ख) और 89(2)(ग)]

प्रतिदाय प्रकार : कर के संदाय के बिना निर्यात (संचित आईटीसी)

क्रम	सं.	बीजक व	के ब्यौरे		माल	पोत पत्र/ वि	नेर्यात	पत्र	ईजीएम	ब्यौरे	बी .	आर	सी/
					/सेवाएं						एफ	आई	आर
					(जी/एस						सी		
		सं.	तारीख	मूल्य		पत्तन कोड	सं.	तारीख	संदर्भ	तारीख	सं	तारी	ख
									सं.				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

विवरण- 3क [नियम 89(4)]

प्रतिदाय प्रकार : कर के संदाय के बिना निर्यात (संचित आई टी सी) - प्रतिदाय की रकम की संगणना

(रकम रु0 में.)

माल और सेवाओं के शून्य दर	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	समायोजित कुल	प्रतिदाय रकम
प्रदाय का आवर्त		आवर्त	(1×2÷3)
1	2	3	4

विवरण-4 [नियम 89(2)(घ) और 89(2)(इ.)]

प्रतिदाय प्रकार : विशेष आर्थिक जोन इकाई या विशेष आर्थिक जोन विकास कर्ता को किए गए प्रदाय के मद्दे (कर के संदाय पर)

(रकम रु0 में.)

प्राप्तिकर्ता	बीज	ाक ब्यौरे		पोत	=	एकीकृत	कर	उपकर	नामेनोट	जमापत्र	शुद्ध
का				पत्र/	निर्यात				में	में	एकीकृत
जीएसटी				पत्र/	विशेष				अंतर्वलित	अंतर्वलित	कर और
आई एन				/विश	शेष				एकीकृत	एकीकृत	उपकर
				आरि	र्थेक				कर और	कर और	(8+9+10
				जोन	न द्वारा				उपकर	उपकर	- 11)
				पृष्ट	गंकित				यदि कोई	यदि कोई	
				बीज	क				हो		
	सं.	तारीख	मूल्य	सं.	तारीख	कराधेय	रकम				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

विवरण-5 [नियम 89(2)(घ) और 89(2)(ड.)]

प्रतिदाय प्रकार : विशेष आर्थिक जोन इकाई या विशेष आर्थिक जोन विकास कर्ता को किए गए प्रदाय के मददे (कर के संदाय के बगैर)

(रकम रु0 में.)

क्रम सं.	बीजक के ब्य	गैरे		माल/	सेवाएं	लदान	बिल/निय	र्गात	बिल/
				(जी/एस)		पृष्ठांकित	बीजक स	÷.	
	सं.	तारीख	मूल्य			स.		तारीख	
1	2	3	4	5		6		7	

विवरण-5क [नियम 89(4)]

प्रतिदाय प्रकार : कर के संदाय के बगैर विशेष आर्थिक जोन इकाई या विशेष आर्थिक जोन विकास कर्ता को किए गए प्रदाय के मद्दे (संचित आईटीसी) - प्रतिदाय रकम की संगणना (रकम रु0 में.)

माल और सेवाओं के शून्य दर प्रदाय का आवर्त	"	समायोजित कुल आवर्त	प्रतिदाय रकम (1×2÷3)
1	2	3	4

विवरण 5ख [नियम 89(2)(छ)]

प्रतिदाय प्रकार : समझे गए निर्यात के मद्दे

(रकम रु0 में.)

क्रम सं.	प्रदायकर्ता द्व है / आवक	गरा प्रति प्रदायों	तेदाय का के बीजव	के ब्यौरे यदि दावा किया गया हों के ब्यौरे यदि दावा किया गया	संदत्त कर			
	प्रदायकर्ता का जीएसटीआई एन	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर / संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

विवरण 6 [नियम 89 (2) (ञ)]

प्रतिदाय प्रकार :पी ओ एस में परिवर्तन के मद्दे (अंतरराज्य से अंतराराज्यिक और विपर्य)

आदेश ब्यौरे (धारा 77 (1) और (2) के अनुसरण में जारी, यदि कोई हो : आदेश सं. आदेश तारीख :

(रकम रु0 में)											
जीएसटी	बीजक के ब्यौरे	T 2T		क/अन्तरर	- T-	-	T Ť	} -			
आईएस/		पूर्व अन् संट्यवहा		क/अन्तरर				एस पुनःनिर्धारि	संव्यवह रेत	_{हार} कर	पर जो
यूआईएन (बी		ब्यौरे						पश्चातवर्त	_		
2सी के								अन्तरराजि	चक/अं	ांतरारा	जेय
मामले में)			T	T	I	1		क			
				राज्य		प्रदाय	का			राज्य	प्रद
		एकीकृत		कर/संघ	उपकर	स्थान	_		केन्द्री	1. 3	य पकर
		कर	कर	राज्यक्षेत्र		`	यदि	कर	य कर	संघ	का
				कर		प्राप्तिक	न्ती			राज्य	₹º

	सं0	तारीख	कराधेय मूल्य	रकम	रकम	रकम		से भिन्न की प्रास्थिति)			क्षेत्र कर रकम		न
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

विवरण 7[नियम 89 (2) (ट)]

नियम 89(2)(ट) के अधीन फाईल किया आवेदन के मामले में कथन कर के अधिक संदाय खाते पर प्रतिदाय

कर	विवरणी का	विवरणी	संदेय कर			
अवधि	ए आर एन	फाइल करने की तारीख	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7

उपाबंध-2 प्रमाणपत्र (नियम 89(2)(ड))

यह	प्रमाणित	किया	जाता	र्ह	कि			कर	अवधि	के
ਕਿए		माल	ा और	सेवा	कर	पहचान	संख्य	ा/अस्था	यी आई	डी,
मैसर्स.				(.	आवेद	क	का	नाम) 7	द्वारा
			(शब्दों	में) 3	भाई ए	न आर	दावे	के प्रति	द्राय के	संबंध
में कर	और ब्याज	का आप	ातन कि	सी अ	न्य ट	यक्ति ने	पारित	नहीं वि	क्रेया है।	। यह
प्रमाण	पत्र आवेदन	द्वारा	विशेष	रुप से	अनु	रक्षण दि	ए गए	लेखा	पुस्तकों	और
अन्य	संबंधित अधि	भेलेखों 3	गौर विव	रणियों	केप	गरीक्षण वे	न आध	ार पर है	}	
चार्टर्ड	आका <i>ऊन्टेंट</i> /	/लागत ले	ोखाकार	के हर	 स्ताक्षः	τ:				
नामः										

सदस्य संख्या:

स्थान:

तारीख:

टिप्पण: इस प्रमाणपत्र की ऐसे आवेदक से देने की अपेक्षा नहीं है जिसने अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (च) के अधीन प्रतिदाय का दावा किया है। अन्देश-

1. प्रयुक्त पद:

क. बी से सी : रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से गैर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति

ख. ईजीएम : निर्यात साधारण घोषणापत्र

ग. जीएसटीआईएन : माल और सेवा कर पहचान संख्या

घ. आईजीएसटी : एकीकृत माल और सेवा कर

ङ. आईटीसी : इनप्ट कर प्रत्यय

च. पीओएस : प्रदाय का स्थान (श्रमिक राज्य)

छ. एसईजेड : विशेष आर्थिक जोन

ज. अस्थायी आईडी : अस्थायी पहचान संख्या

झ. यूआईएन : विशिष्ट पहचान संख्या

2. इलैक्ट्रानिक नकद लेजर में उपलब्ध अतिरिक्त रकम का प्रतिदाय रिटर्न या आवेदन फाइल करके भी दावा किया जा सकता है।

- 3. नामे प्रविष्टि आवेदन फाइल करते समय इलैक्ट्रानिक प्रत्यय या नकद लेजर में की जाएगी।
- 4. **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-02** में अभिस्वीकृति जारी की जाएगी, यदि आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण पाया जाता है।
- 5. आईजीएसटी के संदाय के साथ माल के निर्यात पर प्रतिदाय का दावा इस आवेदन के साथ प्रक्रियागत नहीं किया जाएगा ।
- 6. बैंक खाता ब्यौरे रजिस्ट्रीकरण डाटा के अनुसार होने चाहिए । बैंक ब्यौरों में कोई परिवर्तन आवेदन में कथन किए जाने से पूर्व रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में पहले संसोधित किया जाएगा ।
- 7. घोषणा उन मानलों में फाइल की जाएगी, जहां कहीं अपेक्षित हों ।
- 8. 'कुल इनपुट कर प्रत्यय' से सुसंगत अविध के दौरान कथन-1 के प्रयोजन के लिए इनपुट पर उपयोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत कथन 3क और 5क के प्रयोजन के लिए इनपुट सेवाओं पर आईटीसी भी है।
- 9. 'समायोजित कुल आवर्त' से धारा 2 के खंड (112) के अधीन यथा परिभाषित सुसंगत अविध के दौरान शून्य दर प्रदायों से भिन्न छूट प्राप्त प्रदायों के मूल्य को छोड़कर किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में आवर्त अभिप्रेत है।
- 10. कथन-1 के प्रयोजन के लिए, प्रदिताय दावा जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2 में रिपोर्ट किए गए पर आधारित होगा ।
- 11. बीआरसी या एफआईआरसी ब्यौरे वहां बाध्यकारी होंगे, जहां सेवाओं के निर्यात के लिए प्रतिदाय का दावा किया जाता है, माल के निर्यात के मामले में पोत बिल और ईजीएम प्रदान करना बाध्यकारी होगा।
- 12. जहां (निर्यात समेत) बीजक ब्यौरों का संशोधन किया जाता है, प्रतिदाय संशोधित मूल्य पर आधारित गणना के अन्सार अन्ज्ञात किया जाएगा।
- 13. कर के संदाय के बिना किए गए निर्यात के ब्यौरे कथन-3 में रिपोर्ट किए जाएंगे।
- 14. कर के संदाय के बिना एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेव्ल्पर को किए गए प्रदायों के मामले में दावा किए जाने वाले प्रतिदाय की उपलब्धता नियम 89(4) में विहित सूत्र के अनुसार निकाली जाएगी।
- 15. 'माल और सेवाओं के शून्य दर प्रदाय का आवर्त' का वही अर्थ होगा जो नियम 89(4) में परिभाषित है।"
- 15. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआरएफडी-01क के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:--

"प्ररूप - जीएसटी-आरएफडी-01क [नियम 89(1) और 97क देखें] प्रतिदाय के लिए आवेदन (निर्देशिका)

(नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति, कर का कटौतीकर्ता, कर संग्रहणकर्ता और अन्य रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति को लागू)

1.	जीएसटीआईएन/अस्थायी							
	आईडी							
2.	विधिक नाम							
3.	व्यापार नाम, यदि कोई हो							
4.	पता							
5.	कर अवधि (यदि लागू हो)	< वर्ष/मा	स >	से <वर्ष/मार	स >			
6.	दावा किया गया प्रतिदाय	अधिनि	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल
	की (रु0) :	यम						
		केन्द्रीय						
		कर						
		राज्य						
		कर संघ						
		राज्यक्षे						
		त्र कर						
		एकीकृत						
		कर						
		उपकर						
		कुल						
7.	प्रतिदाय दावा के लिए आधार (नीचे से चयन	(क)	इलैक्ट्रानि	क के नकद खा	ता में अधि	क्र अतिशे	ष :	
	करें) :	(ख)	माल/सेवाः	ओं के निर्यात व	_{कर के} प्रदाय	के साथ	:	
		(ग)	माल/सेवाउ आईटीसी)	ओं का निर्यात	ा-कर के	संदाय वे	न बगैर	(संचित
		(ঘ)		कर संरचना व पहले परंतुक				[धारा

(ま)	विशेष आर्थि	 क जोन	 डकार्ड/विशेष	आर्थिक	 विकासकत	 र्गाको कि	 ए गए प्रदायों
(47	के मद्दे (क						
	1, 1, 4, 4, 1,	((191					
(_च)	विशेष आर्थि	क जीव	ਟੁਕਾਰ/ਰਿਐਸ	- भाशिक	विकासक -	र्गको कि	ए गए प्रदायों
(4)				3111947	1पपगस्तपर	11 471 147	९ गर त्रपाया
	के मद्दे (क	र सदार	ય લગર)				
()		<u> </u>	<u>`</u>		·		
(छ)		ानयात	प्रदायों का	प्राप्तकत	।/समझ ०	ाए ।नया	त प्रदाया का
	प्रदायकर्ता						
(ज)	आदेश के म	 ।टटे					
	3119(1) 11	क्रम	आदेश का	आदेश	आदेश	आदेश	संदाय
		सं0	प्रकार	सं0	की	जारी	नर्देश
		40	अपगर	40	का तारीख	जारा करने	ानदश सं0 यदि
					ताराख		
						वाला	कोई हो
						प्राधि	
						कारी	
		(1)	निर्धारण				
		(<i>ii</i>)	अंनतिम				
			निर्धारण				
			को अंतिम				
			रूप देना				
		(<i>iii</i>)	अपील				
		(iv)	कोई अन्य				
		` ′	आदेश				
			(विनिर्दिष्ट				
			करें)				
			1'\)				
	3:		 य पर संदत्त	_	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
(朝)							
	।नधारित वि	न्या गय	ा है और विप	ययन (पा	आएस में	पारवतन)	
			2 11				
(커)	कर का अधि	ोक सद	ाय, यदि कोई	हो ।			
<u>(ਟ)</u>	कोई अन्य	(विनिर्दि	ष्ट करें)				
		(9	=,				

[घोषणा धारा 54(3) का दूसरा परंतुक]

मैं घोषणा करता हूं/करती हूँ कि निर्यातित माल किसी निर्यात शुल्क के अध्याधीन नहीं है, मैं यह भी घोषणा करता हूं/करती हूँ कि माल या सेवाओं या दोनों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क /सेवा कर/राज्य कर के किसी प्रतिदाय की वापिसी का उपभोग नहीं किया है और इसलिए मैने ऐसे प्रदायों पर जिसके प्रतिदाय का दावा किया गया है, पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा नहीं किया है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

घोषणा [धारा 54(3)(ii))]

मैं यह घोषणा करता हूं /करती हूँ कि आवेदन में दावा किए गए इनपुट कर प्रत्यय प्रतिदाय में उपभोग शून्य दर या पूर्ण रुप से छूट प्राप्त प्रदायों के लिए उपयोग किए गए माल या सेवाओं पर उपभोग किया गया आई टी सी संम्मिलित नहीं है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

घोषणा [नियम 89(2)(च)]

मैं घोषणा करता हूँ /करती हूँ कि विशेष आर्थिक जोन इकाई /विशेष आर्थिक जोन विकास कर्ता ने आवेदक द्वारा ऐसे संदत्त कर के इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग नहीं किया है, जो इस प्रतिदाय दावे के अंतर्गत आता है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

<u>घोषणा [नियम 89(2)(छ)]</u>

(समझे गए निर्यात के प्राप्तिकर्ता /प्रदायकर्ता के लिए) प्राप्तिकर्ता दवारा दावा किए गए प्रतिदाय की दशा में

मैं घोषणा करता हूं /करती हूं कि केवल ऐसे बीजकों के लिए प्रतिदाय का दावा किया जाएगा जिसका ब्यौरा उस कर अविध के लिए जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया गया है, विविरण 5ख में दिया गया है और रकम उक्त कर अविध के लिए फाइल की गई विधिमान्य विवरणी में उपभोग किए गए इनप्ट कर प्रत्यय को रकम

से अधिक नहीं है /मैं यह भी घोषणा करता हूं /करती हूं कि प्रदायकर्ता ने उक्त प्रदायों के संबंध में प्रतिदाय का दावा नहीं किया है । प्रदायकर्ता द्वारा दावा किए गए प्रतिदाय की दशा में प्रतिदाय का दावा किया मैं घोषणा करता हूं /करती हूं कि केवल ऐसे बीजकों के लिए प्रतिदाय का दावा किया जाएगा जिसका ब्यौरा उस कर अविध के लिए जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया गया है, विविरण 5ख मेंदिया गया है मैं यह भी घोषणा करता हूँ करती हूँ कि प्राप्तिकर्ता द्वारा उक्त प्रदायों के संबंध में किसी प्रतिदाय का दावा नहीं किया जाएगा और प्राप्तिकर्ता ऐसे प्रदायों पर किसी इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग भी नहीं करेंगे । हस्ताक्षर नाम पदनाम/प्रास्थिति

परिवचन

मैं सरकार को ब्याज के साथ मंजूर किए गए प्रतिदाय की रकम का उस दशा में वापस संदाय करने का वचन देता हूं / देती हूं यदि बाद में यह पाया जाता है कि केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम /राज्य माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) के साथ पिठत धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ग) की अपेक्षाओं का प्रतिदाय की गई रकम के संबंध में पालन नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनामा प्रास्थिति

स्वयं-घोषणा [नियम 89(2)(1)] मैं.....(आवेदक) जिसकी माल और सेवा कर पहचान संख्या /अस्थाई पहचान.......है, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ /करती हूँ और प्रमाणित करता हूँ /करती हूँ कि कर, ब्याज यासे तक की अविध के लिए किसी रकम की बाबत रु0....... रकम के प्रतिदाय के संबंध में प्रतिदाय आवेदन में दावा किया गया है ऐसे कर और ब्याज की घटना किसी अन्य व्यक्ति को पारित नहीं किया गया है ।

हस्ताक्षर

(नाम)

पदनाम/प्रास्थिति

(ऐसे आवेदकों से यह घोषणा देने की अपेक्षा नहीं है जिन्होंने धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (च) के अधीन प्रतिदाय का दावा किया है)

8. सत्यापन

मैं/हम (करदाता का नाम) सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ/करते हैं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वीतम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें से कुछ छुपाया नहीं गया है।

मैं/हम यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि इस मद्दे मेरे/हमारे द्वारा पहले कोई प्रतिदाय प्राप्त नहीं किया गया है ।

स्थान

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

(नाम)

तारीख

पदनाम/प्रास्थिति

<u>उपाबंध-1</u> विवरण-1 [नियम 89(5)]

प्रतिदाय प्रकार: विपर्यस्त कर ढांचा के प्रतिदेय संचित आईटीसी [धारा 54 (3) के पहले परंतुक का खंड (ii)]

(रू में रकम)

माल	और	माल	और	समायोजित	शुद्द	इनपुट	दावा	की	जाने	वाली
सेवाओं	के	सेवाओं	के	कुल आवर्त	कर प्रत	यय	अधिव	न्तम	प्रदाय	रकम
प्रदाय		ऐसे					[(1×4	÷3)-2	2]	
विपर्यस्त	दर	विपर्यस्त	दर							
प्रदाय	का	प्रदाय	पर							
आवर्त		संदेय कर	-							

1	2	3	4	5

विवरण 1क [नियम 89(2) (ज)]

प्रतिदाय का प्रकार विपर्यस्त कर ढांचा के लिए आई टी सी संचित देय [धारा 54 (3) के पहले परंतक का खंड 2(ii)]

		<u> </u>	101 (4)	(/1										
क्रम सं	प्राप्त किए बीजकों के ब्ये		आवक	प्रदायों के	इनपुट के संदत्त कर	आवक प्रट	प्तयों पर	जारी के ब्र		जावक प्रदाय	ों के बीजकों	जावक प्रदायों पर संदत्त कर		
	जीएसटी आईएन रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता का नाम	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर /संघ राज्य क्षेत्र कर	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	बीजक का प्रकार (बी2बी /बी 2 सी)	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर /संघ राज्य क्षेत्र कर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

* विपर्यस्त प्रभार तंत्र के अधीन प्राप्त आयातों या प्रदायों की दशा में [केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम/राज्य माल और सेवा कर अधिनियम की उपधारा (3) की धारा 9 की या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3)], प्रदायकर्ता के जी एस टी आई एन से आवेदक (प्राप्तिकर्ता) का जी एस टी आई एन अभिप्रेत है।

विवरण- 2 [नियम 89(2)(ग)] प्रतिदाय प्रकार: कर के संदाय सहित सेवाओं का निर्यात

क्रम	बीजक	न के ब्य	ौ रे	एकीकृत	कर	उपकर	बी आर	सी /एफ	आईनामेनो	ट मेंजमापत्र	मेंशुद्ध	एकीकृत
सं.							आर सी			मेत अंतर्वलित		
₹1.									0	न कर एकीकृत	1.	- 11)
									आर उ —यदि	उपकर और 3 कोईयदि कोई		
	सं.	तारीख	मूल्य	कराधेय	रकम		सं.	तारीख	याद हो	काइयाद काइ	וא	
				मूल्य								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

विवरण- 3 [नियम 89(2)(ख) और 89(2)(ग)]

प्रतिदाय प्रकार : कर के संदाय के बिना निर्यात (संचित आईटीसी)

(रकम रु0 में.)

क्रम	सं.	बीजक वे	के ब्यौरे		माल	पोत प	पत्र/ नि	र्यात	पत्र	ईजीए	म ब्यो	रे	बी	आर	सी/	एफ
					/सेवाएं								आई	आर	सी	
		सं.	तारीख	मूल्य	(जी/एस)	पत्तन	कोड	सं.	तारीख	संदर्भ	सं.	तारीख	सं		ता	रीख
1		2	3	4	5	6		7	8	9		10	11		12	

विवरण- 3क [नियम 89(4)]

प्रतिदाय प्रकार : कर के संदाय के बिना निर्यात (संचित आई टी सी) - प्रतिदाय की रकम की संगणना

माल और सेवाओं के शून्य	शुद्ध इनपुट कर	समायोजित कुल	प्रतिदाय रकम
दर प्रदाय का आवर्त	प्रत्यय	आवर्त	(1×2÷3)
1	2	3	4

विवरण-4 [नियम 89(2)(घ) और 89(2)(ड.)]

प्रतिदाय प्रकार : विशेष आर्थिक जोन इकाई या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को किए गए प्रदाय के मददे (कर के संदाय पर)

(रकम रु0 में.)

प्राप्तिकर्ता	Iबी	नक ब्यौरे		पोत		एकीकृत	कर	उपकर	नामेनोट	जमापत्र	शुद्ध
का				पत्र/'	निर्यात				में	में	एकीकृत
जीएसटी				पत्र/'	विशेष				अंतर्वलित	अंतर्वलित	कर और
आई एन				/विश	ोष				एकीकृत	एकीकृत	उपकर
				आधि	र्थैक				कर और		(8+9+10
				जोन	ा द्वारा				उपकर	उपकर	- 11)
				ı	ांकित				यदि कोई	यदि कोई	-
				बीज					हो		
	सं.	तारीख	मूल्य	सं.	तारीख	करादेय	रकम				
						मूल्य					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	_	3	4	5		'	G	9	10	' '	12

विवरण-5क [नियम 89(4)]

प्रतिदाय प्रकार : कर के संदाय के बगैर विशेष आर्थिक जोन इकाई या विशेष आर्थिक जोन विकास कर्ता को किए गए प्रदाय के मद्दे (संचित आईटीसी) -प्रतिदाय रकम की संगणना

माल और सेवाओं के शून्य	शुद्ध इनपुट कर	समायोजित	प्रतिदाय रकम
दर प्रदाय का आवर्त	प्रत्यय	कुल आवर्त	(1×2÷3)
1	2	3	4

विवरण 5ख [नियम 89(2)(छ)]

प्रतिदाय प्रकार : समझे गए निर्यात के मद्दे

(रकम रु0 में.)

क्रम सं.	प्रदायकर्ता ट किया गया	्वारा है यौरे	प्रतिदाः / आवक् यदि प्रापि	के ब्यौरे यदि य का दावा प्रदायों के त्तकर्ता द्वारा या है ।	संदत कर			
	प्रदायकर्ता का जीएसटीआई एन		तारीख	करादधेय मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर / संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

विवरण 6 [नियम 89(2)(ञ)]

प्रतिदाय प्रकार: पीओएस में परिवर्तन के मद्दे (अंतरराज्यिक से अंतराराज्यिक और विपर्ययेन) आदेश ब्यौरे (धारा 77(1) और धारा 77(2) के अनुसरण में जारी, यदि कोई हो: आदेश सं0:

जीएसटी	रा	ज्य	ांतरित.	/अन्तर	राज्यिक पूर्व	के रूप में स	गंट्यवहार 3	। च्छादित	के ब्यौरे	संव्यवहार		जिसके		लिए
आईएस/										अन्तरराज्यिक	/राज्यांत	रिक प्रदा	य प	। श्चातवर्ती
यूआईएन										धारित किए ग	ाए थे			
(बी 2सी	केर्ब	जि॰	क के ब	ब्यौरे 			राज्य		प्रदाय क	Г		राज्य		प्रदाय
मामले में)					നമിക്കു കാ	केन्द्रीय कर	कर/संघ	उपकर	स्थान	एकीकृत कर	केन्द्रीय	कर/संघ	उपक	का
					रकाकृत कर	भन्द्राय कर	राज्यक्षेत्र	3441	(केवल	रकाकृत कर	कर	राज्यक्षेत्र	र	स्थान
							कर		यदि			कर		(केवल
					रकम	रकम	रकम	रकम	प्राप्तिकर्ता	रकम	रकम	रकम	रकम	यदि
									से भिन्न	Г				प्राप्तिक
	सं	Ю	तारीख	मूल्य	•				की					र्ता से
					į				प्रास्थिति)					भिन्न
														की
1	2		3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

विवरण:7 [नियम 89(2)(ट)]

प्रतिदाय प्रकार: फाइल की गई अंतिम विवरणी की दशा में, कर का अधिक संदाय, यदि कोई हो

कर	विवरणी का	विवरणी	अधिक संदत्त	किया ग	या कर	
अवधि	एआरएन	फाइल	एकीकृत	केन्द्रीय	राज्य	उपकर
		करने की	कर	कर	कर	
		तारीख				
1	2	3	4	5	6	7

16. उक्त नियमों के, प्ररुप जीएसटी आर-9 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररुप रखा जाएगा, अर्थात् :-

"····	जी				ਟੀ	3HT 0
"प्ररुप	স।		एस		CI	आर-9
(नियम			80			देखें)
वार्षिक वि	वरणी					
पीटी. ।	मूल ब्यौरे					
1	वित्तीय वर्ष					
2	जी एस टी आई एन					
3क	विधिक नाम					
3ख	व्यापार नाम (यदि कोई हो)	5				
पीटी॥	वितीय वर्ष के दौरान वि	hए गए जाव [्]	क और आवक	_न प्रदायों के ब्यं	रि	
			(सभी	सारणियों में र	कम रुपये में)	
	प्रदायों की प्रकृति	कराधेय मूल्य	केंद्रीय कर	राज्यकर/संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6
	उस वित्तीय वर्ष के दौ	रान फाइल ब	में जो संदेय	है, पर अग्रिम,	आवक और उ	नावक प्रदाय के
4	ब्यौरे					

		ı	1	1	
	आधार पर कर संदत्त				
	किया जाना है				
	आंशिक योग				
ज	(उपर्युक्त क से छ				
	तक)				
	उपर्युक्त (ख) से (ड.)				
	में विनिर्दिष्ट				
झ	संव्यवहारों के संबंध				
	में जारी साखपत (-)				
	उपर्युक्त (ख) से (ड.)				
	में विनिर्दिष्ट				
ञ	संव्यवहारों के संबंध				
	में जारी नामे नोट				
	(+)				
	संशोधनों (+) के				
ਟ	माध्यम से घोषित				
	प्रदाय / कर				
	संशोधनों (-) के				
ਠ	माध्यम से घटी हुई				
	प्रदाय / कर				
_	(उपर्युक्त झ से ठ)				
ਤ	का आंशिक योग				
	प्रदाय और अग्रिम				
_	जिस पर संदत्त किया				
ढ	जाना है, उपर्युक्त				
	(ज+ਵ)				

ऐसे जावक प्रदायों के ब्यौरे जिस पर, उस वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल की गई करसंदेय नहीं है

	कर संदाय के बिना			
क	शून्य रेटेड प्रदाय			
	(निर्यात)			
	कर संदाय के बिना			
ख	विशेष आर्थिक जोनों			
	की प्रदाय			
	प्रदाय जिस पर उलटे			
ग	गए भार के आधार			
01	पर प्राप्तिकर्ता द्वारा			
	संदाय किया जाना है			
घ	छूट-प्राप्त			
ਭ.	शून्य रेटेड			
च	गैर - जी एस टी			

	प्रदाय (जिसके			
	अंतर्गत 'कोई प्रदाय			
	नहीं' भी है)			
_	आंशिक योग			
ন্ত,	(उपर्युक्त क से छ)			
	उपर्युक्त (क) से (छ)			
ज	में विनिर्दिष्ट			
OI .	संव्यवहारों के संबंध			
	में जारी साखपत (-)			
	उपर्युक्त (क) से (छ)			
	में विनिर्दिष्ट			
झ	संव्यवहारों के संबंध			
	में जारी नामे नोट			
	(+)			
_	संशोधनों (+) के			
ञ	माध्यम से घोषित			
	प्रदाय संशोधनों (-) के			
ट	माध्यम से घटी हुई			
C	प्रदाय			
	आंशिक योग			
ਠ	(उपर्युक्त ज से ट)			
	आवर्तन जिस पर			
ਤ	संदत्त किया जाना है,			
	उपर्युक्त (छ+ढ)			
	कुल आवर्तन (अग्रिम			
ढ	सहित) उपर्युक्त ४ढ			
	+ 5ਭ -4জ)			
	,			

पीटी. III वित्तीय वर्ष के लिए आईटीसी के ब्यौरे

			राज्यकर/ससं		
	प्रकार	केंद्रीय कर	घ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
विवरण					
1	2	3	4	5	6

6 वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोग किए गए आईटीसी के ब्यौरे

	प्ररुप जी एस टी आर-3ख के				
क	माध्यम से उपभोग की गई निवेश				
	कर प्रत्यय की कुल रकम (प्ररुप	<आटो>	<आटो>	< आटो >	< आटो >

	जी एस टी आर - 3ख 4क कर कुल जोड़)	ा के सारणी		
	आवक प्रदाय (रिवर्स	निवेश		
	भार के लिए दायी आयातों और आवक	पूंजी माल		
ख	प्रदायों से भिन्न परंतु विशेष आर्थिक जोनों से प्राप्त सेवाएं सम्मिलित हैं)	निवेश सेवाएं		
	रिवर्स भार (उपर्युक्त	निवेश		
	ख से भिन्न) के लिए दायी अरजिस्ट्रीकृत	पूंजी माल		
ग	व्यक्तियों से प्राप्त आवक प्रदाय जिस पर कर संदत्त है और आई टीसी का उपभोग किया गया है			
	रिवर्स भार (उपर्युक्त	निवेश		
	ख से भिन्न) के लिए दायी अरजिस्ट्रीकृत	पूंजी माल		
घ	व्यक्तियों से प्राप्त आवक प्रदाय जिस पर कर संदत्त है और आई टीसी का उपभोग किया गया है			
ਭ.	मालों का आयात (विशेष आर्थिक जोनों	निवेश पूंजी माल		
च	से प्रदाय शामिल) सेवाओं का आयात (वि जोनों से आवक प्रदाय	शेष आर्थिक		
ন্ত,	आई एस डी से प्राप्त प्रत्यय			
ਗ	अधिनियम के उपबंधों पुननिर्मित आई टी सी (उपर्युक्त ख से भिन्न)			
झ	आंशिक योग (उपर्युक्त	ख से ज)		
ਤ	अंतर (उपर्युक्त झ-क)			
ट	टी आर ए एन- । के संक्रमण प्रत्यय (पुनरी यदि कोई हो)			
ਠ	टी आर ए एन- II के संक्रमण प्रत्यय	माध्यम से		
ਤ	उपभोग की गई वि	केन्तु ऊपर		

	विनिर्दिष्ट नहीं की गई कोई अन्य आईटीसी		
ढ	आंशिक योग (उपर्युक्त ट से ड तक)		
ण	उपभोग की गई कुल आई टी सी (उपर्युक्त झ + ढ)		

वित्तीय वर्ष के दौरान प्रतिवर्ती आईटीसी के और अपात्र आईटीसी के ब्यौरे

क	नियम 37 के अनुसार		
ख	नियम 39 के अनुसार		
ग	नियम 42 के अनुसार		
घ	नियम 43 के अनुसार		
ਭ.	धारा 17 (5) के अनुसार		
च	टीआर ए एन - I प्रत्यय का		
	ਤ ਲ ਟਾਰ		
छ	टीआर ए एन - I I प्रत्यय का		
O.	उलटाव		
ज	अन्य उलटाव (कृपया विनिर्दिष्ट		
GI	करें)		
टा	कुल प्रतिवर्तित आईटीसी (उपर्युक्त		
झ	क से ज का जोड़)		
ञ	उपयोग के लिए उपलब्ध शुद्ध		
7	आई टी सी (6ण-7झ)		

8 सूचना से संबंधित अन्य आई टी सी

	जी एस टी आर -2क के अनुसार				
क	आई टी सी	<आटो>	<आटो>	< आटो >	< आटो >
-	उपर्युक्त 6(ख) और 6(ज) की कुल				
ख	रकम के अनुसार आई टी सी	<आटो>			
	वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त				
	आवक प्रदाय पर आई टी सी				
	(रिवर्स भार के लिए दायी आयातों				
_	और आवक प्रदायों से भिन्न)				
ग	परंतु विशेष आर्थिक जोनों से प्राप्त				
	सेवाओं सहित) परंतु अप्रैल से				
	सितंबर, 2018 के दौरान उपभोग				
	किए गए				
घ	अंतर (क- ख +ग)				
_	उपलब्ध आई टी सी परंतु उपभोग				
ਭ.	न की गई				
च	उपलब्ध आई टी सी परंतु				

	अन्पयुक्त				
	मालों के आयात पर संदत्त आई				
ন্ত	जीएसटी (विशेष आर्थिक जाने से				
	प्रदाय सहित)				
	मालों के आयात पर उपभोग की				
ज	गई आई जीएसटी प्रत्यय				
	(उपर्युक्त 6(इ.) के अनुसार	<आटो>			
झ	अंतर (छ-ज)				
	मालों के आयात पर उपलब्ध आई				
ञ	टी सी परंतु उपयोग न की गई (झ				
	के समान)				
	चालू वित्तीय वर्ष में व्ययगत होने				
ਟ	वाला कुल आई टी सी (ड. +च +				
	ਤ)	<आटो>	<आटो>	< आटो >	< आटो >

पीटी.	
IV	वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल विवरणियों में घोषित रुप में संदत्त कर के ब्यौरे
	आई टी सी के माध्यम से संदत्त

9	विवरण	सं दे य क र	सदंत्त	केंद्रीय कर	राज्यकर/ संघ राज्य क्षेत्र कर	समेकित कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6	7
	एकीकृत कर						
	केंद्रीय कर						
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर						
	उपकर						
	ब्याज						
	विलंब फीस						
	शास्ति						
	अन्य						

पीटी. V चालू वितीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर तक की विवरणियों में घोषित पूर्व वितीय वर्ष के या पूर्व वितीय वर्ष की वार्षिक विवरणी के फाईल किए जाने की तारीख तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, संव्यवहारों की विशिष्टियां

				राज्यकर/		उपकर
			केंद्रीय कर	संघ राज्य	एकीकृत कर	
		संदेय		क्षेत्र कर	_	
	विविरण	मूल्य				
	1	2	3	4	5	6
	संशोधनों (+) के					
10	माध्यम से घोषित					
10	प्रदाय / कर(शुद्ध					
	नामे नोट)					
	संशोधनों (-) के					
11	माध्यम से घटी हुई					
	प्रदाय/ कर(शुद्ध साख					
	पत्र)					
	पूर्व वित्तीय वर्ष के					
12	दौरान उपभोग की					
12	गई आई टी सी का					
	उलटाव					
	पूर्व वितीय वर्ष के					
13	लिए उपभोग की गई					
	आईटीसी					

14	उपर्युक्त 10 और 11 में घोषणा के कारण संदत्त अंतरीय कर								
	विविरण	संदेय	संदत्त						
	1	2	3						
	एकीकृत कर								
	केंद्रीय कर								
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर								
	उपकर								
	ब्याज								

पीटी.	
VI	अन्य जानकारी
15	मांग और प्रतिदाय का विवरण

			राज्य/सं					
	ब्यौरा	केंद्रीय	घ राज्य	एकीकृत				
		कर	क्षेत्र कर	कर	उपकर	ब्याज	शास्ति	विलंब फीस/ अन्य
	1	2	3	4	5			
	कुल							
क	दावाकृत प्रतिदाय							
	प्रतिदाय							
ख	कुल							
G	मंजूर							

		1	1		
	प्रतिदाय				
ग	कुल अस्वीकृ त प्रतिदाय				
घ	कुल लंबित प्रतिदाय				
ਤ.	कुल करों की मांग				
ਧ	उपर्युक्त इ. के संबंध में संदत्त कुल कर				
ভ	उपर्युक्त इ. में से लंबित कुल मांग				

धारा 143 के अधीन समिश्रण कर दाताओं, समझी गई प्रदाय से प्राप्त प्रर्तियों पर जानकारी और अनुमोदन आधार पर भेजा गया माल

	ब्यौरे	संदेय मूल्य	केंद्रीय कर	राज्यकर/ संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उ पकर
	1	2	3	4	5	6
क	समिश्रण करदाताओं से प्राप्त प्रदाय					
ख	धारा 143 के अधीन समझी गई प्रदाय					
ग	अनुमोदन आधार पर भेजा गया माल, जो वापस नहीं आया					

<u>17</u> <u>जावक प्रदायों का सारांश वार एचएसएन</u>

एच एस एन कोड	यू क्यू सी	कुल परिमा ण	सं दे य मू ल्य	कर की दर	केंद्रीय कर	राज्यकर/ संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

18 आवक प्रदायों का एचएसएन वार सारांश

1	2	3	4	5	6	7	8	9
एच एस एन कोड	यू क्यू सी	कुल परिमा ण	सं दे य मू	कर की द	केंद्रीय कर	राज्यकर/ संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर

19	संदेय और संदत्त विलंब फीस		
	विवरण	संदेय	संदत्त
	1	2	3
क	केंद्रीय कर		
ख	राज्य कर		

सत्यापन:

में, सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है तथा आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती की दशा में उसके लाभ को प्रदाय के प्राप्तिकर्ता को प्रदान कर दिया गया है/कर दिया जाएगा ।

हस्ताक्षर

स्थान : प्राधिकृत हस्ताक्षकर्ता

का नाम

तारीख: पदनाम/प्रास्थिति

अनुदेश :--

1. प्रयुक्त पद :

क. जीएसटीआईएन : माल और सेवा कर पहचान संख्या

ख. यूक्यूसी : यूनिट मात्रा कूट

ग. एचएसएन : नाम पद्धति कूट की सुमेलित पद्धति

- 2. इस विवरणी को फाइल करने से पूर्व वितीय वर्ष 2017-18 के लिए अपने सभी प्ररूप जीएसटी आर-1 और प्ररूप जीएसटी आर-3ख भरना आज्ञापक है। इस विवरणी में जुलाई, 2017 से मार्च 2018 के बीच की अवधि के ब्यौरे उपलब्ध कराए जाएं।
- 3. यह नोट किया जाए कि वितीय वर्ष 2017-18 का अतिरिक्त उत्तरदायित्व जो प्ररूप जीएसटी आर-1 और प्ररूप जीएसटी आर-3ख घोषित नहीं किया गया है इस विवरणी में घोषित किया जाए। तथापि, इस विवरणी के माध्यम से वितीय वर्ष 2017-20182017-2018 के दौरान गैरदावाकृत इनप्ट कर प्रत्यय का करदाता दावा नहीं कर सकता।
- 4. भाग II में वित्तीय वर्ष के दौरान सभी जावक प्रदायों और प्राप्त अग्रिम के ब्यौरे हैं, जिनके लिए वार्षिक विवरणी फाइल की गई है । यह नोट किया जाए कि सभी प्रदायों जिनका संदाय प्ररूप जीएसटी आर-3ख के माध्यम से जुलाई 2017 से मार्च 2018 के मध्य किया गया है की घोषणा इस भाग की जाएगी।

सारणी 3	
\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	अनुदेश
सं.	
4क. 3	उपभोक्ताओं और अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस
τ	पर कर संदत्त किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इनमें ई-वाणिज्य प्रचालकों
ें दें	के माध्यम से की गई प्रदायों के ब्यौरे सम्मिलित होंगे और उनकी इस संबंध में
-	जारी किए गए जमा पत्र या नामे नोट के शुद्ध के रूप में घोषणा की जानी है । इन
3	ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9 और सारणी 10 में क्रमश:
	संशोधनों के साथ सारणी 5, सारणी-7 का उपयोग किया जा सकेगा ।
4ख. र	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य(जिसके अंतर्गत यूआईएन
7	को किए गए प्रदाय भी हैं) जिस पर कर संदत्त किया गया है, की यहां घोषणा की
-	जाएगी । इनमें ई-वाणिज्यिक प्रचालकों के माध्यम से की गई प्रदाय यां सम्मिलित
₹	होंगी किंतु इनमें ऐसी प्रदाय यां सम्मिलित नहीं होंगी, जिन पर प्राप्तिकर्ता द्वारा
3	अनुलोम प्रभार आधार पर कर का संदाय किया जाना है । नामे नोट और शाख पत्रों
3	के ब्यौरों का पृथक रूप से वर्णन किया जाना है । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप
-	जीएसटीआर-1 की सारणी 4क और सारणी 4ग का उपयोग किया जा सकेगा ।
4ग. र्	निर्यात का समग्र मूल्य (विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों के सिवाय), जिस
τ	पर कर संदत्त किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के
ſ	लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6क का उपयोग किया जा सकेगा ।
4ਬ. ੀ	विशेष आर्थिक जोन को प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर कर संदत्त किया गया है,
7	की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की
₹	सारणी 6ख का उपयोग किया जा सकेगा ।
4ਝ. ੨	समझे गए निर्यात की प्रकृति की प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर कर संदत्त किया
	गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-
-	1 की सारणी 6ग का उपयोग किया जा सकेगा ।
4च. 3	असमायोजित अग्रिमों के ब्यौरे, अर्थात् अग्रिम प्राप्त किया गया है और कर संदत्त
f	किया गया है किंतु चालू वर्ष में बीजक जारी नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की
3	जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 11क का
3	उपयोग किया जा सकेगा ।

नामें नोट भी हैं) जिन पर कर का प्राप्तिकर्ता द्वारा (अर्थात वार्षिक विवरणी फाइल करने वाले व्यक्ति द्वारा) रिवंस प्रभार आधार पर संदाय किया जाना है । इसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, अरिजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त प्रदाय यां हैं, जिन पर अनुलोम प्रभार आधार पर कर उदग्रहित किया गया है । इसके अंतर्गत सभी सेवाओं के आयात का समग्र मृत्य भी सिम्मिलित होगा । इन व्योरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 3.1(घ) का उपयोग किया जा सकेगा । 4इर.		
करने वाले व्यक्ति द्वारा) रिर्वस प्रभार आधार पर संदाय किया जाना है । इसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त प्रदाय यां हैं, जिन पर अनुलोम प्रभार आधार पर कर उदयहित किया गया है । इसके अंतर्गत सभी सेवाओं के आयात का समग्र मूल्य भी सिन्मितित होगा । इन व्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 3.1(घ) का उपयोग किया जा सकेगा । 4झ. एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोनों को की गई प्रदायों (4घ) का समग्र मूल्य और समझे गए निर्यात (4इ) की यहां घोषणा की जाएगी । इन व्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा । 4ञ. एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों के संबंध में जारी नामे नोट (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों (4घ) का समग्र मूल्य और समझे गए निर्यात (4इ) की यहां घोषणा की जाएगी । इन व्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा । 4ट और पक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोनों को की गई प्रदाय (4घ) में किए गए प्रशायों किया जा सकेगा । 4ट और पक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोनों के की गई प्रदाय (4घ) में किए गए प्रशायों किया जा सकेगा । 5क. निर्यात का अग्र पश्च (4झ), नामे नोट (4ञ) तथा प्रतिदाय बाउचरों की यहां घोषणा की जाएगी । इन व्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9क आर्थिक जोन को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य जिस पर कर संदत नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन व्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5ख. विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर कर संदत नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन व्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5ख. उत्तर देवत नहीं को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर प्राप्तकर्त के छोषणा पृथक रूप से की जानी है । इन व्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 4ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5ज. उत्तर उत्तर नहीं का मूल्य (5च) गैर जीएसटी प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों के समग्र मूल्य क	4छ.	सभी आवक प्रदायों का समग्र मूल्य (जिसके अंतर्गत अग्रिम और शुद्ध प्रत्यय और
अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त प्रदाय यां हैं, जिल पर अनुलोम प्रभार आधार पर कर उदयहित किया गया है । इसके अंतर्गत सभी सेवाओं के आयात का समग्र मृल्य भी सिम्मिलित होगा । इन व्योरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 3.1(ध) का उपयोग किया जा सकेगा । पक काराबार से दूसरे कारावार को किए गए प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोनों को की गई प्रदायों (4ध) का समग्र मृल्य और समझे गए निर्यात (4ड) की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा । 4ज. एक काराबार से दूसरे काराबार को किए गए प्रदायों के संबंध में जारी नामे नोट (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों (4ध) का समग्र मृल्य और समझे गए निर्यात (4ड) की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा । 4ट और एक काराबार से दूसरे काराबार को किए गए प्रदायों (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोनों को नी गई प्रदाय (4घ) में किए गए प्रदायों (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोनों को नी गई प्रदाय (4घ) में किए गए प्रदायों (4ख), निर्यात (4ड), जमा पत्र (4द्रा), नामे नोट (4ज) तथा प्रतिदाय बाउचरों की यहां घोषणा की जाएगी । इन व्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9क और सारणी 9ग का उपयोग किया जा सकेगा । 5क. निर्यात का समग्र मृल्य (विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों के सिवाय) जिस पर कर संदत नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन व्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6क का उपयोग किया जा सकेगा । 5ख. विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों का समग्र मृल्य, जिस पर कर संदत नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन व्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5ग. रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मृल्य, जिस पर प्राप्तिकर्ता द्वारा अनुलोम प्रभार आधार पर कर संदेय हैं । नामे नोट और शाख पत्रों के ब्यौरों की घोषणा पृथक रूप से की जानी है । इन व्यौरों को अरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 4ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5इ. इन प्रदास नहीं" का मृल्य (5घ) गैर जीएसटी प्रदाय के अधीन घोषण में के समग्र के समग्र मृल्य की		नामे नोट भी हैं) जिन पर कर का प्राप्तिकर्ता द्वारा (अर्थात वार्षिक विवरणी फाइल
पर अनुलोम प्रभार आधार पर कर उदयहित किया गया है । इसके अंतर्गत सभी सेवाओं के आयात का समग्र मृल्य भी सम्मिलित होगा । इन ब्योरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 3.1(ध) का उपयोग किया जा सकेगा । एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रें (4ख), निर्मात (4ग), विशेष आर्थिक जोनों को की गई प्रदायों (4घ) का समग्र मृल्य और समझे गए निर्मात (4ग) की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा । 4त्र. पक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों के संबंध में जारी नामे नोट (4ख), निर्मात (4ग), विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों (4घ) का समग्र मृल्य और समझे गए निर्मात (4ड) की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्योरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा । 4ट और एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों (4घ), निर्मात (4ग), विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों (4घ) का समग्रा गृत्य और समझे गए निर्मात (4ड) की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्योरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा । 4ट और एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों (4ख), निर्मात (4ग), विशेष आर्थिक जोनों को की गई प्रदाय (4घ) में किए गए प्रदायों किया जा सकेगा । 5क. निर्मात का समग्र मृल्य (विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों के सारणी 9क और सारणी 9ग का उपयोग किया जा सकेगा । 5क. निर्मात का समग्र मृल्य (विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों के सिवाय) जिस पर कर संदत नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्योरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5ख. विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों का समग्र मृल्य, जिस पर कर संदत नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्योरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5ग. रिजस्टीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मृल्य, जिस पर प्राप्तकर्ता की घोषणा पृथक रूप से की जानी है । इन ब्योरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 4ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5इ. ठड प्रदान निर्ण का मृल्य (5घ) गैर जीएसटी प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों के समग्र मृल्य के यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्योरों के अरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5इ. ठक, 5ख, 5ग, 5घ		करने वाले व्यक्ति द्वारा) रिर्वस प्रभार आधार पर संदाय किया जाना है । इसके
सेवाओं के आयात का समग्र मूल्य भी सम्मिलित होगा । इन ब्योरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 3.1(घ) का उपयोग किया जा सकेगा । 4झ. एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गण प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोनों को की गई प्रदायों (4घ) का समग्र मूल्य और समझे गण निर्यात (4इ) की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्योरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा । 4ञ. एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गण प्रदायों के संबंध में जारी नामे नोट (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों (4घ) का समग्र मूल्य और समझे गण निर्यात (4इ) की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्योरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा । 4ट और एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गण प्रदायों (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोनों को की गई प्रदाय (4ध) में किए गण प्रदायों (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोनों को की गई प्रदाय (4ध) में किए गण प्रहायों पिख), निर्यात (4ड), जमा पत्र (4झ), नामे नोट (4ज) तथा प्रतिदाय बाउचरों की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्योरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9क और सारणी 9ग का उपयोग किया जा सकेगा । 5क. निर्यात का समग्र मृल्य (विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों के सिवाय) जिस पर कर संदत नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्योरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5ख. विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों का समग्र मृल्य, जिस पर कर संदत नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्योरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5ग. रिजस्टीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मृल्य, जिस पर प्रित्त करी होषणा पृथक रूप से की जानी है । इन ब्योरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 4ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5इ. ठड प्रदान किए गए, शून्य दर तथा गैर जीएसटी प्रदायों की सारणी 8 का उपयोग किया जा सकेगा । "कोई प्रदान नहीं" का मृल्य (5घ) गैर जीएसटीआर-1 की सारणी 8 का उपयोग किया जा सकेगा । 5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ड और 5घ मैं घोषित प्रदायों के संबंध मैं जारी शाख पत्र के समग्र मृल्य की यहा घोषणा की जाएगा । इन ब्योरों को अरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी का		अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त प्रदाय यां हैं, जिन
लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 3.1(घ) का उपयोग किया जा सकेगा 4झ. एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों (4ख), विर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोनों को की गई प्रदायों (4घ) का समग्र मृल्य और समझे गए निर्यात (4ङ) की यहां घोषणा की जाएगी इन ब्योरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा 4ज. एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों के संबंध में जारी नामे नोट (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों (4घ) का समग्र मृल्य और समझे गए निर्यात (4ङ) की यहां घोषणा की जाएगी इन ब्योरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा 4ट और एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोनों को की गई प्रदाय (4घ) में किए गए संशोधनों के ब्योरे और समझा गया निर्यात (4ङ), जमा पत्र (4झ), नामे नोट (4त्र) तथा प्रतिदाय बाउचरों की यहां घोषणा की जाएगी इन ब्योरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9क और सारणी 9ग का उपयोग किया जा सकेगा 5क. निर्यात का समग्र मृल्य (विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों के सिवाय) जिस पर कर संदत नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी इन ब्योरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6क का उपयोग किया जा सकेगा 5ख. विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों का समग्र मृल्य, जिस पर कर संदत नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी इन ब्योरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी कि का उपयोग किया जा सकेगा 5ग. रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मृल्य, जिस पर प्राप्तिकर्ता द्वारा अनुलोम प्रभार आधार पर कर संदेय है नामे नोट और शाख पत्रों के ब्योरों की घोषणा पृथक रूप से की जानी है इन ब्योरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 4ख का उपयोग किया जा सकेगा 5इ. 5इ प्रदान किए गए, शूल्य दर तथा गैर जीएसटी प्रदायों की यहां घोषणा की जाएगी इन ब्योरों को अरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 8 का उपयोग किया जा सकेगा 5ऊ. 5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5इ और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों के समग्र मृल्य की यहां घोषणा की जाएगी इन ब्योरों को करने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा		पर अनुलोम प्रभार आधार पर कर उदग्रहित किया गया है । इसके अंतर्गत सभी
पक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोनों को की गई प्रदायों (4घ) का समग्र मृत्य और समझे गए निर्यात (4ड) की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्योरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा । 43. एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों के संबंध में जारी नामे नोट (4ख), निर्यात (4ग), दिशेष आर्थिक जोन को गई प्रदायों (4घ) का समग्र मृत्य और समझे गए निर्यात (4ड) की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्योरों को भरने के लिए प्रूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा । 42 और एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोनों को की गई प्रदाय (4घ) में किए गए संशोधनों के ब्योरे और समझा गया निर्यात (4ड), जमा पत्र (4झ), नामे नोट (4त्र) तथा प्रतिदाय बाउचरों की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्योरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9क और सारणी 9ग का उपयोग किया जा सकेगा । 5क. निर्यात का समग्र मृत्य (विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों के सिवाय) जिस पर कर संदत नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्योरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6क का उपयोग किया जा सकेगा । 5ख. विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों का समग्र मृत्य, जिस पर कर संदत नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्योरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5ग. रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मृत्य, जिस पर प्राप्तिकर्ता द्वारा अनुलोम प्रभार आधार पर कर संदेय है । नामे नोट और शाख पत्रों के ब्योरों की घोषणा पृथक रूप से की जानी है । इन ब्योरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 4ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5इ. 5इ उपरान किए गए, शृन्य दर तथा गैर जीएसटी प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों के समग्र मृत्य की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्योरों के सरने के लिए प्ररूप जी सहगा । "कोई प्रदाय नहीं" का मृत्य (5च) गैर जीएसटी प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों के समग्र मृत्य की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्योरों के किय के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5ज. 5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5इ और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी नामे नोट के लिए प्ररूप		सेवाओं के आयात का समग्र मूल्य भी सम्मिलित होगा । इन ब्यौरों को भरने के
निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोनों को की गई प्रदायों (4घ) का समग्र मृल्य और समझे गए निर्यात (4ङ) की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा । 4ज. एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों के संबंध में जारी नामे नोट (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों (4घ) का समग्र मृल्य और समझे गए निर्यात (4ङ) की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा । 4ट और एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोनों को की गई प्रदाय (4घ) में किए गए संशोधनों के ब्यौरे और समझा गया निर्यात (4ड), जमा पत्र (4झ), नामे नोट (4ज) तथा प्रतिदाय बाउचरों की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9क और सारणी 9ग का उपयोग किया जा सकेगा । 5क. निर्यात का समग्र मृल्य (विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों के सिवाय) जिस पर कर संदत नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6क का उपयोग किया जा सकेगा । 5ख. विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों का समग्र मृल्य, जिस पर कर संदत नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5ग. रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मृल्य, जिस पर प्राप्तिकर्ता द्वारा अनुलोम प्रभार आधार पर कर संदेय है । नामे नोट और शाख पत्रों के ब्यौरों की घोषणा पृथक् रूप से की जानी है । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 4ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5इ. 5इ छूट प्रदान किए गए, शून्य दर तथा गैर जीएसटी प्रदायों की यहां घोषणा की जाएगी किया जा सकेगा । 5ज. 5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5इ और 5घ में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों के समग्र मृल्य की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा ।		लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 3.1(घ) का उपयोग किया जा सकेगा ।
समझे गए निर्यात (4ड) की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा । 43. एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों के संबंध में जारी नामें नोट (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों (4घ) का समग्र मृल्य और समझे गए निर्यात (4ड) की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा । 42 और (4ड), जमा पत्र (4घ) में किए गए प्रदायों (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोनों को की गई प्रदाय (4घ) में किए गए प्रदायों (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोनों को की गई प्रदाय (4घ) में किए गए प्रतायों (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोनों को लागी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9क और सारणी 9ग का उपयोग किया जा सकेगा । 5क. निर्यात का समग्र मृल्य (विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों के सिवाय) जिस पर कर संदत नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6क का उपयोग किया जा सकेगा । 5ख. विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों का समग्र मृल्य, जिस पर कर संदत्त नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5ग. रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मृल्य, जिस पर प्राप्तिकर्ता द्वारा अनुलोम प्रभार आधार पर कर संदेय हैं । नामें नोट और शाख पत्रों के ब्यौरों की घोषणा पृथक् रूप से की जानी है । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 4ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5घ, 5ड छुट प्रदान किए गए, शूल्य दर तथा गैर जीएसटी प्रदायों के सहां घोषणा की जाएगी जोएसटीआर-1 की सारणी किया जा सकेगा । 'कोई प्रदाय नहीं' का मृल्य (5घ) गैर जीएसटी प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों के समग्र मृल्य की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को अरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5इ. 5ढ, 5ख, 5घ, 5घ, 5घ और 5घ में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी नामें नोट के	4झ.	एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों (4ख),
प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा । 4ज. एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों के संबंध में जारी नामे नोट (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों (4घ) का समग्र मूल्य और समझे गए निर्यात (4ङ) की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा । 4ट और एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोनों को की गई प्रदाय (4घ) में किए गए संशोधनों के ब्यौरे और समझा गया निर्यात (4ङ), जमा पत्र (4झ), नामे नोट (4ज) तथा प्रतिदाय बाउचरों की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9क और सारणी 9ग का उपयोग किया जा सकेगा । 5क. निर्यात का समग्र मूल्य (विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों के सिवाय) जिस पर कर संदत नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6क का उपयोग किया जा सकेगा । 5ख. विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर कर संदत्त नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5ग. रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर प्राप्तिकर्ता द्वारा अनुलोम प्रभार आधार पर कर संदेय हैं । नामे नोट और शाख पत्रों के ब्यौरों की घोषणा पृथक् रूप से की जानी है । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 4ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5इ. इड अपर किए गए, शूल्य दर तथा गैर जीएसटी प्रदायों के सहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को अरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी किया जा सकेगा । 'कोई प्रदाय नहीं' का मूल्य (5च) गैर जीएसटी प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को अरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5इ. 5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ड और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी नामे नोट के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को अरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा ।		निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोनों को की गई प्रदायों (4घ) का समग्र मूल्य और
पक्त कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों के संबंध में जारी नामे नोट (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों (4घ) का समग्र मूल्य और समझे गए निर्यात (4ड) की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्योरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा । 4ट और एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोनों को की गई प्रदाय (4घ) में किए गए संशोधनों के ब्योरे और समझा गया निर्यात (4ड), जमा पत्र (4इा), नामे नोट (4त्र) तथा प्रतिदाय बाउचरों की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्योरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9क और सारणी 9ग का उपयोग किया जा सकेगा । 5क. निर्यात का समग्र मूल्य (विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों के सिवाय) जिस पर कर संदत नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्योरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6क का उपयोग किया जा सकेगा । 5ख. विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर कर संदत नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्योरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5ग. रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर प्राप्तिकर्ता द्वारा अनुलोम प्रभार आधार पर कर संदेय है । नामे नोट और शाख पत्रों के ब्योरों की घोषणा पृथक् रूप से की जानी है । इन ब्योरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 4ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5इ. 5इ छूट प्रदान किए गए, शून्य दर तथा गैर जीएसटी प्रदायों की यहां घोषणा की जाएगी और 5च. । इन ब्योरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 8 का उपयोग किया जा सकेगा । "कोई प्रदाय नहीं" का मूल्य (5च) गैर जीएसटी प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्योरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा ।		समझे गए निर्यात (4ङ) की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए
निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों (4घ) का समग्र मूल्य और समझे गए निर्यात (4ड) की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्योरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा । 4ट और एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोनों को की गई प्रदाय (4घ) में किए गए संशोधनों के ब्योरे और समझा गया निर्यात (4ड), जमा पत्र (4झ), नामे नोट (4त्र) तथा प्रतिदाय बाउचरों की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्योरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9क और सारणी 9ग का उपयोग किया जा सकेगा । 5क. निर्यात का समग्र मूल्य (विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों के सिवाय) जिस पर कर संदत नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्योरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6क का उपयोग किया जा सकेगा । 5ख. विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर कर संदत नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्योरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5ग. रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर प्राप्तिकर्ता द्वारा अनुलोम प्रभार आधार पर कर संदेय है । नामे नोट और शाख पत्रों के ब्योरों की घोषणा पृथक् रूप से की जानी है । इन ब्योरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 4ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5इ. 5इ छूट प्रदान किए गए, शून्य दर तथा गैर जीएसटी प्रदायों की यहां घोषणा की जाएगी और 5च. । इन ब्योरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 8 का उपयोग किया जा सकेगा । "कोई प्रदाय नहीं" का मूल्य (5च) गैर जीएसटी प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्योरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा ।		प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा ।
समझे गए निर्यात (4ड) की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा । 4ट और एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोनों को की गई प्रदाय (4घ) में किए गए संशोधनों के ब्यौरे और समझा गया निर्यात (4ड), जमा पत्र (4झ), नामे नोट (4ज) तथा प्रतिदाय बाउचरों की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9क और सारणी 9ग का उपयोग किया जा सकेगा । 5क. निर्यात का समग्र मृल्य (विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों के सिवाय) जिस पर कर संदत नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6क का उपयोग किया जा सकेगा । 5ख. विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों का समग्र मृल्य, जिस पर कर संदत नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5ग. रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मृल्य, जिस पर प्राप्तिकर्ता द्वारा अनुलोम प्रभार आधार पर कर संदेय है । नामे नोट और शाख पत्रों के ब्यौरों की घोषणा पृथक् रूप से की जानी है । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 4ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5घ, 5ड छूट प्रदान किए गए, शून्य दर तथा गैर जीएसटी प्रदायों की यहां घोषणा की जाएगी और 5च. । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 8 का उपयोग किया जा सकेगा । "कोई प्रदाय नहीं" का मृल्य (5च) गैर जीएसटी प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों के समग्र मृल्य की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5इ. 5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ड और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी नामे नोट के	4퍼.	एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों के संबंध में जारी नामे नोट (4ख),
समझे गए निर्यात (4ड) की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा । 4ट और एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोनों को की गई प्रदाय (4घ) में किए गए संशोधनों के ब्यौरे और समझा गया निर्यात (4ड), जमा पत्र (4झ), नामे नोट (4ज) तथा प्रतिदाय बाउचरों की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9क और सारणी 9ग का उपयोग किया जा सकेगा । 5क. निर्यात का समग्र मृल्य (विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों के सिवाय) जिस पर कर संदत नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6क का उपयोग किया जा सकेगा । 5ख. विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों का समग्र मृल्य, जिस पर कर संदत नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5ग. रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मृल्य, जिस पर प्राप्तिकर्ता द्वारा अनुलोम प्रभार आधार पर कर संदेय है । नामे नोट और शाख पत्रों के ब्यौरों की घोषणा पृथक् रूप से की जानी है । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 4ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5घ, 5ड छूट प्रदान किए गए, शून्य दर तथा गैर जीएसटी प्रदायों की यहां घोषणा की जाएगी और 5च. । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 8 का उपयोग किया जा सकेगा । "कोई प्रदाय नहीं" का मृल्य (5च) गैर जीएसटी प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों के समग्र मृल्य की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5इ. 5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ड और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी नामे नोट के		निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों (4घ) का समग्र मूल्य और
4ट और एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोनों को की गई प्रदाय (4घ) में किए गए संशोधनों के ब्योरे और समझा गया निर्यात (4ङ), जमा पत्र (4झ), नामे नोट (4त्र) तथा प्रतिदाय बाउचरों की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्योरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9क और सारणी 9ग का उपयोग किया जा सकेगा । 5क. निर्यात का समग्र मूल्य (विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों के सिवाय) जिस पर कर संदत नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्योरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6क का उपयोग किया जा सकेगा । 5ख. विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर कर संदत नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्योरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5ग. रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर प्राप्तिकर्ता द्वारा अनुलोम प्रभार आधार पर कर संदेय है । नामे नोट और शाख पत्रों के ब्योरों की घोषणा पृथक् रूप से की जानी है । इन ब्योरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 4ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5घ, 5ड छूट प्रदान किए गए, शून्य दर तथा गैर जीएसटी प्रदायों की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्योरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 8 का उपयोग किया जा सकेगा । "कोई प्रदाय नहीं" का मूल्य (5च) गैर जीएसटी प्रदाय के अधीन घोषित किया जाएगा। 5ज. 5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ड और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्योरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा ।		
4ठ. जोनों को की गई प्रदाय (४घ) में किए गए संशोधनों के ब्यौरे और समझा गया निर्यात (४इ), जमा पत्र (४झ), नामे नोट (४त्र) तथा प्रतिदाय बाउचरों की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9क और सारणी 9ग का उपयोग किया जा सकेगा । 5क. निर्यात का समग्र मृल्य (विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों के सिवाय) जिस पर कर संदत नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6क का उपयोग किया जा सकेगा । 5ख. विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों का समग्र मृल्य, जिस पर कर संदत नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5ग. रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मृल्य, जिस पर प्राप्तिकर्ता द्वारा अनुलोम प्रभार आधार पर कर संदेय है । नामे नोट और शाख पत्रों के ब्यौरों की घोषणा पृथक् रूप से की जानी है । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 4ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5घ, 5इ छूट प्रदान किए गए, शून्य दर तथा गैर जीएसटी प्रदायों की यहां घोषणा की जाएगी अगेर 5च. । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 8 का उपयोग किया जा सकेगा । "कोई प्रदाय नहीं" का मृल्य (5च) गैर जीएसटी प्रदाय के अधीन घोषित किया जाएगा। 5ज. 5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5इ और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों के समग्र मृल्य की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा ।		प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा ।
निर्यात (4ड), जमा पत्र (4झ), नामे नोट (4त्र) तथा प्रतिदाय बाउचरों की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9क और सारणी 9ग का उपयोग किया जा सकेगा। 5क.	4ट और	एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक
की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9क और सारणी 9ग का उपयोग किया जा सकेगा । 5क. निर्यात का समग्र मूल्य (विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों के सिवाय) जिस पर कर संदत नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6क का उपयोग किया जा सकेगा । 5ख. विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर कर संदत नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5ग. रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर प्राप्तिकर्ता द्वारा अनुलोम प्रभार आधार पर कर संदेय है । नामे नोट और शाख पत्रों के ब्यौरों की घोषणा पृथक् रूप से की जानी है । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 4ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5घ, 5ड छूट प्रदान किए गए, शून्य दर तथा गैर जीएसटी प्रदायों की यहां घोषणा की जाएगी और 5च. । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 8 का उपयोग किया जा सकेगा । 5ज. 5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ड और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5झ. 5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ड और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी नामे नोट के	4ਰ.	जोनों को की गई प्रदाय (4घ) में किए गए संशोधनों के ब्यौरे और समझा गया
सारणी 9ग का उपयोग किया जा सकेगा । 5क. निर्यात का समग्र मूल्य (विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों के सिवाय) जिस पर कर संदत नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6क का उपयोग किया जा सकेगा । 5ख. विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर कर संदत नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5ग. रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर प्राप्तिकर्ता द्वारा अनुलोम प्रभार आधार पर कर संदेय है । नाम नोट और शाख पत्रों के ब्यौरों की घोषणा पृथक् रूप से की जानी है । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 4ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5घ, 5ड छूट प्रदान किए गए, शून्य दर तथा गैर जीएसटी प्रदायों की यहां घोषणा की जाएगी और 5च. । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 8 का उपयोग किया जा सकेगा । "कोई प्रदाय नहीं" का मूल्य (5च) गैर जीएसटी प्रदाय के अधीन घोषित किया जाएगा। 5ज. 5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ङ और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5इ. 5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ड और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी नामे नोट के		निर्यात (4ङ), जमा पत्र (4झ), नामे नोट (4ञ) तथा प्रतिदाय बाउचरों की यहां घोषणा
5क. निर्यात का समग्र मूल्य (विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों के सिवाय) जिस पर कर संदत्त नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6क का उपयोग किया जा सकेगा । 5ख. विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर कर संदत्त नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5ग. रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर प्राप्तिकर्ता द्वारा अनुलोम प्रभार आधार पर कर संदेय है । नामे नोट और शाख पत्रों के ब्यौरों की घोषणा पृथक् रूप से की जानी है । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 4ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5घ, 5ड छूट प्रदान किए गए, शून्य दर तथा गैर जीएसटी प्रदायों की यहां घोषणा की जाएगी और 5च. । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 8 का उपयोग किया जा सकेगा । "कोई प्रदाय नहीं" का मूल्य (5च) गैर जीएसटी प्रदाय के अधीन घोषित किया जाएगा। 5ज. 5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ड और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5इ. 5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ड और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी नामे नोट के		की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9क और
कर संदत्त नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6क का उपयोग किया जा सकेगा । 5ख. विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर कर संदत्त नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5ग. रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर प्राप्तिकर्ता द्वारा अनुलोम प्रभार आधार पर कर संदेय है । नामे नोट और शाख पत्रों के ब्यौरों की घोषणा पृथक् रूप से की जानी है । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 4ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5घ, 5ड छूट प्रदान किए गए, शून्य दर तथा गैर जीएसटी प्रदायों की यहां घोषणा की जाएगी और 5च. । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 8 का उपयोग किया जा सकेगा । "कोई प्रदाय नहीं" का मूल्य (5च) गैर जीएसटी प्रदाय के अधीन घोषित किया जाएगा। 5ज. 5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ड और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5झ. 5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ड और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी नामे नोट के		सारणी 9ग का उपयोग किया जा सकेगा ।
तिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6क का उपयोग किया जा सकेगा । 5ख. विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर कर संदत्त नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5ग. रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर प्राप्तिकर्ता द्वारा अनुलोम प्रभार आधार पर कर संदेय है । नामे नोट और शाख पत्रों के ब्यौरों की घोषणा पृथक् रूप से की जानी है । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 4ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5घ, 5ड छूट प्रदान किए गए, शून्य दर तथा गैर जीएसटी प्रदायों की यहां घोषणा की जाएगी और 5च. । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 8 का उपयोग किया जा सकेगा । "कोई प्रदाय नहीं" का मूल्य (5च) गैर जीएसटी प्रदाय के अधीन घोषित किया जाएगा। 5ज. 5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ड और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5इ. 5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ड और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी नामे नोट के	5क.	निर्यात का समग्र मूल्य (विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों के सिवाय) जिस पर
5ख. विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर कर संदत नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5ग. रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर प्राप्तिकर्ता द्वारा अनुलोम प्रभार आधार पर कर संदेय है । नामे नोट और शाख पत्रों के ब्यौरों की घोषणा पृथक् रूप से की जानी है । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 4ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5घ, 5ड छूट प्रदान किए गए, शून्य दर तथा गैर जीएसटी प्रदायों की यहां घोषणा की जाएगी और 5च. । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 8 का उपयोग किया जा सकेगा । "कोई प्रदाय नहीं" का मूल्य (5च) गैर जीएसटी प्रदाय के अधीन घोषित किया जाएगा। 5ज. 5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ड और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5झ. 5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ड और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी नामे नोट के		कर संदत्त नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के
किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5ग. रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर प्राप्तिकर्ता द्वारा अनुलोम प्रभार आधार पर कर संदेय है । नामे नोट और शाख पत्रों के ब्यौरों की घोषणा पृथक् रूप से की जानी है । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 4ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5घ, 5ङ छूट प्रदान किए गए, शून्य दर तथा गैर जीएसटी प्रदायों की यहां घोषणा की जाएगी और 5घ. । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 8 का उपयोग किया जा सकेगा । "कोई प्रदाय नहीं" का मूल्य (5च) गैर जीएसटी प्रदाय के अधीन घोषित किया जाएगा। 5ज. 5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ङ और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5इा. 5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ङ और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी नामे नोट के		लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6क का उपयोग किया जा सकेगा ।
जीएसटीआर-1 की सारणी 6ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5ग. रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर प्राप्तिकर्ता द्वारा अनुलोम प्रभार आधार पर कर संदेय है । नामे नोट और शाख पत्रों के ब्यौरों की घोषणा पृथक् रूप से की जानी है । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 4ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5घ, 5ॾ छूट प्रदान किए गए, शून्य दर तथा गैर जीएसटी प्रदायों की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 8 का उपयोग किया जा सकेगा । "कोई प्रदाय नहीं" का मूल्य (5च) गैर जीएसटी प्रदाय के अधीन घोषित किया जाएगा। 5ज. 5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ङ और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5इ. 5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ङ और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी नामे नोट के	5ख.	विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर कर संदत्त नहीं
5ग. रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर प्राप्तिकर्ता द्वारा अनुलोम प्रभार आधार पर कर संदेय है। नामे नोट और शाख पत्रों के ब्यौरों की घोषणा पृथक् रूप से की जानी है। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 4ख का उपयोग किया जा सकेगा। 5घ, 5ड़ छूट प्रदान किए गए, शून्य दर तथा गैर जीएसटी प्रदायों की यहां घोषणा की जाएगी और 5च. । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 8 का उपयोग किया जा सकेगा। "कोई प्रदाय नहीं" का मूल्य (5च) गैर जीएसटी प्रदाय के अधीन घोषित किया जाएगा। 5ज. 5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ड़ और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा। 5झ. 5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ड़ और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी नामे नोट के		किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप
द्वारा अनुलोम प्रभार आधार पर कर संदेय है । नामे नोट और शाख पत्रों के ब्यौरों की घोषणा पृथक् रूप से की जानी है । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 4ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5घ, 5ड़ छूट प्रदान किए गए, शून्य दर तथा गैर जीएसटी प्रदायों की यहां घोषणा की जाएगी और 5च. । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 8 का उपयोग किया जा सकेगा । "कोई प्रदाय नहीं" का मूल्य (5च) गैर जीएसटी प्रदाय के अधीन घोषित किया जाएगा। 5ज. 5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ड़ और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5झ. 5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ड़ और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी नामे नोट के		जीएसटीआर-1 की सारणी 6ख का उपयोग किया जा सकेगा ।
द्वारा अनुलोम प्रभार आधार पर कर संदेय है । नामे नोट और शाख पत्रों के ब्यौरों की घोषणा पृथक् रूप से की जानी है । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 4ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5घ, 5ड़ छूट प्रदान किए गए, शून्य दर तथा गैर जीएसटी प्रदायों की यहां घोषणा की जाएगी और 5च. । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 8 का उपयोग किया जा सकेगा । "कोई प्रदाय नहीं" का मूल्य (5च) गैर जीएसटी प्रदाय के अधीन घोषित किया जाएगा। 5ज. 5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ड़ और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5झ. 5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ड़ और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी नामे नोट के	5ग.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर प्राप्तिकर्ता
की घोषणा पृथक् रूप से की जानी है । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 4ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5घ, 5ङ छूट प्रदान किए गए, शून्य दर तथा गैर जीएसटी प्रदायों की यहां घोषणा की जाएगी और 5च. । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 8 का उपयोग किया जा सकेगा । "कोई प्रदाय नहीं" का मूल्य (5च) गैर जीएसटी प्रदाय के अधीन घोषित किया जाएगा। 5ज. 5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ङ और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5झ. 5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ङ और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी नामे नोट के		द्वारा अनुलोम प्रभार आधार पर कर संदेय है । नामे नोट और शाख पत्रों के ब्यौरों
 5घ, 5ड़ छूट प्रदान किए गए, शून्य दर तथा गैर जीएसटी प्रदायों की यहां घोषणा की जाएगी और 5च. । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 8 का उपयोग किया जा सकेगा । "कोई प्रदाय नहीं" का मूल्य (5च) गैर जीएसटी प्रदाय के अधीन घोषित किया जाएगा। 5ज. 5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ङ और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5इा. 5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ङ और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी नामे नोट के 		की घोषणा पृथक् रूप से की जानी है । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप
और 5च. । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 8 का उपयोग किया जा सकेगा । "कोई प्रदाय नहीं" का मूल्य (5च) गैर जीएसटी प्रदाय के अधीन घोषित किया जाएगा। 5ज. 5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ङ और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5झ. 5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ङ और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी नामे नोट के		जीएसटीआर-1 की सारणी 4ख का उपयोग किया जा सकेगा ।
और 5च. । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 8 का उपयोग किया जा सकेगा । "कोई प्रदाय नहीं" का मूल्य (5च) गैर जीएसटी प्रदाय के अधीन घोषित किया जाएगा। 5ज. 5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ङ और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5झ. 5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ङ और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी नामे नोट के	5ਬ, 5ङ	छूट प्रदान किए गए, शून्य दर तथा गैर जीएसटी प्रदायों की यहां घोषणा की जाएगी
जा सकेगा । "कोई प्रदाय नहीं" का मूल्य (5च) गैर जीएसटी प्रदाय के अधीन घोषित किया जाएगा। 5ज. 5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ङ और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5झ. 5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ङ और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी नामे नोट के		
5ज. 5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ङ और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5झ. 5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ङ और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी नामे नोट के		
समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5झ. 5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ङ और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी नामे नोट के		"कोई प्रदाय नहीं" का मूल्य (5च) गैर जीएसटी प्रदाय के अधीन घोषित किया जाएगा।
जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5झ. 5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ङ और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी नामे नोट के	5ज.	5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ङ और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों के
जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा । 5झ. 5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ङ और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी नामे नोट के		समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप
समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप	5झ.	5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ङ और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी नामे नोट के
		समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप

		जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा ।				
5ञ	और	निर्यात (विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों के सिवाय) में किए गए संशोधनों के				
5ਟ.		ब्यौरे और विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदाय यां, जिन पर कर संदत्त नहीं किया				
		गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-				
		1 की सारणी 9ग का उपयोग किया जा सकेगा ।				
5ਫ.		ल आवर्त, जिसके अंतर्गत सभी प्रदायों (अतिरिक्त प्रदायों और संशोधनों सहित) का				
		योग सम्मिलित है, जिस पर कर संदेय है और कर संदेय नहीं है, की यहां घोषणा की				
		जाएगी । इसके अंतर्गत अग्रिम की रकम भी सम्मिलित होगी, जिस पर कर संदत्त				
		किया गया है, किंतु चालू वर्ष में बीजक जारी नहीं किए गए हैं । तथापि, इसमें				
		आवक प्रदायों का ऐसा समग्र मूल्य सम्मिलित नहीं होगा, जिस पर प्राप्तिकर्ता				
		(अर्थात् वार्षिक विवरण फाईल करने वाले व्यक्ति द्वारा) रिवंस प्रभार आधार पर कर				
		संदत्त किया गया है ।				

5. भाग III में लिए गए सभी इनपुट कर प्रत्यय और वित्त वर्ष में उलट दिए गए कर प्रत्यय के ब्यौरे हैं, जिनके लिए वार्षिक विवरणी फाइल की जाती है । इस भाग को भरने के लिए अन्देश नीचे दिए गए अनुसार है :

सारणी सं.	अनुदेश						
6क.	करदाता के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4ख में लिए गए कर प्रत्यय को						
	स्वतः यहां दिया जाएगा ।						
6ख.	सभी आवक प्रदायों पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय का समग्र मूल्य, सिवाय उनके						
	जिन पर कर अनुलोम प्रभार आधार पर संदेय है, किंतु इसके अंतर्गत विशेष आर्थिक						
	जोन से प्राप्त सेवाओं की प्रदाय की यहां घोषणा की जाएगी । यह नोट किया जा						
	सकता है कि लिए गए कुल इनपुट कर प्रत्यय को इनपुट, पूंजी माल और इनपुट						
	सेवाओं पर इनपुट कर प्रत्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा । इन ब्यौरों को						
	भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(5) का उपयोग किया जा						
	सकेगा ।						
	जिसमें ऐसी आईटीसी सम्मिलित नहीं होगी जिसका उपभोग, रिर्वस किया गया था						
	और तत्पश्चात् आईटीसी लेजर में उसका पुन: दावा किया गया था। इसकी घोषणा						
	नीचे 6(ज) में प्रथक रूप से की जानी चाहिए।						
6ग.	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों पर लिए गए इनपुट कर						
	प्रत्यय का समग्र मूल्य, (सेवाओं के आयात से भिन्न), जिन पर कर अनुलोम प्रभार						
	आधार पर संदेय है, की यहां घोषणा की जाएगी । यह नोट किया जा सकता है						
	कि लिए गए कुल इनपुट कर प्रत्यय को इनपुट, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं पर						
	इनपुट कर प्रत्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए						
	प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(3) का उपयोग किया जा सकेगा ।						
6घ.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय						
	का समग्र मूल्य, जिन पर कर अनुलोम प्रभार आधार पर संदेय है, की यहां घोषणा						
	की जाएगी । यह नोट किया जा सकता है कि लिए गए कुल इनपुट कर प्रत्यय को						
	इनपुट, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं पर इनपुट कर प्रत्यय के रूप में वर्गीकृत						

	किया जाएगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी
	4(क)(3) का उपयोग किया जा सकेगा ।
6ਝ.	मालों के आयात पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे, जिसके अंतर्गत विशेष
	आर्थिक जोनों से प्राप्त मालों की प्रदाय भी है, की यहां घोषणा की जाएगी । यह
	नोट किया जा सकता है कि लिए गए कुल इनपुट कर प्रत्यय को इनपुट और पूंजी
	माल पर इनपुट कर प्रत्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा । इन ब्यौरों को भरने
	के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(1) का उपयोग किया जा सकेगा ।
6च.	सेवाओं के आयात (विशेष आर्थिक जोनों से जावक प्रदायों को अपवर्जित करते हुए)
	पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों
	को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(2) का उपयोग किया जा
	सकेगा ।
6छ.	इनपुट सेवा वितरक से प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की
	जाएंगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(4)
	का उपयोग किया जा सकेगा ।
6ज.	अधिनियम के उपबंधों के अधीन उपभोग किए गए, उलटे गए और पुन: दावा किए
	गए इनपुट कर प्रत्यय की समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी ।
6퍼.	प्ररूप जीएसटीआर-3ख के माध्यम से लिए गए इनपुट कर प्रत्यय की कुल रकम
	और पंक्ति ख से ज में घोषित इनपुट कर प्रत्यय के बीच के अंतर की यहां घोषणा
	की जाएगी । आदर्श रूप में यह रकम शून्य होनी चाहिए ।
6ਟ.	प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1, जिसके अंतर्गत टीआरएएन-1 (चाहे आरोही या
	अधोमुखी हो) का पुनरीक्षण है, को फाइल करने पर इलैक्ट्रानिक प्रत्यय बही में प्राप्त
	अंतरण प्रत्यय के ब्यौरों, यदि कोई हों, की यहां घोषणा की जाएगी ।
6ਰ.	प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-2 को फाइल करने के पश्चात् इलैक्ट्रानिक प्रत्यय बही में
	प्राप्त अंतरण प्रत्यय के ब्यौरों की यहां घोषणा की जाएगी ।
6ਭ	उपभोग किए गए ऐसे आईटीसी के ब्यौरे जो उपरोक्त 6ख से 6ठ के अधीन
	विनिर्दिष्ट किसी शीर्ष के अंतर्गत नहीं आते हैं, घोषित किए जाएंगे। वितीय वर्ष में
	प्ररूप आईटीसी-01 और प्ररूप-आईटीसी-02 के माध्यम उपभोग किए गए आईटीसी
	के ब्यौरे यहा घोषित किए जाएंगे।
7क, 7ख,	झारखण्ड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 37, नियम 39, नियम
7ग, 7घ, 7ङ,	42 और नियम 43 के अधीन अपेक्षित पात्र न होने या उलटने के कारण उलटे गए
7च, 7छ और	इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों की यहां घोषणा की जाएगी । इस स्तंभ में झारखण्ड
7ਂਗ	माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 17(5) के अधीन उलटे गए किसी
	इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे और प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1 या प्ररूप जीएसटी
	टीआरएएन-2 के अधीन दावा किए गए अंतरण प्रत्यय, जो पात्र नहीं है, जिसे
	पश्चातवर्ती रूप से उलट दिया गया है, के ब्यौरे भी अंतर्विष्ट होने चाहिए । इन
	ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख) का उपयोग किया
	जा सकेगा । प्ररूप आईटीसी-03 के माध्यम से उलटे गए किसी आईटीसी को 7ज में
	घोषित किया जाएगा। यदि प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4घ में वर्णित रकम
	प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4क में सम्मिलित नहीं किया गया तो प्ररूप

	जीएसटी आर-9 की सारणी 7ड में कोई प्रविष्टि नहीं की जानी चाहिए। तथापि, यदि						
	प्ररूप जीएसटी आर-3ख की सारणी 4घ में उल्लिखित रकम प्ररूप जीएसटी आर-3ख						
	की सारणी 4क में सम्मिलित है तो प्रविष्टि प्ररूप जीएसटी आर-09 की 7ड में						
	आएगी।						
8क.	वित्तीय वर्ष 2017-18 से संबंधित और प्ररूप जीएसटी आर-2ख में दर्शाया गया						
	आवक प्रदायों के लिए उपलब्ध प्राप्त कुल प्रत्यय (आयात और अनुलोम प्रभार के						
	लिए दायी आवक प्रदायों से भिन्न, किंतु जिसके अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन से						
	प्राप्त सेवाएं हैं) को इस सारणी में स्वतः दर्शाया जाएगा । यह उन सभी इनपुट कर						
	प्रत्ययों का समग्र होगा, जिनकी तत्स्थानी प्रदाय कारों द्वारा अपने प्ररू						
	जीएसटीआर-1 में घोषणा की गई है ।						
8ख.	सारणी 6ख में यथा घोषित इनपुट कर प्रत्यय को यहां स्वतः दिखाया जाएगा ।						
8ग.	सभी आवक प्रदायों पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय का समग्र मूल्य (सिवाय उन,						
	जिन पर अनुलोम प्रभार आधार पर कर संदेय है, किंतु इसमें जुलाई, 2017 से						
	मार्च, 2018 के दौरान विशेष आर्थिक जोनों से प्राप्त सेवाओं की प्रदाय) किंतु ऐसे						
	प्रत्यय की, जिसका अप्रैल से सितंबर, 2018 के बीच उपभोग किया गया है, यहां						
	घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी						
	4(क)(5) का उपयोग किया जा सकेगा।						
8घ	इनपुट कर प्रत्यय, जो प्ररूप जीएसटीआर-2क (केवल सारणी-3 और सारणी-5) में						
	उपलब्ध था किंतु जिसको किसी प्ररूप जीएसटी आर-3ख विवरणी में नहीं लिया गया						
	है, की यहां घोषणा की जाएगी।						
	तथापि, जहां ऐसी परिस्थितियां हों कि प्ररूप जीएसटीआर-2क में उपलब्ध प्रत्यय से						
	प्ररूप जीएसटी आर-3ख में उपभुक्त प्रत्यय अधिक था तो ऐसे मामलों में पंक्ति 8घ						
	में मूल्य नकारात्मक होगा ।						
8ङ और 8च.	प्रत्यय जो उपलब्ध था और प्ररूप जीएसटीआर-3ख में उपयोग नहीं किया गया और						
	प्ररूप जीएसटीआर-3ख वह उपभोग किए जाने के लिए वह पात्र नहीं था को यहां						
	घोषित किया जाएगा । आदर्श रूप से, यदि 8घ धनात्मक है तो 8ड और 8च का						
	जोड़ 8घ के बराबर होगा।						
8छ.	वित वर्ष के दौरान आयात के समय संदत्त आईजीएसटी (जिसके अंतर्गत विशेष						
	आर्थिक जाने से आयात हैं) के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी ।						
8ज.	सारणी 6ङ में घोषित इनपुट कर प्रत्यय को यहां स्वतः दर्शित किया जाएगा ।						
8ਟ.	कुल इनपुट कर प्रत्यय, जो चालू वित वर्ष के लिए व्यपगत हो जाएगा, की इस						
	पंक्ति में संगणना की जाएगी ।						

6. भाग IV वित्त वर्ष के दौरान संदत्त वास्तिवक कर है । प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 6.1 के अधीन कर के संदाय का इन ब्यौरों को भरने के लिए उपयोग किया जा सकेगा । 7. भाग V में पूर्व वितीय वर्ष के संव्यवहार की विशिष्टियां अंतर्विष्ट हैं किन्तु जिनकी घोषणा पूर्व वितीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर की प्ररूप जीएसटीआर-3ख में संदत्त या पूर्व वितीय वर्ष की वार्षिक विवरणी फाईल करने की तारीख को (उदाहरण के लिए वितीय 2017-2018 के लिए वार्षिक विवरणी में वितीय वर्ष 2017-2018 के लिए अप्रैल से सितंबर 2018

में घोषित संव्यवहारों की घोषणा की जाएगी), इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, घोषित किया गया है। भाग 5 को भरने के लिए अनुदेश नीचे दिए अनुसार हैं:

सारणी सं.	अनुदेश						
10 और 11.	पूर्व वित्त वर्ष की विवरणियों में पहले ही घोषित किसी आप्रदाय में वर्धन या						
	संशोधन के ब्यौरे किंतु ऐसे संशोधनों को चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर के						
	प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9क, सारणी 9ख और सारणी 9ग में या पूर्व वितीय						
	वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल करने की तारीख को, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हों,						
	में घोषित किया गया था, यहां घोषित किए जाएंगे ।						
12.	इनपुट कर प्रत्यय के उलटने का समग्र मूल्य, जिसको पूर्व वित्त वर्ष के दौरान लिया						
	गया था, किंतु जिसको चालू वितीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर मास के लिए फाइल						
	विवरणी में उलट दिया गया था या पूर्व वितीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी पारित						
	करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, को यहां घोषित किया जाएगा । इन						
	ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख) का उपयोग किया						
	जा सकेगा ।						
13	पूर्व वितीय वर्ष में प्राप्त माल या सेवाओं के आईटीसी के ब्यौरे, किंतु उसका उपभोग						
	आईटीसी चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर मास के लिए या पूर्व वितीय वर्ष के						
	लिए वार्षिक विवरणी फाइल करने की तारीख तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो,						
	फाइल की गई विवरणियों में किया गया था, यहां घोषित किए जाएंगे, प्ररूप						
	जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क) का इन ब्यौरों को फाइल किए जाने हेतु उपयोग						
	किया जा सकेगा । तथापि, धारा 16 की उपधारा (2) के परंतुक के अनुसार कोई						
	आईटीसी जो वितीय वर्ष 2017-18 के दौरान में उलट दिया गया था परंतु वितीय						
	2018-19 में उसका पुन: दावा किया गया, ऐसे पुन: दावा किए गए आईटीसी के						
	ब्यौरे वित्तीय 2018-19 के लिए वार्षिक विवरणी में दिए जाएंगे।						

8. भाग VI में अन्य सूचना के ब्यौरे हैं । भाग 6 को भरने के लिए अनुदेश नीचे दिए अनुसार है :

सारणी सं.	अनुदेश				
15क,15ख,	दावा किए गए, स्वीकृत, अस्वीकृत और प्रसंस्करण के लिए लंबित प्रतिदाय के				
15ग और	प्तमग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी । दावा किया गया प्रतिदाय वित्तीय वर्ष				
15ਬ	में फाईल किए गए सभी प्रतिदाय दावों का समग्र मूल्य होगा और इसके अंतर्गत				
	वह प्रतिदाय हैं, जिन्हें स्वीकार किया गया है, अस्वीकार किया गया है या जो				
	प्रसंस्करण के लिए लंबित हैं । स्वीकृत प्रतिदाय से सभी प्रतिदाय स्वीकृति				
	आदेशों का समग्र मूल्य अभिप्रेत है । लंबित प्रतिदाय सभी प्रतिदाय आवेदनों,				
	जिनके लिए अभिस्वीकृति प्राप्त की गई है, की समग्र रकम होगी और इसके				
	अंतर्गत प्राप्त अनंतिम प्रतिदाय नहीं है । इसके अंतर्गत गैर-जीएसटी प्रतिदाय				
	दावों के ब्यौरे नहीं है ।				
15ਵ., 15ਚ	ऐसे करों की मांगों के कुल मूल्य, जिसके लिए मांगों की पुष्टि करने वाला आदेश				
और 15छ	न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है, यहां घोषित किया जाएगा ।				
	पुष्ट की गई मांग के कुल मूल्य पर संदत्त करों का समग्र मूल्य की, जो ऊपर				

	15ड. में घोषित किया गया है की घोषणा की जाएगी । उपरोक्त 15ड. में लंबित
	वसूली की मांगों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा ।
16क	संरचना करदाताओं से प्राप्त प्रदायों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा ।
	प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 5 का उपयोग इन ब्यौरों को भरने के लिए
	किया जा सकेगा ।
16ख	झारखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धार 143 की उपधारा (3)
	और उपधारा (4) के निबंधनानुसार मालिक से फुटकर कामगारों तक सभी समझे
	गए प्रदायों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा ।
16ग	ऐसे मालों के लिए, जिन्हें अनुमोदन आधार पर भेजा गया था किन्तु ऐसे प्रदाय
	के एक सौ अस्सी दिन के भीतर प्रधान प्रदायकर्ता को वापस नहीं लौटाया गया
	था, सभी समझे गए प्रदायों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा ।
17 और 18	विशिष्ट एचएसएन के प्रति किए गए और प्राप्त किए गए प्रदायों का सार केवल
	इस सारणी में रिपोर्ट किया जाए । यह उन करदाताओं के लिए वैकल्पिक होगा,
	जिनका वार्षिक आवर्त 1.50 करोड़ रुपए तक है । यह ऐसे करदाताओं के लिए दो
	अंकों वाले स्तर पर एचएसएन कोड को रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा जिनका
	पूर्ववर्ती वर्ष में वार्षिक आवर्त 1.50 करोड़ रुपए है किन्तु 5.00 करोड़ रुपए तक
	है और चार अंकों वाले स्तर पर उन करदाताओं के लिए, जिनका वार्षिक आवर्त
	5.00 करोड़ रुपए से अधिक है । माल के प्रदाय के लिए यूक्यूसी ब्यौरे ही प्रस्तुत
	किए जाएं । मात्रा विवरणियों के कुल योग के रूप में रिपोर्ट की जानी है ।
	सारणी-17 में के ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 12 का
	उपयोग किया जा सकेगा । यह नोट किया जाए कि इसके संक्षिप्त ब्यौरे केवल
	उन आवक प्रदायों के लिए घोषित किए जाएं जिनका मूल्य आवक प्रदायों के कुल
	मूल्य से अधिक या स्वतंत्र रूप से लेखा का 10% हो ।
19	विलंब फीस संदेय होगी, यदि वास्तविक विवरणी देय तारीख के पश्चात् फाइल
	की जाती है ।

- 9. विवरणी के अंत में, प्ररूप डीआरसी-03 के माध्यम से इस रूप में घोषित किसी अतिरिक्त उत्तरदायित्व के संदाय का एक विकल्प दिया जाएगा। करदाता प्ररूप डीआरसी-03 में उपलब्ध ड्रॉप डाउन में "वार्षिक विवरणी" का चुनाव करेगा। यह नोट किया जाए कि ऐसे उत्तरदायित्व केवल इलैक्ट्रानिक नगद लेजर के माध्यम से संदत्त किए जाएं।
- 17. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-9क के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:--

उपाबंध-ख संरचना करदाताओं के लिए वार्षिक विवरणी

<u>सर्वणा गर्यासाजा गालर वाग्यम् विवरणा</u>							
प्ररूप	जीएसटीआर-9क						
(नियम							
	त विवरण (संरचना करदाता के लिए)						
भाग. ।	आधारिक ब्यौरे						
1	वितीय वर्ष						
2	जीएसटीआईएन						
3क	विधिक नाम	< स्व>					
3ख	व्यवसाय नाम (यदि कोई हो)			ı			
	वर्ष (सेतक) के दौरा	न संरचना स	-कीम की				
4	अवधि						
5	पूर्व वितीय वर्ष का कुल आवर्त	-					
`	णियों में रुपए में रकम)						
भाग. ॥	वितीय वर्ष के दौरान किए गए	जावक और	आवक प्रद	ायों के ब		l	
	c	c	कर की	केंद्रीय	राज्य/संघ	एकीकृत	
	वर्णन	आवर्त	दर	कर	राज्यक्षेत्र	कर	उपकर
					कर		
	1	2	3	4	5	6	7
6	वितीय वर्ष के दौरान किए गए	' जावक प्रदाय	ों के ब्यौरे				
क	कराधेय						
ख	छूट प्राप्त, शून्य दर						
ग	कुल						
7	ऐसे आवक प्रदायों के ब्यौरे,	जिन पर कर	वितीय व	र्ष के ति	ोए प्रतिलोम	प्रभार 3	गधार (नामे
,	नोट/जमा पत्रों का योग) पर स	दिय हैं					
		कराधेय			राज्य/संघ	एकीकृत	
	विवरण	मूल्य	केंद्रीय क	र	राज्यक्षेत्र	कर	उपकर
		ζ			कर		
	1	2	3		4	5	6
	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से						
क	प्राप्त प्रतिलोम प्रभार के						
	लिए दायी आवक प्रदाय						
	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से						
ख	प्राप्त प्रतिलोम प्रभार के						
	लिए दायी आवक प्रदाय						
ग	सेवाओं का आयात						
-	उपरोक्त (क), (ख) और (ग)						
घ	पर संदेय शुद्ध कर						
8	वितीय वर्ष के लिए अन्य आवक प्रदायों के ब्यौरे						
क	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से						
	प्राप्त आवक प्रदाय (उपरोक्त						

	7क से भिन्न)						
ख	माल का आयात						
भाग III	वितीय वर्ष के दौरान फाइल की ग	ई विवरणि			न संदत्त कर	के ब्यौरे	
9	वर्णन		कुल संदेर	य कर	संदत्त		
	1		2		3		
	एकीकृत कर						
	केंद्रीय कर						
	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर						
	उपकर						
	ब्याज						
	विलंब फीस						
	शास्ति	•					
	चालू वितीय वर्ष के अप्रैल से सि						
भाग. ।∨	किए जाने की तारीख तक इनमें र	सें जो भी	पूर्वतर हो,	विवर्गण	यों में घोषि	ति पूर्व वि	तीय वर्ष के
	लिए संव्यवहारों की विशिष्टियां				l	l	
				×-0-	राज्य		
				केंद्रीय	कर/ संघ		उपकर
	वर्णन		आवर्त	कर	राज्यक्षेत्र	कर	
	1		311971	3	कर	5	6
	ं संशोधनों के माध्यम से घोषित प्र	जामें/का		3	4	3	0
10	(जावक) (+) (नामे नोटों का योग)						
	संशोधनों के माध्यम से घोषित	प्रतिलोम					
11	प्रभार के लिए दायी आवक प्र	दाय (+)					
	(नामे नोटों का योग)						
	संशोधनों के माध्यम से कटौती '						
12	प्रदाय/कर (जावक) (-) (जमा	पत्रों का					
	योग)	^					
	संशोधनों के माध्यम से कटौती						
13	प्रतिलोम प्रभार के लिए दायी आव	कि प्रदाय					
4.0	(-) (जमा पत्रों का योग)						
14	उपरोक्त 10, 11, 12 और 13 में	का गइ १	याषणा क	_	दत्तं अतराय	1	
					संदत्त		
	1 2 3 एकीकृत कर *** • • • • • • • • • • • • • • • • • •					3	
	केंद्रीय कर						
	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर						
	उपकर						
911115 \/	ब्याज						
भाग. V	अन्य जानकारी	:					
15	मांग और प्रतिदायों की विशिष्टियां						

	<u> </u>	<u> </u>			1	I	I	
	_		राज्य/संघ					विलंब
	वर्णन	केंद्रीय कर	राज्यक्षेत्र	एकीकृत	उपकर	ब्याज	शास्ति	फीस/अन्य
			कर					
	1	2	3	4	5	6	7	8
_	दावा किया गया							
क	कुल प्रतिदाय							
ख	स्वीकृत कुल							
	प्रतिदाय							
	अस्वीकृत कुल							
ग	प्रतिदाय							
	त्रातापाप							
ਬ	लंबित कुल							
_,	प्रतिदाय							
ਭ.	करों की कुल							
	मांग							
	उपरोक्त ड. के							
च	संबंध में संदत्त							
	कुल कर							
	उपरोक्त ड. के							
छ	कारण लंबित							
	कुल मांग							
16	उलटा गया या उ	उलटा गया या उपभुक्त प्रत्यय के ब्यौरे						
						राज्य/संघ		
	 वर्णन				केंद्रीय	राज्यक्षेत्र		उपकर
	9, 191				कर	कर	111 5/1	3 1410
						473		
	1				2	3	4	5
	मंग्ना स्क्रीप	में विकास	<u> </u>	प्रदा ग्राजा				
_		संरचना स्कीम में विकल्प लेने पर उलटा गया						
<u>क</u>	प्रत्यय (-)							
	संरचना स्कीम वे	h कारण विव	मल्प लेने पर	उपभुक्त				
ख	प्रत्यय (+)							
_ 17	संदेय और संदत्त	संदेय और संदत्त विलंब फीस						
	वर्णन संदेय सं					संदत्त		
	1				2		3	
क	केंद्रीय कर						-	
ख	राज्य कर							

सत्यापन :

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें से कोई बात छिपाई नहीं गई है और आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती की दशा में, उसका फायदा प्रदाय के प्राप्तिकर्ता को संक्रान्त कर दिया गया है/कर दिया जाएगा।

स्थान

हस्तारक्षर

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम तारीख:

पदनाम/प्रास्थिति

अन्देश:--

- 1. इस विवरणी को भरने से पूर्व वितीय वर्ष 2017-18 के लिए अपने सभी प्ररूप जीएसटीआर-4 फाइल करना आज्ञापक है। जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 के बीच की समयाविध के ब्यौरे इस विवरणी में उपलब्ध करवाए जाएंगे।
- 2. यह नोट किया जाए कि वितीय वर्ष 2017-18 के लिए अतिरिक्त उत्तरदायित्व जो प्ररूप जीएसटीआर-4 में घोषित नहीं किया गया हो, इस विवरणी में घोषित किया जाए।
- 3. भाग । में करदाता के आधारिक ब्यौरे अंतर्विष्ट हैं । भाग । को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :

सारणी सं0	अनुदेश
5	पूर्व वितीय वर्ष के लिए कुल आवर्त उस वर्ष के, जिसके लिए विवरणी
	फाइल की जा रही है, पूर्व वित्तीय वर्ष का आवर्त है ।उदाहरण के लिए
	वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक विवरणी हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17
	के कुल आवर्त को इस सारणी में प्रविष्ट किया जाएगा। यह उसी स्थायी
	लेखा संख्यांक पर रजिस्ट्रीकृत सभी करदाताओं का आवर्त है ।

4. भाग ॥ में उस वितीय वर्ष, जिसके लिए वार्षिक विवरणी फाइल की गई है, में सभी जावक और आवक प्रदायों के ब्यौरे हैं । भाग ॥ को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :

सारणी सं0	अनुदेश
6क	सभी जावक प्रदायों का कुल मूल्य, कुल नामे नोटों/जमा पत्रों का योग, संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए अग्रिमों का योग और वापस किए गए माल का योग यहां घोषित किया जाएगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 की सारणी 6 और सारणी 7 का उपयोग किया जा सकेगा ।
6ख	छूट प्राप्त, शून्य दर और गैर-माल और सेवाकर प्रदायों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा ।

7क	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों का कुल मूल्य, जिस पर
	कर प्रतिलोम प्रभार आधार पर संदेय है, यहां घोषित किया जाएगा । इन ब्यौरों
	को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 की सारणी 4ख, सारणी 5 और सारणी
	8क का उपयोग किया जा सकेगा ।
7ख	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों (सेवाओं के आयात से
	भिन्न) का कुल मूल्य, उलटे गए प्रभार के आधार पर संदेय है, यहां घोषित
	किया जाएगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 की सारणी
	4ग, सारणी 5 और सारणी 8क का उपयोग किया जा सकेगा ।
7ग	वित्तीय वर्ष के दौरान आयात की गई सभी सेवाओं का कुल मूल्य यहां घोषित
	किया जाएगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 की
	सारणी 4घ और सारणी 5 का उपयोग किया जा सकेगा ।
8क	ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों का कुल मूल्य, जिस
	पर कर प्रदायकर्ता द्वारा संदेय है, यहां घोषित किया जाएगा । इन ब्यौरों को
	भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 की सारणी 4क और सारणी 5 का उपयोग
	किया जा सकेगा ।
8ख	वितीय वर्ष के दौरान आयात किए गए सभी माल का कुल मूल्य यहां घोषित
	किया जाएगा ।

5. भाग IV में चालू वितीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर में या पूर्व वितीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरण फाईल करने की तारीख (उदाहरण के लिए वितीय वर्ष 2017-2018 के वार्षिक विवरणी में वितीय वर्ष 2017-2018 के लिए अप्रैल से सितंबर में घोषित संव्यवहारों को घोषित किया जाएगा)। इनमें से जो भी पूर्वतर हो, कि विवरणी में पूर्व वितीय वर्ष के प्रदायों के लिए किए गए संशोधनों के ब्यौरे अंतर्विष्ट हैं। भाग V को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं:

सारणी सं0	अनुदेश
10, 11,	ऐसे किन्ही प्रदायों के परिवर्धनों या संशोधनों के ब्यौरे, जिन्हें पूर्व वितीय वर्ष
12, 13	की विवरणियों में पहले घोषित किया गया था किन्तु ऐसे संशोधनों, चालू
और 14	वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर या पूर्व वितीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी
	फाइल करने की तारीख तक इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, के प्ररूप जीएसटीआर-
	4 की सारणी 5 (आवक प्रदायों से संबंधित) या सारणी-7 (जावक प्रदायों से
	संबंधित) में दिए गए थे, यहां प्रस्तुत किए जाएंगे ।

6. भाग V में अन्य जानकारी के ब्यौरे हैं । भाग 5 को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :

सारणी सं0	अनुदेश
15क,	प्रसंस्करण के लिए दावाकृत, स्वीकृत, अस्वीकृत और लंबित प्रतिदायों का
15ख,	कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा । दावाकृत प्रदाय वितीय वर्ष में

15ग	और	फाइल किए गए सभी प्रतिदाय दावों का कुल मूल्य होगा और इसमें ऐसे
15ਬ		प्रतिदाय भी सम्मिलित होंगे जिन्हें प्रसंस्करण के लिए स्वीकृत, अस्वीकृत
		किया गया है या लंबित हैं । स्वीकृत प्रतिदाय से सभी प्रतिदाय स्वीकृति
		आदेशों का कुल मूल्य अभिप्रेत है । लंबित प्रतिदाय ऐसे सभी प्रतिदाय
		आवेदनों में कुल रकम होगी, जिनके लिए अभिस्वीकृति प्राप्त कर ली गई
		है और इसमें प्राप्त किया गया अनंतिम प्रतिदाय नहीं होगा । इनमें गैर-
		माल और सेवाकर प्रतिदाय दावों के ब्यौरे सम्मिलत नहीं होंगे ।

15ਵ.,	ऐसे करों की मांगों के कुल मूल्य, जिसके लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी				
15च और	द्वारा मांगों की पुष्टि करने वाला आदेश जारी किया गया है, यहां घोषित				
15छ	किया जाएगा । उपरोक्त 15ड में पुष्ट की गई मांगों के कुल मूल्य में से				
	संदत्त करों का संकलित मूल्य यहां घोषित किया जाएगा ।				
16क	यदि कोई व्यक्ति संरचना स्कीम के अधीन कर देने का चयन करता है				
	तो उलटे गए सभी प्रत्ययों का संकलित मूल्य यहां घोषित किया जाएगा ।				
	प्ररूप आईटीसी-03 में दिए गए ब्यौरों का उपयोग इन ब्यौरों को भरने के				
	लिए किया जा सकेगा ।				
16ख	यदि कोई व्यक्ति संरचना स्कीम के बाहय कर देने का चयन करता है तो				
	उपभोग किए सभी प्रत्ययों का संकलित मूल्य यहां घोषित किया जाएगा ।				
	प्ररूप आईटीसी-01 में दिए गए ब्यौरों का उपयोग इन ब्यौरों को भरने के				
	लिए किया जा सकेगा ।				
17	विलंब शुल्क देय होगा, यदि वास्तविक विवरणी देय तारीख के पश्चात्				
	फाइल की जाती है ।				

- 7. विवरणी के अंत में, प्ररूप डीआरसी-03 के माध्यम से, इस प्ररूप में घोषित किसी अतिरिक्त उत्तरदायित्व के संदाय का एक विकल्प दिया जाएगा। करदाता प्ररूप डीआरसी-03 में उपलब्ध ड्रॉप डाउन में "वार्षिक विवरणी" का चुनाव करेगा। यह नोट किया जाए कि ऐसे उत्तरदायित्व केवल इलैक्ट्रानिक नगद लेजर के माध्यम से संदत्त किए जाएंगे।
- 18. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-9ग के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:--

"प्ररूप जीएसटीआर-9ग नियम 80(3) देखें

भाग क-समाधान विवरण

भाग. ।	मूलभूत ब्यौरे					
1	वितीय वर्ष					
2	जीएसटीआईएन					
3क	विधिक नाम < स्व>					
	व्यापार नाम					
3ख	(यदि कोई हो) <स्व>					
	क्या आप किसी अधिनियम के अधीन किसी संपरीक्षा के					
4	दायी हैं ?	<<कृपया विनिर्दिष्ट करें>>				
	(सभी सार्य	णियों में रकम रूपए में)				
भाग.	वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) में घोषित आवर्त सहित वा	र्षिक संपरीक्षित वितीय विवरण में				
Ш	घोषित आवर्त का समाधान					
5	सकल आवर्त का समाधान					
	राज्य/संघराज्यक्षेत्र के लिए संपरीक्षित वितीय विवरणों के अ	नुसार				
क	आवर्त (जिसके अन्तर्गत निर्यात भी हैं) (उसी स्थायी	लेखा				
4,	संख्यांक के अधीन बहु-जीएसटीआईएन यूनिटों के लिए	आवर्त				
	वार्षिक संपरीक्षित वितीय विवरण से प्राप्त किया जाएगा)					
ख	वितीय वर्ष के आरम्भ में बिना तैयार किए गए बिल का					
G	राजस्व	(+)				
ग	वितीय वर्ष की समाप्ति पर असमायोजित अग्रिम	(+)				
ਬ	अनुसूची-1 के अधीन समझा गया प्रदाय	(+)				
- ਤ	वितीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् जारी साख पत्र, किन्तु	(+)				
5	जो वास्तविक रिटर्न में परिलक्षित हैं					
	व्यापार बट्टा, जिनका संपरीक्षित वार्षिक वितीय विवरण में					
च	लेखा जोखा दिया गया है, किंतु माल और सेवा कर के					
	अधीन अनुज्ञेय नहीं है	(+)				
छ	अप्रैल, 2017 से जून, 2017 तक आवर्त	(-)				
ज	वितीय वर्ष की समाप्ति पर बिना तैयार किए गए बिल					
	वाला राजस्व	(-)				
झ	वितीय वर्ष के आरम्भ में असमायोजित अग्रिम	(-)				
	वार्षिक संपरीक्षित वितीय विवरण में लेखा-जोखा दिए गए					
ञ	साख पत्र, किन्तु जो माल और सेवा कर के अधीन अनुज्ञेय	(-)				
	नहीं है					
ਟ	एसईजेड यूनिटों द्वारा डीटीए यूनिटों तक माल के प्रदाय					
	के मद्दे समायोजन	(-)				
ਠ	कंपोजिशन स्कीम के अधीन अवधि के लिए आवर्त	(-)				
ਤ	धारा 15 और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन आवर्त	(+/-				
	में समायोजन)				
ढ	विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव के कारण आवर्त में समायोजन	(+/-				

)			
	उपरोक्त सूचीब	द्ध न वि	केए गए	कारणों से	आवर्त में	(+/-			
ण	समायोजन)								
ਰ	उपरोक्त समायोजनों के पश्चात् वार्षिक आवर्त						<स्व>		
থ				रीआर-9) में	यथाघोषित .	आवर्त			
द	असमाधानकृत ३	भावर्त (थ-त	ਜ)				एटी1		
6	वार्षिक सकल अ	ावर्त में अ	समाधानकृ	त अन्तर के	लिए कारण	г			
क	कारण 1		<<पाठ>ः	>					
ख	कारण 2		<<पाठ>ः	>					
ग	कारण 3		<<पाठ>ः	>					
7	कराधेय आवर्त व								
क	समायोजन के प						<स्व>		
	छूट प्राप्त, शून्य		माल औ	र सेवा कर प्र	ादायों, प्रदाय	ा नहीं			
ख	आवर्त का मूल्य								
ग	कर के संदाय के								
घ	ऐसे प्रदाय, जि			य प्रतिलोम	प्रभार आधा	र पर			
	प्राप्तिकर्ता द्वार			` .					
ङ	उपरोक्त समायो	जनों के 3	ानुसार कर	राधेय आवते	(क - ख -	ग -			
	घ) र ० ८ ८	0 0-			<u> </u>		<स्व >		
च	वार्षिक रिटर्न (र	जाएसटाआ	रएन-९) म	न घााषत दा	यित्वं के अ	नुसार			
_	कराधेय आवर्त								
छ	असमाधानकृत व			_ > ~			एटी 2		
8	कराधेय आवर्त व कारण 1	म असमाध			कारण				
क ख	कारण 2		<<पाठ>ः <<पाठ>ः						
ग	कारण 3		<<पाठ >						
भाग.	वगरण उ		V41022						
III	संदत्त कर का स	माधान							
9	दर-वार दायित्व		पर संदेय :	रकम का सम	गधान				
	4.0 22 0 4.2 20 2			संदेय कर					
					राज्य				
	c			केन्द्रीय	कर/संघ			उपकर,	यदि
	वर्णन	कराधेय व	मूल्य	कर	राज्यक्षेत्र	एकाकृ	त कर	लागू हो	
					कर			·	
	1	2		3	4	5		6	
क	5%								
ख	5% (आरसी)								
ग	12%								
घ	12% (आरसी)								
ਝ	18%								
च	18% (आरसी)								
छ	28%								
ज	28% (आरसी)								

झ	3%						
ਤ	0.25%						
ट	0.10%						
ਠ	ब्याज						
ਤ	विलम्ब श्लक						
ढ	शास्ति						
ण	अन्य	_					
	उपरोक्त सार्रा	 गेयों के	अनुसार				
ਰ	संदत्त की जाने व		_	< ₹ व>	< ₹ व>	<स्व>	<स्व>
	वार्षिक विवरणी						
왭	यथाघोषित संदत्त						
द	रकम का असमा			1)			I.
10	रकम के असमा						
क	कारण 1		<<पाठ>				
ख	कारण 2		<<पाठ>	>			
ग	कारण 3		<<पाठ>ः	>			
	अतिरिक्त संदेय	रकम, वि	केन्त् संदत्त	। नहीं की ग	ाई रकम (:	उपरोक्त सारणी	6, 8 और 10 वे
11	अधीन विनिर्दिष्ट		_		•		
			•	नकदी के म	गध्यम से र	नंदत किया जाए	
					राज्य/संघ		
				केन्द्रीय	राज्यक्षेत्र	एकीकृत कर	उपकर, यवि
	वर्णन	कराधेय व	मूल्य	कर	कर	C	कोई हो
	1	2		3	4	5	6
	5%						
	12%						
	18%						
	28%						
	3%						
	0.25%						
	0.10%						
	ब्याज						
	विलम्ब शुल्क						
	शास्ति						
	अन्य (कृप्या						
	विनिर्दिष्ट करें)						
भाग. IV		ग (आ र्ड-ी-	п) ж. т	пепа			
12	इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी) का समाधान श्दद इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी) का समाधान						
12	राज्य/संघ राज्य				वेनीय विद्या	प्राप्तें के	
	अनुसार लाभ लिया गया इनपुट कर प्रत्यय (एक ही स्थायी लेखा संख्यांक के अधीन बहु जीएसटीआईएन यूनिटों के लिए इसे लेखाबहियों से प्राप्त किया जाना चाहिए)						
क							
gn en	पद्माबाह्या स प्राप्त किया जाना पाहिए)						

			* Y			
ख	चालू वितीय वर्ष में दावा वि	••	<u> </u>			
	किए गए इनपुट कर प्रत्यर		(+)			
	पश्चातवर्ती वित्तीय वर्ष व		**			
ग		वितीय वर्षों में बुक किए गए इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी) (-)				
	संपरीक्षित वितीय विवरणों	या लेखाबहियों के अ	नुसार लाभ लिया			
घ	गया शुद्ध प्रत्यय कर			<स्व >		
<u>ਝ</u>	वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर	-9) में दावाकृत इनपुट	कर प्रत्यय			
ਧ	असमाधानकृत इनपुट कर	प्रत्यय (आईटीसी)		आईटीसी 1		
13	इनपुट कर प्रत्यय (आईटीर	ती) में असमाधानकृत उ	अंतर के कारण			
क	कारण 1	<<पाठ>>				
ख	कारण 2	<<पाठ>>				
ग	कारण 3	<<पाठ>>				
14	वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय	विवरणों या लेखा ब	वहियों के अनुसार	खर्चों पर लाभ लिए गए		
14	आईटीसी सहित वार्षिक रि	टर्न (जीएसटीआर-9) में	घोषित आईटीसी	का समाधान		
			आईटीसी की	लाभ ली गई पात्र आईटीसी		
	विवरण	मूल्य	कुल रकम	की रकम		
	1	2	3	4		
क	क्रय			·		
् ख	भाड़ा/ढुलाई					
ग	ऊर्जा और ईंधन					
91	आयातित माल (एसईजेड					
घ	से प्राप्त समेत)					
<u>ਤ</u>	किराया और बीमा					
3	खोई हुई, चोरी हुई, नष्ट					
	हुई, बट्टे खाते में डाली					
च	गई या उपहार या मुफ्त					
4	सैंपलों के रूप में दिए					
	गए माल					
ন্ত্ৰ	स्वामिस्व					
),	कर्मचारियों की लागत					
ज	(वेतन, मजदूरी, बोनस					
OI	आदि ।)					
झ	प्रवहण प्रभार					
। ਤ	बैंक प्रभार					
ਤ ਟ	मनोरंजन प्रभार					
	लेखन सामग्री व्यय (डाक					
ਠ	आदि सहित)					
ਕ	-					
ਤ	मरम्मत और अनुरक्षण अन्य प्रकीर्ण व्यय					
ढ						
<u>ज</u>	पूंजी माल					
ਰ	कोई अन्य व्यय 1					
খ	कोई अन्य व्यय 2					

उपभ्कत पात्र आईटीसी की कुल रकम द <<स्व**>>** वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर-9) में दावाकृत आईटीसी ध असमाधानकृत (आईटीसी 2) न आईटीसी में असमाधानकृत अंतर के कारण 15 कारण 1 क <<पाठ>> कारण 2 ख <<पाठ>> कारण 3 <<पाठ>> ग 16 आईटीसी में असमाधानकृत अंतर पर संदेय कर (ऊपर 13 और 15 में विनिर्दिष्ट कारणों से) वर्णन संदेय रकम केन्दीय कर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर एकीकृत कर उपकर ब्याज शास्ति भाग. गैर-समाधान के कारण अतिरिक्त दायित्व पर संपरीक्षक की सिफारिश नकदी के माध्यम से संदेय राज्य केन्द्रीय कर/संघ यदि उपकर, एकीकृत कर राज्यक्षेत्र लागू हो कर वर्णन मूल्य कर 3 4 1 2 5 6 5% 12% 18% 28% 3% 0.25% 0.10% इनपुट कर प्रत्यय ब्याज विलम्ब श्ल्क शास्ति वार्षिक विवरणी (जीएसीटीआर-9) सम्मिलित नहीं किए गए प्रदायों के लिए

संदत्त कोई			
अन्य रकम			
वापस संदाय			
 के लिए			
त्रुटिपूर्ण			
प्रतिदाय			
परिनिर्धारित			
की जाने वाली			
बकाया मांगे			
अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)			
विनिर्दिष्ट करें)			

रजिस्ट्रकृत व्यक्ति का सत्यापन:

में सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि संपरीक्षा द्वारा तैयार और सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित प्ररूप जीएसटीआर-9ग में समाधान विवरण में अपलोड कर रहा हूं और इस विवरण में मेरे द्वारा कोई छेड़छाड़ या परिवर्तन नहीं किया गया है। मैं अन्य विवरण, यथालागू, जिसके अंतर्गत वितीय विवरण, लेखा लाभ और हानि और तुलनपत्र आदि भी हैं, भी अपलोड कर रहा हूं।

हस्ताक्षर

प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम

पदनाम/प्रास्थिती

स्थान:

तारीख:

अनुदेश :-

- 1. प्रयोग किए गए निबंधन :
- (क) जीएसटीआईएन : माल और सेवा कर पहचान संख्या
- 2. इस विवरणी को भरने से पूर्व वितीय वर्ष 2017-18 के लिए अपने सभी प्ररूप जीएसटीआर-01, प्ररूप जीएसटीआर-3ख और प्ररूप जीएसटीआर-9 भरने आज्ञापक है। जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 के बीच की अविध के लिए ब्यौरे वितीय वर्ष 2017-18 के लिए इस विवरण में दिए जाएं। समाधान विवरण प्रत्येक जीएसटीआईएन के लिए पृथक् रूप से फाइल किया जाए।
- 3. इस विवरण में चालू वितीय वर्ष के प्रति निर्देश, उस वितीय वर्ष से है, जिसके लिए समाधान विवरण फाइल किया जा रहा है।
- 4. भाग-2 इस जीएसटीआईएन के लिए प्ररूप जीएसटीआर-9 के अधीन प्रस्तुत वार्षिक रिटर्न में यथाघोषित आवर्त सहित संपरीक्षित वार्षिक विवरणों में घोषित वार्षिक आवर्त के समाधान से मिलकर बना है। इस भाग को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार है:

सारणी	अनुदेश
सं0	
5क	वार्षिक संपरीक्षित वितीय विवरणों के अनुसार आवर्त यहां घोषित किया जाएगा
	। ऐसे मामले हो सकते हैं, जहां बहु जीएसटीआईएन (राज्यवार) रजिस्ट्रीकरण
	एक ही स्थायी लेखा संख्या पर विद्यमान है । यह बहु राज्यों पर विद्यमानता
	वाले व्यक्तियों/अस्तित्वों के लिए सामान्य है । ऐसे व्यक्तियों/अस्तित्वों को
	अपना जीएसटीआईएन वार आवर्त आंतरिक रूप से प्राप्त करना होगा और उसे
	यहां घोषित करना होगा । इसके अंतर्गत निर्यात आवर्त (यदि कोई हो) भी
	होगा । यह नोट किया जाए कि संपरीक्षित वितीय विवरण के प्रति निर्देश के
	अंतर्गत बहुराज्यों पर विद्यमानता रखने वाले व्यक्तियों/अस्तित्वों के मामले में
	लेखाबहियों के प्रति निर्देश भी है ।
5ख	ऐसा बिना तैयार किया गया बिल वाला राजस्व, जो पिछले वितीय वर्ष में
	लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली आधार पर लेखाबहियों में अभिलिखित किया
	गया था, और चालू वितीय वर्ष में अग्रनीत किया गया था, यहां घोषित किया
	जाएगा । अन्य शब्दों में, जब वस्तु और माल सेवा कर ऐसे राजस्व (जो पहले
	मान्यताप्राप्त था) पर वितीय वर्ष के दौरान संदेय है, तब ऐसे राजस्व का मूल्य
	यहां घोषित किया जाएगा ।
	(उदाहरणार्थ, यदि वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए विद्यमान बिना तैयार किए
	गए बिल वाला राजस्व दस करोड़ रुपए का है और चालू वितीय वर्ष के दौरान,
	ऐसे राजस्व के चार करोड़ रुपए पर वस्तु और सेवा कर का संदाय गिया गया
	है तो चार करोड़ रुपए का मूल्य यहां घोषित किया जाएगा) ।
5ग	ऐसे सभी अग्रिमों का मूल्य, जिनके लिए माल और सेवा कर का संदाय किया
	गया है, किंतु उसे संपरीक्षित वार्षिक वितीय विवरणों में राजस्व के रूप में
_	मान्यता नहीं दी गई है, यहां घोषित किया जाएगा ।
5ਬ	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम/ झारखण्ड माल और सेवा कर
	अधिनियम 2017 की अनुसूची-1 के अधीन समझे गए प्रदायों का मूल्य यहां
	घोषित किया जाएगा । समझा गया ऐसा कोई प्रदाय, जो वार्षिक संपरीक्षित
	वितीय विवरणों में आवर्त का पहले से ही भाग है, उसे यहां सम्मिलित किया
52	जाना अपेक्षित नहीं है ।
5ङ	चालू वितीय वर्ष में सम्मिलित किसी प्रदाय के लिए 31 मार्च के पश्चात् जारी
	प्रत्यय नोटों का सकल मूल्य, किंतु ऐसे प्रत्यय नोट वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर-9) में परिलक्षित हुए थे, यहां घोषित किया जाएगा ।
5च.	व्यापार छूटें, जिसका वार्षिक संपरीक्षित वितीय कथनों में लेखा जोखा दिया
54.	गया है किंतु इन पर माल और सेवा कर उदग्रहणीय था (अनुज्ञेय नहीं), यहां
	घोषित की जाएंगी।
5छ.	अप्रैल, 2017 से जून, 2017 तक वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथनों में
	सम्मिलित आवर्त यहां घोषित किया जाएगा ।

-	
5ज.	चालू वितीय वर्ष के दौरान बिल नहीं किया गया राजस्व, जो लेखा के उदभूत
	तंत्र के आधार पर लेखा बहियों में अभिलिखित किया गया था किंतु उसी
	वित्तीय वर्ष में ऐसे राजस्व पर माल और सेवा कर संदेय नहीं था, यहां घोषित
	किया जाएगा।
5झ.	सभी अग्रिमों का मूल्य, जिसके लिए माल और सेवा कर संदत्त नहीं किया गया
	है, किंतु जिसे वार्षिक संपरीक्षित वितीय कथनों में राजस्व के रूप में मान्यता
	दी गई है, यहां घोषित किया जाएगा ।
5ञ.	प्रत्यय नोटों का सकल मूल्य, जिसका लेखा जोखा संपरीक्षित वार्षिक वितीय
	कथनों में दिया गया है किंतु यह केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम/
	झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 34 के अधीन
	अनुज्ञेय नहीं था, यहां घोषित किया जाएगा ।
5ਟ.	एसईजेड द्वारा डीटीए यूनिटों को प्रदाय किए गए सभी मालों का सकल मूल्य,
	जिसके लिए डीटीए यूनिटों ने प्रविष्टि बिल फाइल किया है, यहां घोषित किया
	जाएगा ।
5ਰ.	ऐसे मामले हो सकते हैं, जिसमें रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति चालू वित्तीय वर्ष के दौरान
	संघटक स्कीम से बाहर होने का विकल्प ले सकते हैं । वार्षिक संपरीक्षित
	वितीय कथन के अनुसार उनके आवर्त में संघटक करदाता के साथ-साथ
	सामान्य करदाता, दोनों के रूप में आवर्त सम्मिलित होगा । इसलिए, वह
	आवर्त, जिसके लिए संघटक स्कीम के अधीन माल और सेवा संदत्त किया गया
	था, यहां घोषित किया जाएगा ।
5ਵ.	ऐसे मामले हो सकते हैं, जहां केंद्रीय माल और सेवा अधिनियम/झारखण्ड माल
	और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 15 के और उसके अधीन बनाए गए
	नियमों के अधीन मूल्यांकन सिद्धांतों के कारण कराधेय मूल्य और बीजक
	मूल्य में अंतर हो सकता है । इसलिए, वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) तथा
	वार्षिक संपरीक्षित वितीय कथनों में रिपोर्ट किए गए आवर्तों के बीच अंतर के
	कारण प्रदायों का मूल्यांकन यहां घोषित किया जाएगा ।
5ਫ.	विदेशी विनिमय घटबढ के कारण वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) तथा
	वार्षिक संपरीक्षित वितीय कथनों में रिपोर्ट किए गए आवर्तों के बीच अंतर, यहां
	घोषित किया जाएगा ।
5ण.	ऊपर सूचीबद्ध नहीं किए गए कारणों के कारण वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर
	9) तथा वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथनों में रिपोर्ट किए गए आवर्तों के बीच
	अंतर, यहां घोषित किया जाएगा ।
5왝.	वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित किया गया वार्षिक आवर्त, यहां
	घोषित किया जाएगा । यह आवर्त वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) के क्रम
	संख्यांक 5ढ, 10 और 11 से व्युत्पन्न हो सकेगा ।
6.	वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथनों में घोषित वार्षिक आवर्त और वार्षिक विवरणी
	(जीएसटीआर 9) में घोषित आवर्त के बीच गैर-समाधान के कारणों को यहां
	विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

7.	वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित कराधेय आवर्त के साथ समायोजन
	के पश्चात् संपरीक्षित वार्षिक आवर्त से कराधेय आवर्त के समाधान के लिए
	सारणी उपबंध करती है ।
7क.	सारणी 5त में यथा व्युत्पन्न वार्षिक विवरणी बिना हस्तक्षेप के यहां भरी
	जाएगी ।
7ख.	छूट प्राप्त, शून्य दर, गैर-माल और सेवा कर और प्रदाय बिना आवर्त, यहां
	घोषित किया जाएगा । इसमें प्रत्यय नोटों, नामे नोट और संशोधनों, यदि कोई
	हों, को रिपोर्ट किया जाएगा ।
7ग.	शून्य दर प्रदाय का मूल्य (एसईजेड को प्रदाय समेत) जिस पर कर संदत्त नहीं
	किया गया है, यहां घोषित किया जाएगा । इसमें प्रत्यय नोटों, नामे नोट और
	संशोधनों, यदि कोई हों, को रिपोर्ट किया जाएगा ।
7घ.	विपरित प्रभार प्रदाय का मूल्य, जिस पर प्राप्तिकर्ता द्वारा कर का संदाय
	किया जाना है, यहां घोषित किया जाएगा । इसमें प्रत्यय नोटों, नामे नोट और
	संशोधनों, यदि कोई हों, को रिपोर्ट किया जाएगा ।
7ਝ.	कराधेय आवर्त को ऊपर सारणी 7क में घोषित समायोजन के पश्चात् वार्षिक
	आवर्त और सारणी 7ख, सारणी 7ग और सारणी 7घ में ऊपर घोषित सभी
	प्रदायों के कुल मूल्य (छूट प्राप्त, गैर-माल और सेवा कर, विपरित प्रभार आदि)
	के बीच अंतर के रूप में व्युत्पन्न माना जाता है ।
7च.	वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) की सारणी (4ढ-4छ)+(10-11) में घोषित
	किया गया कराधेय आवर्त, यहां घोषित किया जाएगा ।
8.	समायोजित वार्षिक कराधेय आवर्त, जैसा ऊपर सारणी 7ङ से व्युत्पन्न है और
	सारणी 7च में घोषित कराधेय आवर्त के बीच गैर-समाधान के कारणों को यहां
	विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।
	•

5. भाग 3 समाधान कथन में घोषणा के अनुसार संदेय कर के समाधान और वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित वास्तविक संदत्त कर से मिलकर बना है । इस भाग को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :--

सारणी	अनुदेश
सं.	
9.	सारणी समाधान कथन के अनुसार संदत्त कर के समाधान और वार्षिक विवरणी
	(जीएसटीआर 9) में घोषित संदत्त कर की रकम का उपबंध करती है । "आरसी"
	के रूप में चिहिनत मद के अधीन प्रदाय, जहां प्राप्तकर्ता (अर्थात् वह व्यक्ति,
	जिसके लिए समाधान कथन तैयार किया गया है) द्वारा कर का संदाय विपरित
	प्रभार के आधार पर किया गया था, यहां घोषित किया जाएगा ।
9त.	सारणी 9क से 9ण में घोषित दायित्व के अनुसार संदत्त की जाने वाली कुल
	रकम यहां बिना हस्तक्षेप के भरी जाएगी ।
9꽉.	वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) की सारणी 9 में घोषित संदेय रकम, यहां
	घोषित की जाएगी । इसमें वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) की सारणी 10 या
	11 में संदत्त कोई अंतर वाला कर भी अंतर्विष्ट होना चाहिए ।

10.	ऊपर सारणी 9त में घोषित संदेय/दायित्व के बीच गैर-समाधान के लिए कारण
	तथा सारणी 9थ में संदेय रकम यहां विनिर्दिष्ट की जाएगी।
11.	ऊपर सारणी 6, 8 और 10 के अधीन विनिर्दिष्ट कारणों से संदेय कोई रकम,
	यहां घोषित की जाएगी ।

6. भाग 4 इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी) के समाधान से मिलकर बना है । भाग 4 को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :--

सारणी	अनुदेश
सं.	
12क.	संपरीक्षित वित्तीय कथनों के अनुसार उपभोग की गई आईटीसी (प्रत्यागम के पश्चात्), यहां घोषित की जाएगी । ऐसे मामले हो सकते हैं, जहां बहु जीएसटीआईएन (राज्यवार) रजिस्ट्रीकरण एक ही पीएएन पर विद्यमान हो सकते हैं । यह कई राज्यों में उपस्थित वाले व्यक्तियों/अस्तित्वों के लिए सामान्य हैं । ऐसे व्यक्ति/अस्तित्व को प्रत्येक व्यष्टिक जीएसटीआईएन के लिए अपनी आईटीसी आंतरिक रूप से व्युत्पन्न करनी होगी और उसे यहां घोषित करना होगा । यहां यह उल्लेखनीय है कि संपरीक्षित वित्तीय कथन के प्रतिनिर्देश में कई राज्यों में उपस्थिति रखने वाले व्यक्तियों/अस्तित्वों के मामले में लेखा बहियों के प्रतिनिर्देश सम्मिलित है ।
12ख.	कोई आईटीसी, जिसे पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के संपरीक्षित वित्तीय कथनों में लेखबद्ध किया गया किंतु उसका उपभोग उस वित्तीय वर्ष के आईटीसी लेजर में किया गया, जिसके लिए समाधान कथन फाइल किया जा रहा है, यहां घोषित किया जाएगा । इसमें वह संक्रमण प्रत्यय भी सिम्मिलित होगा, जिसे पूर्ववर्ती वर्षों में लेखबद्ध किया गया था किंतु उसका उपभोग वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान किया गया।
12ग.	कोई आईटीसी, जिसे चालू वितीय वर्ष के वार्षिक संपरीक्षित वितीय कथन में लेखबद्ध किया गया है किंतु जिसका प्रत्यय उक्त वितीय वर्ष के लिए आईटीसी लेजर में नहीं किया गया है, यहां घोषित किया जाएगा ।
12घ.	वार्षिक संपरीक्षित वितीय कथन या लेखाबहियों के अनुसार उपभोग आईटीसी, जो ऊपर सारणी 12क, 12ख और 12ग में घोषित मूल्यों से व्युत्पन्न है, यहां बिना हस्तक्षेप के भरा जाएगा।
12ਝ.	वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) की सारणी 7ज में घोषित उपयोग के लिए उपलब्ध कुल आईटीसी, यहां घोषित किया जाएगा ।
13.	वार्षिक संपरीक्षित वितीय कथन या लेखा बहियों (सारणी 12घ) और वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में उपभोग कुल आईटीसी (सारणी 12ङ) के अनुसार आईटीसी के गैर-समाधान के कारण यहां विनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।
14.	यह सारणी वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथन या लेखा बहियों में लेखबद्ध व्ययों के लिए वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित आईटीसी के समाधान के लिए है। इस सारणी के अधीन विनिर्दिष्ट विभिन्न उपमद वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथन या लेखा बहियों में साधारण व्यय हैं, जिन पर आईटीसी का उपभोग किया या नहीं किया जा सकेगा और, यह मदों की केवल एक

	प्रतिकारत्मक सूची है, जिसके अधीन व्ययों को साधारणतया लेखबद्ध किया									
	जाता है । करदाता इनमें से किन्हीं मदों को जोड़ या हटा सकते हैं किंतु व्ययों									
	के सभी मद, जिन पर माल और सेवा कर का संदाय किया गया है/संदेय है,									
	यहां घोषित किया जाएगा ।									
14द.	सारणी 14क से 14थ तक घोषित कुल आईटीसी, जहां बिना हस्तक्षेप के भरी									
	जाएगी ।									
14ध.	वार्षिकी विवरण (जीएसटीआर 9) में घोषित उपभोग की गई कुल आईटीसी यहां									
	घोषित की जाएगी । वार्षिकी विवरण (जीएसटीआर 9) की सारणी 7ज को इस									
	सारणी को फाइल करने के लिए प्रयोग किया जा सकेगा ।									
15.	सारणी 12द में घोषित विभिन्न व्ययों पर उपभोग की गई आईटीसी और									
	सारणी 12ध में घोषित आईटीसी के बीच गैर-समाधान के कारण यहां									
	विनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।									
16.	सारणी 13 और सारणी 15 में ऊपर विनिर्दिष्ट कारणों के कारण संदेय कोई									
	रकम, यहां घोषित की जाएगी ।									

- 7. भाग 5 आवर्त के गैर-समाधान या इनपुट कर प्रत्यय के गैर-समाधान के कारण करदाता द्वारा निर्मोचित किए जाने वाले अतिरिक्त दायित्व पर संपरीक्षक की सिफारिश से मिलकर बना है। संपरीक्षक यह भी सिफारिश करेगा कि क्या प्रदाय के लिए संदत की जाने वाली कोई और रकम वार्षिक विवरणी में सम्मिलित नहीं है। कोई प्रतिदाय, जिसे त्रुटिपूर्ण ढंग से लिया गया है और जिसे सरकार को वापस संदाय किया जाएगा, उसे भी इस सारणी में घोषित किया जाएगा। अंतः में कोई अन्य बकाया मांगे, जिनके निपटारे की सिफारिश संपरीक्षक द्वारा की गई है, इस सारणी में घोषित की जाएंगी।
- 8. विवरणी के अंत में, प्ररूप डीआरसी-03 के माध्यम से, इस प्ररूप में घोषित किसी अतिरिक्त उत्तरदायित्व के संदाय का एक विकल्प दिया जाएगा। करदाता प्ररूप डीआरसी-03 में उपलब्ध ड्रॉप डाउन में "समाधान विवरण" का चुनाव करेगा। यह नोट किया जाए कि ऐसे उत्तरदायित्व केवल इलैक्ट्रानिक नगद लेजर के माध्यम से संदत्त किए जाएंगे।

"भाग-ख - प्रमाणीकरण

- उन मामलों में प्रमाणीकरण, जहां समाधान कथन (प्ररूप जीएसटीआर 9ग) उस व्यक्ति
 द्वारा तैयार किया जाता है, जिसने संपरीक्षा का संचालन किया है:
- * मैंने/हमने--
- (क) को तुलन-पत्र की ;
- (ख) से आरंभ होने वाले और को समाप्त होने वाली अवधि के लिए * लाभ और हानि लेखा और/आय और व्यय लेखा की ;
- (ग) यहां संलग्न से आरंभ होने वाली और को समाप्त होने वाली अवधि के लिए नकद प्रवाह कथन, मैसर्स (नाम) (पता) (जीएसटीआईएन) की ; परीक्षा कर ली है ।
- 2. हमारी संपरीक्षा के आधार पर मैं/हम यह रिपोर्ट करते हैं कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति-
- * ने एकीकृत माल और सेवा कर/केंद्रीय माल और सेवा कर/झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को रखा है।

* ने एकीकृत माल और सेवा कर/केंद्रीय माल और सेवा कर/झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा
यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को नहीं रखा है ।
1.
2.
3.
3. (क) * मैं/हम निम्नलिखित प्रेक्षणों/टिप्पणियों/कमियों/अंसगतताओं, यदि कोई हों, को
रिपोर्ट करते हैं :
3. (ख) *मैं/हम यह और रिपोर्ट करते हैं कि,
(अ) *मैंने/हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो मेरे/हमारे सर्वोत्तम
ज्ञान और विश्वास के अनुसार संपरीक्षा/जानकारी और स्पष्टीकरणों के लिए आवश्यक थे, जो
मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे, हमें
प्रदान नहीं किए गए/आंशिक रूप से प्रदान किए गए ।
(आ) मेरी/हमारी राय में जहां तक बहियों के मेरी/हमारी परीक्षा से प्रकृट होता है, रजिस्ट्रीकृत
व्यक्ति द्वारा ढंग से लेखा बहियों को रखा गया है/नहीं रखा गया है ।
(इ) मैं/हम यह प्रमाणित करते हैं कि तुलन-पत्र, लाभ और हानि/आय और व्यय लेखा तथा
नकद प्रवाह कथन राज्य के भीतर पर कारबार के मुख्य स्थान और
कारबार के अतिरिक्त स्थान पर रखी गई लेखा बहियों के अनुसार हैं/के अनुसार नहीं हैं ।
4. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम/राज्य माल और सेवा कर अधिनियम की धारा
35(5) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेज और केंद्रीय माल और सेवा
कर अधिनियम/ राज्य माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 44(2) के अधीन प्रस्तुत
किए जाने के लिए अपेक्षित समाधान कथन प्ररूप सं. जीएसटीआर 9ग के साथ संलग्न है ।
5. *मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और मुझे/हमें दिए गए
स्पष्टीकरणों के अनुसार निम्नलिखित प्रेक्षणों/अर्हताओं, यदि कोई हों, के अध्यधीन उक्त
प्रारूप सं. जीएसटीआर 9ग में दी गई विशिष्टियां सत्य और सही है :
(क)
(평)
(ग)
(
** (संपरीक्षक के हस्ताक्षर और मुहर/सील)
स्थान :
हस्ताक्षरी का नाम
सदस्यता सं
तारीख :
पूरा पता

II. उन मामलों में प्रमाणीकरण, जहां समाधान कथन (प्ररूप जीएसटीआर 9ग) उस व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाता है, जिसने संपरीक्षा का संचालन किया है:

* मैं/हम रिपोर्ट करते हैं कि मैसर्स (जीएसटीआईएन के साथ निर्धारिती का नाम और पता) की लेखा बहियों और वितीय कथनों की संपरीक्षा अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में सदस्यता सं धारण करने वाले मैसर्स (प्रास्थिति के साथ संपरीक्षक का पूरा नाम और पता) द्वारा की गई थी, और * मैं/हम निम्नलिखित की एक प्रति के साथ तारीख को उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति इसके साथ संलग्न करते हैं।
(क) को तुलन-पत्र ;
(ख) से आरंभ होने वाले और को समाप्त होने वाली अविध के लिए *
लाभ और हानि लेखा और/आय और व्यय लेखा ;
(ग) से आरंभ होने वाली और को समाप्त होने वाली अवधि के लिए नकद
प्रवाह कथन ; और
(घ) उक्त अधिनियम द्वारा *लाभ और हानि लेखा/आय और व्यय लेखा तथा तुलन-पत्र के
भाग के रूप में या उससे संलग्न घोषित किए गए दस्तावेज ।
2. मैं/हम यह रिपोर्ट करते हैं कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति—
* ने एकीकृत माल और सेवा कर/केंद्रीय माल और सेवा कर/<<>>माल और सेवा कर
अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा
यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को रखा है ।
* ने एकीकृत माल और सेवा कर/केंद्रीय माल और सेवा कर/<<>>माल और सेवा कर
अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा
यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को नहीं रखा है ।
1.
2.
3.
3. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम/ राज्य माल और सेवा कर अधिनियम की धारा
35(5) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेज और केंद्रीय माल और सेवा
कर अधिनियम / राज्य माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 44(2) के अधीन प्रस्तुत
किए जाने के लिए अपेक्षित समाधान कथन प्ररूप सं. जीएसटीआर 9ग के साथ संलग्न है ।
4. *मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और अन्य सुसंगत दस्तावेजों
समेत लेखा बहियों की परीक्षा के अनुसार और मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार
निम्नलिखित प्रेक्षणों/अर्हताओं, यदि कोई हों, के अध्यधीन उक्त प्रारूप सं. जीएसटीआर 9ग
में दी गई विशिष्टियां सत्य और सही है :
(क)
(평)
(ग)
** (संपरीक्षक के हस्ताक्षर और मुहर/सील)
स्थान :
हस्ताक्षरी का नाम
महम्याता मं

तारीख :	
पूरा पता"	
19 उक्त नियम प्ररूप जीएसटी एपीएल-	03 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया
जाएगा,अर्थात्:	
"प्ररूप जीएसटी आरवीएन-01	
[नियम 109ख देखें]	
संदर्भ सं.	तारीख:
सेवा में,	
जीएसटीआईएन:	
आदेश सं0-	
तारीख	
धारा 108 के अधीन नोटिस	
जहां अधोहस्ताक्षरी के नोटिस में यह आ	या है कि (अधिकारी का पदनाम)द्वारा
इस अधिनियम/झारखण्ड माल और सेवा	कर अधिनियम, 2017/एकीकृत माल और सेवा कर
अधिनियम, 2017/ राज्य क्षेत्र माल औ	रि सेवा कर अधिनियम, 2017/माल और सेवा कर
(राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017	के अधीन पारित आदेश जहां तक यह राजस्व के
हित में प्रतिकूल है, त्रुटिपूर्ण है और अ	विध है या आयुक्ति युक्त है अथवा इसमें कतिपय
सारवान तथ्यों का ध्यान नहीं रखा गया	है, और इसलिए मैं इसके साथ संलग्न दस्तावेज में
विनिर्दिष्ट आधारों पर धारा 108 के अध	गिन पुनरीक्षण में एक आदेश पारित करने का आशय
करता हूं ।	
आपको इस नोटिस की तामील र्व	ने तारीख से सात कार्य दिवसों के भीतर इस नोटिस
का उत्तर प्रस्तुत करने के लिए निदेशित	किया जाता है।
आपको तारीखसमयपर	र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने का निदेश
दिया जाता है।	
यदि आप नियत तारीख के भीतर उत्तर	देने में असफल रहते हैं या नियत तारीख और समय
पर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित	होने में असफल रहते हैं तो इस मामले को उपलब्ध
अभिलेखों और गुणागुण के आधार पर ए	क पक्षीय विनिश्चित किया जाएगा।
स्थान:	हस्ताक्षर:
तारीख	पदनाम:

20. उक्त नियमों में, **प्ररूप जीएसटी एपीएल-01** के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:--

अधिकारिता/कार्यालय—।"

"प्ररूप जीएसटी एपीएल-04 (नियम 109ख, 113(1) और 115 देखें)

अपील प्राधिकारी, पुनरीक्षण प्राधिकारी, अधिकरण या न्यायालय द्वारा आदेश जारी किए जाने के पश्चात् मांग का सार

निदेश सं.-- तारीख -

1.	जीएसटीआईएन/ अस्थायी आईडी/युआईएन		
2.	अपीलार्थी/व्यक्ति का नाम		
3.	अपीलार्थी/व्यक्ति का पता		
4.	अपील के विरुद्ध या पुनरीक्षण के लिए आशयित आदेश	संख्या	तारीख
5.	अपील सं0		
6.	व्यक्तिगत सुनवाई		
7;	संक्षिप्त आदेश-		
8.	आदेश की प्रास्थिति- संपुष्ट/उपांतरित/निरस्त		

9. अपील/पुनरीक्षण के पश्चात् मांग की रकम:

विशिष्टियां	केन्द्रीय कर		राज्य/संघ	राज्यक्षेत्र	एकीकृत कर		उपकर		योग	
			कर							
	विवाद/	अवधारित	विवाद/	अवधारित	विवाद/	अवधारित	विवाद/	अवधारित	विवाद/	अवधारित
	पूर्ववर्ती	रकम	पूर्ववर्ती	रकम	पूर्ववर्ती	रकम	पूर्ववर्ती	रकम	पूर्ववर्ती	रकम
	आदेश		आदेश		आदेश		आदेश		आदेश	
	में		में रकम		में रकम		में		में	
	रकम						रकम		रकम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क) कर										
ख) ब्याज										
ग) शास्ति										
घ) फीस										
ड) अन्य										
च)										
प्रतिदाय										

10. आईजीएसटी मांग के प्रदायवार ब्यौंरो का स्थान

<u>·</u>						
प्रदाय का स्थान	मांग	कर	ब्याज	शास्ति	अन्य	योग
(राज्य/संघ राज्यक्षेत्र						
का नाम)						
1	2	3	4	5	6	7
	विवाद/पूर्ववर्ती आदेश में					
	आदेश में					
	रकम					
	अवधारित					
	रकम					

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर:

अपील प्राधिकारी/पुनरीक्षण प्राधिकारी/अधिकरण/अधिकारिता वाले अधिकारी का नाम

पदनाम:

अधिकारिता: "।

[सं.सं .वा॰कर/जी॰एस॰टी॰/03/2018] झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

> प्रशांत कुमार, सचिव-सह-आयुक्त

टिप्पण: मूल नियम, झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में एस. ओ. सं. 28 - राज्य कर, तारीख 20 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 60/2018- राज्य कर तारीख 7 दिसम्बर, 2018, जो एस. ओ. सं. 83, तारीख 7 दिसम्बर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी, द्वारा किया गया।
